खण्ड-234, अंक-7
बुधवार, 28 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(19 सितम्बर, 1962 ई0)

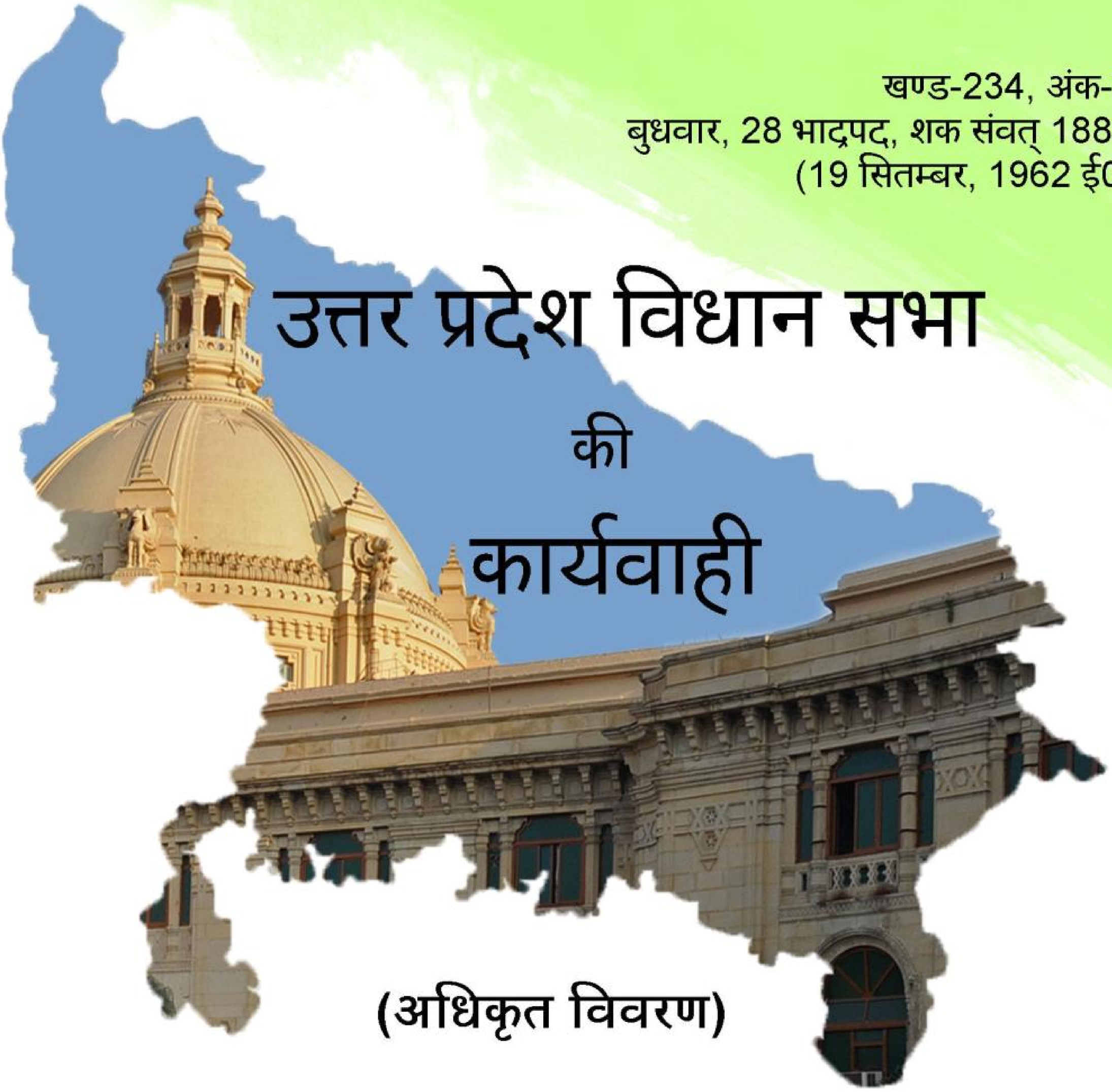

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८०१–८०५
प्रश्नोत्तर	८०५–८३४
मन्त्रि परिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मन्त्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना (जारी)	८३५–८३६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	८३६–८३७
चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य . ..	८३७–८४९
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (जारी)	८४९–८५३
मन्त्रि परिषद में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मन्त्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचारपत्रों में छपने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना (जारी) ..	८५३–८५७
१४ सितम्बर, १९६२ को श्री उग्रसेन द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अभिसूचित विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	८५८
सदन की कार्यवाही सी० आई० डी० रिपोर्टर द्वारा प्रतिवेदित करने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा १४ सितम्बर,१९६२ को दिये गये कथित असत्य भाषण पर उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..	८५८–८५९
मन्त्रि परिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मन्त्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना (श्री अध्यक्ष का निर्णय स्थगित)	८५९–८९१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (जारी) ..	८९१–८९४
नत्थियां	८९५–८९८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदीलाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाँडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाँडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाँडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजनाथसिंह वैद्य, श्री
बजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मदरफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
राममेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र, शुक्ल श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेंद्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरे में शराब की दुकानों पर सत्याग्रह

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित), श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री शिवचरण (जिला आगरा)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिनांक ११ सितम्बर, १९६२ से आगरा शहर में सर्वोदय के कार्यकर्त्ता शराब के गोदामों व दुकानों (भट्टियों) पर सत्याग्रह करने जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस मामले पर क्या विचार कर रही है?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां। जिलाधीश को आदेश दे दिया गया है कि वह वस्तुस्थिति के अनुकूल उचित कानूनी कार्यवाही करे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बाल-बचत योजनान्तर्गत इकट्ठा धन

*१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि बाल-बचत में १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९६२ तक कितना धन इकट्ठा किया गया तथा किस एकाउन्ट में जमा किया गया?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्र सिंह रावत)—इस प्रदेश में बाल-बचत योजना में १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९६२ तक कुल २९,४३,९८३ रुपये ५ न० पै० इकट्ठा किये गये जो सम्बन्धित सहकारी समितियों तथा पोस्ट आफिस में जमा हैं।

*२—श्री विजयसिंह—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९६२ तक जिन लोगों ने रुपया दिया है उन धन जमा करने वालों को सम्बन्धित पास बुकें मिल चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रसिंह रावत—धन जमा करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों में से अधिकांश को पास बुकें दी जा चुकी हैं। केवल कुछ लोगों को पास बुकों की कमी के कारण नहीं दी जा सकी हैं; उन्हें भी शीघ्र ही पास बुकें उपलब्ध होते ही दे दी जायेंगी।

*३—श्री विजयसिंह—क्या यह सही है कि इस योजना में प्लानिंग के अतिरिक्त रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी धन इकट्ठा किया गया और उसका एकाउन्ट अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां। यह सही है कि बांदा जिले में माल विभाग के कर्मचारियों (लेखपालों) ने बाल-बचत का रुपया इकट्ठा किया है। उस रुपये को कानूनगो सर्किल के हिसाब में जिला सहकारी बैंक में जमा किया है। परन्तु माल विभाग के कर्मचारियों ने उन लोगों की सूची जिनसे यह धन इकट्ठा किया है न तो जिला बैंक को और न समितियों को ही दी है, जिसके कारण इन रकमों को सम्बन्धित व्यक्तियों के खाते में अभी तक नहीं डाला जा सका है।

श्री विजयसिंह—जो धन बाल-बचत योजना में जमा होता है उसको इस सुविधा के लिये सरकार आदेश देगी ताकि रुपया निकालने में पोस्ट आफिस की तरह आसानी हो?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—पोस्ट आफिस के कायदों के अनुसार ही रुपया वापस होता है, सहकारिता विभाग द्वारा जितनी सुविधा हो सकेगी वह दी जायगी।

श्री विजयसिंह—क्या सरकार इस बात के लिये कोई आदेश देगी कि राजस्व विभाग के कर्मचारी बाल-बचत योजना का काम न करें जबकि सरकार के पास उसके लिये अन्य साधन मौजूद हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—असल में अपने आप कुछ लोग काम करते हैं, ऐसे आर्डर तो नहीं हैं कि माल विभाग के कर्मचारी यह काम करें। केवल २ जिलों में ऐसा हुआ है, एक जगह तो जमा हो गया है और एक जगह का हिसाब अभी आ रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो माल विभाग के लोगों ने रुपया जमा किया और कोई सूची और हिसाब विभाग को नहीं दिया, तो कैसे उन को पासबुक दी गई और क्या उस रुपया का हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जवाब में बता दिया गया है कि रुपया कानूनगो सर्किल के नाम से कोआपरेटिव बैंक में जमा है, जब नाम आ जायेंगे तो अलग-अलग खाते खोल दिये जायेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—जैसा मन्त्री जी ने कहा कि माल विभाग के लोग वसूली करते हैं और यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने जो रुपया वसूल किया उसका हिसाब स्पष्ट रूप से नहीं आया और कानूनगो सर्किल के नाम रुपया जमा है, तो इस गड़बड़ी को देखते हुये क्या मन्त्री जी ऐसी हिदायत देंगे कि इस योजना में भविष्य में माल विभाग के कर्मचारियों से काम न लिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि माल विभाग के कर्मचारी इसमें काम करें। इसमें स्वतः कोई काम करे तो करे। वैसे कोई किसी को आदेश नहीं है। न किसी की कोई जबरदस्ती है, न मनाही है। जो काम करना चाहें करें।

श्री अध्यक्ष—वह यह कहते हैं कि माल विभाग द्वारा जो गड़बड़ी हो जाती है इस वजह से हिदायत दें कि न करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—गड़बड़ी कोई नहीं है। जो रुपया उन्होंने जमा किया है वह सब जमा है सिर्फ हिसाब आने में देर हुई है। जैसे हिसाब आ जायगा, खाते अलग-अलग कर दिये जायेंगे।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—मन्त्री जी बतायेंगे कि माल विभाग के कर्मचारियों ने जो रुपया वसूल किया है उसके लिये क्या अलग-अलग रसीदें दी गई हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जरूर दी गई होंगी जिन लोगों ने रुपया दिया होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—मन्त्री जी बतायेंगे कि जब माल विभाग के कर्मचारियों को कोई आदेश नहीं है, वह स्वेच्छा से वसूल कर रहे हैं, तो क्या यह मतलब नहीं है कि वह केवल गड़बड़ी करने के लिये वसूल कर रहे हैं और यह भी पता चला है कि जो वसूल करते हैं उसकी रसीदें नहीं दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—ऐसी कोई सूचना है कि रसीदें नहीं दी जा रही हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—मन्त्री जी बतायेंगे कि बाल-बचत योजना पूरे प्रदेश में एक दम लागू की जा रही है या चन्द जिलों में?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह योजना पहले झांसी डिवीजन में शुरू हुई थी। अब सारे जिलों में कर दी गई है। हो सकता है कुछ जिलों में अभी शुरुआत ही हुई हो या काम अभी शुरू न हुआ हो।

गन्ना क्रशर समिति, बुढ़ाना

*४—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोआपरेटिव की तरफ से गन्ना क्रशर, स्थान बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, में कब से कार्य कर रहा है और इस क्रशर को लगाने के लिये सरकार ने कितना रुपया कर्ज तथा अनुदान का दिया और कितना रुपया कोआपरेटिव के सदस्यों का लगा है? इस कोआपरेटिव में कितने तथा कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गन्ना क्रशर समिति, बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर २४-९-५७ को रजिस्टर हुई थी तथा दिसम्बर, ५७ से कार्य कर रही है।

राज्य सरकार ने ४०,००० रु० के समिति के हिस्से खरीदे हैं और ५,१०४ रुपये प्रबंध संबंधी को अनुदान दिया है। ऋण सरकार ने इस समिति को कुछ नहीं दिया।

९८,६२७ रुपया इस समिति में सदस्यों का लगा है ।

समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

राज्य सरकार	..	१
प्रदेशीय सहकारी संघ लि०, लखनऊ	..	१
व्यक्तिगत सदस्य	..	२७३
योग	..	२७५

*५—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब से गन्ना क्रशर सोसाइटी चल रही है, कितना व्यय तथा कितने की आय हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—समिति की वार्षिक हानि लाभ का विवरण निम्न प्रकार है :—

		रु० न० पै०
पूर्ण लाभ	..	३५,१८८.२५
पूर्ण हानि	..	६५,०६८.९२
शुद्ध लाभ	..	१२,१५१.२८
शुद्ध हानि	..	४२,०३१.८६

*६—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि १९६१–६२ के सीजन में यह गन्ना क्रशर एकदम बन्द है ? यदि हां, तो बन्द रहने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—साल ६१–६२ में इस मिल ने कार्य नहीं किया। यदि मिल इस वर्ष कार्य करती तो अधिक हानि होने की सम्भावना थी ।

बीज गोदामों में हानि तथा रासायनिक खाद

*७—श्री विजयसिंह—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने सीडस्टोर्स में १,००० मन से कम गल्ला सन् १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में बंटा है और उन पर कितना नुकसान हुआ ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—९३७ बीजगोदामों में बंटा है। १९६०–६१ में ५,५०,१०६ रु० का नुकसान हुआ । १९६१–६२ को बैलेन्स शीट अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिये इस समय नहीं बतलाया जा सकता कि उस साल कितना नुकसान हुआ ।

*८—श्री विजयसिंह—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार का कितना रुपया कोआपरेटिव सीड स्टोर्स में लगा है और उसका कितना सूद किस दर से ३१ मार्च, १९६२ तक वाजिब हुआ ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—५,१६,५५,०९२ रुपया लगा हुआ है। इस धन में से २,१०,५५,७४९ रु० बिला सूद के कर्ज के रूप में है । २,३०,६०,३०६ रु० का बीज द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल तथा उसके पहले आया था । इस धन को ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान करने का विषय सरकार के विचाराधीन है । बाकी ७५,३९,०३७ रुपये का लेन-देन चालू खाते में चल रहा है । इस पर साधारण ब्याज का प्रश्न नहीं उठता ।

*९—श्री विजय सिंह—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि रासायनिक खाद जो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा केन्द्रीय सरकार से ली गयी थी उसका हिसाब १९६१ व १९६२ का ठीक नहीं मिला ? यदि हां, तो सम्पूर्ण प्रान्त में कितने रुपये की खाद का हिसाब नहीं मिल रहा है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—केन्द्रीय सरकार द्वारा जो रासायनिक खाद उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लि० लखनऊ को १९६१–६२ में दी हुई थी उसका हिसाब ठीक है तथा उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है ।

श्री विजयसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी दशा में जब कि ९३७ बीज गोदाम में ५ लाख ५० हजार रु० का नुकसान हुआ है तो नुकसान उठाने के बजाय सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि उत्तम खेती करने वाले किसान बीज उपजावें और बांटें और इन गोदामों को बन्द कर दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह विचार हो रहा है कि जो बीज भंडार लाभ कर नहीं हो रहे हैं उनको सुचारु रूप से चलाया जाय, किस तरह से चलाया जाय या फिर उन्हें बन्द कर दिया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—मंत्री जी बतायेंगे कि वह इस बात का इतमीनान कर लेते हैं कि जो गल्ला बीज के लिये बांटते हैं वह बीज के लिये ही इस्तेमाल होता है या खाने और बाजार में बेचने के काम में आता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो गल्ला बीज के लिये इकट्ठा होता है वह बीज में ही खर्च किया जाता है लेकिन अगर किसी कारण से बीज नहीं उठता है तो फिर वह बेचा जाता है ।

श्री विजयसिंह—माननीय मंत्री जी बहुत बड़े काश्तकार हैं । वह यह जानते हैं कि जिस वक्त बीज खोला जाता है तो बीज की तौल बढ़ जाती है । कोआपरेटिव विभाग में डेढ़ परसेंट की छूट दी जाती है और ५ लाख ५० हजार मन की जो हानि हुई है इसमें यह शामिल है । लेकिन यह डेढ़ परसेंट की छूट एग्रीकल्चर विभाग में नहीं होती है तो इस विभाग में भी इसे बन्द कर दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बरसात के कारण हो सकता है कि बीज थोड़ा वजन में बढ़ जाय लेकिन कहीं कहीं बहुत से कीड़े लग जाते हैं और अन्य कारण हो सकते हैं जिनसे कमी हो जाय । फिर भी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है उस पर मैं विचार करूंगा ।

श्री विजयसिंह—प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में दिया हुआ है कि १९६१–६२ में जो रिपोर्ट दी हुई है उसके हिसाब से सब ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और आडिट रिपोर्ट के अन्तिम पृष्ठ पर जो लिखा हुआ है "स्टाक पेंडिंग रिकंसिलियेशन विदएजेंट्स"—१,२९,११,०३४ रु०, तो दोनों में कौन-सी बात सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पी० सी० एफ० में जो खाद आई है यह डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन को दी जाती है और हर साल जितनी खाद आई वह डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन को बांट दी गयी । अब डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन में क्या हुआ, कमी हुई वहां, यह दूसरी बात है । लेकिन पी० सी० एफ० को जो खाद मिली वह पूरी की पूरी बांट दी गयी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन को ।

श्री विजयसिंह—सरकार कितना कमीशन फर्टिलाइजर के डिस्ट्रिब्यूशन पर देती है और फैक्टरीज को किस रेट पर मिलता है और काश्तकार को किस रेट पर दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री हरिनाथ तिवारी—कितने बीज गोदाम भलीभांति काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ठीक-ठीक नम्बर तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन ५६० ऐसे बीज गोदाम थे जो एक योजना के अन्तर्गत खोले गये थे । हर ब्लाक में ३, ३ बीज गोदाम खोले गये, २ सहकारिता विभाग से और १ कृषि विभाग से । जो बीज गोदाम खोले गये उनके लिये जितना बीज चाहिये था कहीं तो उतना बीज नहीं मिल पाया, कहीं सर्वे वगैरह नहीं हो पाया, कहीं पर उतने बीज गोदाम की जरूरत नहीं थी । इस कारण सबके सब घाटे पर चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ घाटे पर चल रहे हैं, यह जरूर है ।

बुलन्दशहर जिले में सोशल एजूकेशन तथा दृश्य दर्शन पर व्यय

* १०—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में social education कैम्प तथा site seeing के लिये निर्धारित धन किस प्रकार खर्च किया गया और कितने-कितने लोग इसमें सम्मिलित हुये ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—जिला बुलन्दशहर में १९६१–६२ के नियोजन बजट के अन्तर्गत सोशल एजूकेशन कार्यक्रम के लिये २१,६७१ रु० स्वीकृत था । शिविर तथा दृश्य दर्शन कार्यक्रम इस कार्यक्रम का एक छोटा सा भाग है । इसके अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में प्रौढ़ शिक्षक प्रशिक्षण शिविर, युवक नेता प्रशिक्षण शिविर, पी० आर० डी० बालेन्टियर्स प्रशिक्षण शिविर, विद्यार्थी ग्रीष्म अवकाश शिविर तथा ग्राम लक्ष्मी शिविर आयोजित किये गये । इन शिविरों के शिविरार्थियों के भोजन, किराया तथा शिविर के लिये रोशनी तथा अन्य विविध मदों पर कुल ४,९२० रु० २० नये पैसे व्यय हुआ । इन शिविरों में ७९१ व्यक्तियों ने भाग लिया ।

दृश्य दर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिये सवारी का किराया तथा अन्य विविध मदों पर कुल ३,६३४ रु० ८ नये पैसे व्यय हुआ तथा इस कार्यक्रम में ५९९ व्यक्तियों ने भाग लिया ।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पांच विभिन्न मदों में कितना कितना खर्च हुआ और कितने कितने लोगों ने भाग लिया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—दो मदों के विषय में प्रश्न था, उन दोनों के विषय में मैंने उत्तर दे दिया । पांच मदों का सवाल तो आपका था नहीं इसलिये मैं अलग-अलग तो नहीं बता सकती हूं ।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि दृश्य दर्शन में अधिकांश लोगों ने स्वयं कर्मचारी अथवा उनके रिश्तेदारों ने ही भाग लिया है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्राणीजी बताने की कृपा करेंगी कि वह कौन से विभिन्न स्थान हैं जहां पर लोगों को ले जाया गया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अध्यक्ष महोदय, एक लम्बी सूची है । आपका आदेश हो तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—नहीं, नहीं । लम्बी सूची को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

रामसनेहीघाट तहसील में सेनेटरी कानून भंग करने पर चालान

*११—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत अलग-अलग ब्लाक तथा नोटीफाइड एरिया में सेनेटरी कानून भंग करने के जुर्म में १ अप्रैल, १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक किस-किस दफा में कितने चालान हुये ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—सेनेटरी कानून बहुत व्यापक शब्द है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा १७४ (२) (एफ०) के अनुसार byelaws के अन्तर्गत त्रिवेनी गन्ज ब्लाक में तीन चालान हुए।

श्री मुकुटबिहारीलाल—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैंने किया था तहसील रामसनेहीघाट के संबंध में और उत्तर दिया गया है तहसील हैदरगढ़ के संबंध में। तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मवई तथा पुरे डलई क्षेत्र के अन्तर्गत, जो कि तहसील रामसनेहीघाट में हैं, कितने चालान हुये ?

श्री धर्मसिंह—तहसील का तो जरूर पूछा था लेकिन तमाम तहसील में चालान नहीं हुये, केवल एक ब्लाक के अंतर्गत हुये जिसका मैंने प्रश्न में उत्तर दे दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल—क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को मान कर, कि वह ब्लाक तहसील हैदरगढ़ में पड़ता है और मैंने प्रश्न किया था तहसील रामसनेहीघाट के संबंध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रामसनेहीघाट में कोई चालान हुआ या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तहसील के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है उसमें कितने सैनीटरी इंसपेक्टर हैं और वे अपने स्थान पर कितने दिनों से बने हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह—जो मेरे पास सूचना है उसके आधार पर वहां चार सैनिटरी इंसपेक्टर्स हैं। ये कितने-कितने दिनों से हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि त्रिवेनीगंज किस तहसील में पड़ता है ?

श्री धर्मसिंह—श्रीमन्, आप तो स्थानीय आदमी हैं, आपको मालूम होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी—आप मंत्री हैं और आपको यह भी पता नहीं। आपसे पूछा जाता है रामसनेहीघाट के बारे में और आप बताते हैं हैदरगढ़ के बारे में !

श्री अध्यक्ष—तिवारी जी, आक्षेप न कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—प्रश्नकर्ता ने रामसनेहीघाट तहसील के बारे में प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह दूसरी तहसील के बारे में दिया है। तो क्या मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर फिर से उत्तर मंगाने की कृपा करेंगे कि तहसील रामसनेहीघाट में कितने चालान हुये ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—श्रीमन्, इसकी सूचना मंगाई जायगी। जो बतलाया गया है उसकी इंक्वायरी की जायगी।

*१२—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—[हटा दिया गया।]

मेरठ जिले में हरिजनों को सहायता

*१३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेरठ जिले के किस-किस विकास खंड में कितनी-कितनी सहायता हरिजनों के लिये दिसम्बर सन् १९६० से दिसम्बर सन् १९६१ तक दी गयी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ ८९५ पर)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्लाक बिनौली, खेखड़ा और रजापुर में हरिजनों को कोई भी कृषि उद्योग, गृह उद्योग और भवन निर्माण की सहायता नहीं दी जा सकी, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--अध्यक्ष महोदय, शासन से कोई भी अनुदान विकास खंडों को सीधे स्वीकृत नहीं किये जाते हैं । जो भी अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं वह पूरे जिले के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किये जाते हैं और जिला स्तर से स्वीकृत धन विकास क्षेत्रों के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वितरित किया जाता है ।

श्री रामचन्द्र विकल--अध्यक्ष महोदय, अन्य ब्लाकों में धनराशि दी गई है तो इनमें क्यों नहीं दी गई है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--इन ब्लाकों के विषय में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किन कारणों से नहीं दिया, इसके लिये नोटिस देने पर उत्तर दे सकूंगी ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्लाक पिलाना और माथर में कोई भी सहायता भवन निर्माण और कृषि उद्योग तथा गृह उद्योग के लिये नहीं दी गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--श्रीमान्, जैसा कि मैंने निवेदन किया, जिला स्तर पर हर ब्लाक की आवश्यकता के अनुसार बंटवारा किया जाता है । माननीय सदस्य कोई जानकारी मांगेंगे तो मैं सूचना एकत्रित करके उत्तर दे सकूंगी ।

सहकारी समितियों पर कर्ज

*१४--श्रीकाशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों पर सरकारी कर्ज का कितना रुपया बकाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोंडा जिला सहकारी फेडरेशन के मंत्री के विरुद्ध आरोप

*१५--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--(क) क्या सरकार विधान सभा के नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या १ से ३ तक दिनांक पहली अगस्त, १९६२ के जवाब के संबंध में जांच की रिपोर्ट तथा जो कार्यवाही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हुई उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ख) यदि जांच पूरी नहीं हुई, तो कब तक हो जायेगी और हो जाने पर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—उप निबन्धक, फैजाबाद द्वारा अभी कथित शिकायतों की जांच की जा रही है ।

(क) शीघ्र जांच पूरी करने के लिये उक्त अधिकारी को लिखा गया है । जांच-रिपोर्ट को सदन के सम्मुख रखने का निर्णय रिपोर्ट को देखने के बाद किया जा सकता है ।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो शिकायत थी कितने लोगों की थी और उनके क्या नाम थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह दो सज्जनों की शिकायत थी । एक श्री रामदुलारे सिंह और दूसरे श्री के० डी० सिंह ।

श्री नवरंगसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायत किस के विरुद्ध थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो मंत्री थे श्री गुप्ता उनके खिलाफ थी ।

श्री नवरंगसिंह—श्रीमान्, हम यह जानना चाहते हैं कि उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्रीमान्, उन्होंने एक तो अगेन्स्ट रूल्स खुद कर्जा लिया । एक आरोप यह था कि बान्ड्स या प्रोमिजरी नोट्स कोआपरेटिव विभाग से अपने रिश्तेदारों के नाम खरीदे और वे फेस वैल्यू से कम थे । इस तरह के कई आरोप थे ।

श्री भानुप्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पद पर कैसे नियुक्ति हुई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अधिकतर डी० सी० डी० एफ० के सेक्रेटरी को रजिस्ट्रार नामिनेट करते हैं और उन्हीं के द्वारा की गई थी । अब यह नहीं रहे हैं और बदल दिये गये हैं ।

श्री नवरंगसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जांच की रिपोर्ट कितने दिन में मिल जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह आदेश कर दिया गया है कि जांच करके सरकार को भेजें । उम्मीद है कि जल्दी आयेगी ।

श्री नवरंगसिंह—क्या कोई उनको लिमिट दी गयी है या बिना सीमा के है, कितने समय के बाद आ सकेगी इसकी कोई सीमा भी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तारीख निश्चित नहीं की जा सकती है ।

[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले हरिजन छात्रों को छठवीं श्रेणी से दसवीं श्रेणी तक अनिवार्य रूप से सबको छात्रवृत्ति देने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं । कक्षा ६ से कक्षा १० तक के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देना संभव नहीं है ।

श्री मंगलदेव—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कक्षा ६ से कक्षा दस तक अनिवार्य नहीं है तो बीच में आठवीं, नवीं और दसवीं कक्षा के लिये अनिवार्य रूप से छात्र-वृत्ति देने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—माननीय सदस्य का सुझाव है, इस पर विचार किया जा सकता है।

कोआपरेटिव यूनियन में रिटायर्ड व्यक्ति रखने पर आपत्ति

*२—**श्री विजयसिंह**—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन में कौन-कौन रिटायर्ड पेन्शनर को नौकरी दी गई और क्यों?

श्री चन्द्रसिंह रावत—यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन ने श्री श्यामदत्त पंत, श्री जे० पी० मिश्रा और एस० बी० लाल रिटायर्ड पेंशनर्स को यूनियन की सेवाओं में नियुक्त किया है।

उक्त यूनियन की प्रबन्धकारिणी समिति ने उपरोक्त लोगों को उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिये नौकरी में रक्खा है।

श्री विजयसिंह—मान्यवर, इस सरकार के किसी विभाग में ऐक्सपीरियन्स्ड यंग आदमी भी काम करते हैं और वह उस विभाग को अच्छे रूप से चला रहे हैं। ओल्ड पेंशनर्स को रखने से बहुत से लोगों का प्रोमोशन मारा जाता है और एम्प्लायमेंट भी नौजवानों को नहीं मिलता है, क्या सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने जा रही है जिससे नयी व्यवस्था हो रही हो?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सरकारी सर्विस में नहीं हैं। यह लोग यूनियन की सर्विस में हैं। यूनियन में वह जैसे आदमी चाहें रख लें। अगर सरकार से आदमी मांगे और सरकार जब उन्हें दे तो सरकार की रेकमेंडेशन पर रखते हैं। यह आदमी उन्होंने इसलिये रखा है कि सरकार से आदमी लिये जाते हैं, तो अक्सर उनका ट्रान्सफर हो जाता है और चूंकि यूनियन का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिये उन्होंने बाहर के अनुभवी आदमियों को स्वयं रख लिया है जो इस काम में काफी दिलचस्पी रखते थे और माहिर थे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—सरकार का यह नियम हो गया है, बैड रूल, कि रिटायर्ड लोगों को काम दिया जाता है और इस बात की भी आज्ञा दे दी जाती है कि वह प्राइवेट कन्सर्न्स में भी काम कर सकें, इससे जैसा कि प्रश्न में कहा गया है बेकारों को काम नहीं मिलता और नौजवानों की तरक्की रुक जाती है, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह नियम हर जगह पर बन्द कर दिया जाय ताकि लोगों की उन्नति भी हो सके और जो बेकार हैं उनको काम भी मिल सके?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आम तौर पर तो रिटायर्ड आदमियों को नहीं रखते हैं। अगर कहीं जरूरत होती है और जो संस्थाएं अपने आप स्वतन्त्र हैं अगर वह रिटायर्ड आदमियों की सर्विसेज से लाभ उठाना चाहती हैं तो उन्हें रोकना भी ठीक नहीं है।

श्री ऊदल—इस बात को देखते हुए कि अभी प्रधान मन्त्री ने एक बयान दिया था दो तीन महीने हुए कि सरकारी आदमी जो रिटायर होते हैं वह प्राइवेट फर्मों में और सरकारी विभागों में जाने की कोशिश करते हैं, सरकार उनको इजाजत भी दे देती है; और यह भी उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती बढ़ती है और लोग अपने सोर्सेज भिड़ाकर नाजायज तरीके से अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, इन सब बातों को देखते हुए और प्रधान मन्त्री की इच्छा का आदर करते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार करके इस पर रोक लगाने की कृपा करेगी कि सरकारी अधिकारियों को जो रिटायर्ड हों ऐसी जगहों पर न रखा जाय?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत बड़ी नीति का प्रश्न है। आप लिखकर प्रश्न कर लीजिए।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि जो सरकारी पेंशनर लोग हैं वह अपनी पेंशन तो पाते ही हैं उसके अलावा प्राइवेट जगहों पर या यूनियन की नौकरी करते हैं तो वहां से पूरी तनख्वाह पाते हैं, तो वह रकम जो सरकार देती है उसे स्माल सेविंग में जमा करने या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट खरीदने के लिये उनको मजबूर करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मजबूर करने का प्रश्न तो नहीं उठता। लेकिन उन्हें सलाह दी जा सकती है कि स्माल सेविंग में रखें या और कहीं जमा करना चाहें तो करें।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि वह जो पेंशन पाते हैं वह एक प्रकार से अनावश्यक है जबकि उनको पूरी तनख्वाह दूसरी जगह से मिलती है, तो अगर यह सलाह सरकार दे सकती है तो उस पेंशन को उस वक्त तक रोकने का आदेश सरकार निकालेगी जबतक कि वह उस नौकरी में रहें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कायदे से कोई पेंशन नहीं रोकी जा सकती है। कोई ऐसा कायदा नहीं है कि किसी की पेंशन रोकी जा सके।

श्री झारखंडे राय---माननीय मन्त्री जी ने बताया कि ऐसा कायदा नहीं, है तो कायदा बनाने वाले तो यही लोग हैं और यह सदन है। तो क्या उस कायदे में ऐसी कोई तब्दीली की जायगी जिससे कि जो पेंशन पाने वाले हैं वह या तो पेंशन फोरगो करें या तनख्वाह फोरगो करें ?

श्री अध्यक्ष---मैं इस प्रश्न का महत्व समझता हूं। लेकिन इसको अलग से पूछ लें तो अच्छा है। इसमें कन्फ्यूजन हो जायगा। एक नीति सरकार की आनी चाहिये। आप प्रश्न कर लीजिये तो मैं उनसे पूछ लूंगा।

श्री विजयपालसिंह---इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि इस यूनियन को सरकार की ओर से रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है और उससे वह चल रही है, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए यूनियन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बदलने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नीति तो सरकार की कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में यह है कि सारा काम गैरसरकारी लोग और जनता अपने आप करें और यह सवाल उस स्प्रिट में नहीं बैठता है कि जो स्प्रिट इस डिपार्टमेंट की है कि ज्यादा से ज्यादा काम जनता के हाथों में हो और वही इसको चलायें।

श्री झारखंडेराय---मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, यह जितने सवाल यहां पालिसी मैटर के आये हैं उनका जवाब वह देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष---एक अल्पसूचित सवाल आप कर दीजिये, मैं पूछ लूंगा।

रानीखेत विकास सहकारी समिति के अवक्रमण का सुझाव

*३---श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित), श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित), श्री ऊदल, श्री रियासत हुसैन रिजवी, (जिला मुरादाबाद), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सच है कि रानीखेत डेवलपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सन् १९६१ के माह सितम्बर में डी० सी० ओ० अल्मोड़ा ने एफ० आई० आर० दायर की थी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां।

*४—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित), श्री जमादारसिंह (अनुपस्थित), श्री ऊदल, श्री रियासत हुसैन, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या यह सही है कि उक्त एफ० आई० आर० दायर करने के बाद से उक्त सोसाइटी में विभाग द्वारा एक सुपरवाइजर तैनात किया गया, उसकी लगातार फिर उसी प्रकार की रिपोर्ट है जिस प्रकार के जुर्मों की शिकायत एफ० आई० आर० में की गई है? यदि हां, तो इस सोसाइटी को अभी तक सुपरसीड क्यों नहीं किया गया?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां। लेकिन पर्यवेक्षक ने इस विभाग को कोई रिपोर्ट रानीखेत विकास समिति के विरुद्ध नहीं दी है। अतः सोसाइटी को सुपरसीड करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

*५—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित), श्री जमादारसिंह (अनुपस्थित), श्री ऊदल, श्री रियासत हुसैन, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार उक्त एफ० आई० आर० जिस आडिट रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई थी उसकी एक प्रतिलिपि और एफ० आई० आर० की एक प्रतिलिपि† सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रसिंह रावत—रानीखेत विकास सहकारी समिति लि०, रानीखेत की विशेष आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के मेज पर रख दी गई है। एफ० आई० आर० गोपनीय होने के कारण उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती।

श्री ऊदल—श्रीमान्, इस सोसाइटी का विशेष आडिट अभी हाल में हुआ है और आप देखें १९५९-६० का जो आडिट है, उसके पहले यह सोसाइटी ७-५-५६ को रजिस्टर्ड हुई है और जो आडिट रिपोर्ट मेरे पास भेजी गई है उसमें दस लाख से ज्यादा रुपये का गबन बताया गया है और हर मद में बताया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको सुपरसीड न करने का क्या कारण है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत थी और केस जांच में दे दिया गया है। पूरी सोसाइटी का इसमें कोई दोष नहीं समझा गया इसलिये सोसाइटी को नहीं सुपरसीड किया गया। पदाधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है और उनका केस कोर्ट में दे दिया गया है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि थोड़ी सी रकम गबन करने के कारण बहुत सी सोसाइटीज यू० पी० में सुपरसीड की गईं और सरकारी कन्ट्रोल किया गया लेकिन इसको १० लाख के गबन के बाद भी सुपरसीड नहीं किया गया इसका विशेष कारण क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें कोई विशेष कारण नहीं है। जहां कहीं पूरी सोसाइटी का दोष पाया जाता है या पाया जायगा उस पूरी सोसाइटी को सजा दी जाती है और उस पर कार्यवाही की जाती है और जहां कहीं किसी खास व्यक्ति का दोष होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री ऊदल—मैं आपके जरिये से, श्रीमन्, यह पूछना चाहता हूं कि इस आडिट रिपोर्ट को देखा जाय, इससे यह मालूम होता है कि इस सोसाइटी ने जितना काम जिस मद में किया है उसमें गबन, रुपये कादुरुपयोग, और सरकारी पैसे का अपहरण हुआ है, तो क्या यह दायरे के अन्दर नहीं है? म्युनिसिपल बोर्ड, जौनपुर के अन्दर १९ हजार रुपये का गोलमाल था तो सरकार ने उसको सुपरसीड कर लिया?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं लेकिन अगर और भी कोई गड़बड़ी होगी और उसका नोटिस लिया जायगा तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी सोसाइटी की इस गम्भीरता को देखते हुए कि १० लाख रुपये का गबन है और इसके अलावा और भी गड़बड़ है इस केस की पुलिस द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने यह बात कह दी है कि इसकी जांच हो रही है और यह केस कोर्ट में पहुंच गया है।

श्री नरसिंह नारायण पान्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस आडिट रिपोर्ट का माननीय सदस्य श्री ऊदल ने अभी चर्चा किया है वह आडिट रिपोर्ट मन्त्री जी ने देखी है और वह उस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, मैंने वह रिपोर्ट देखी है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सहकारिता मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह व्यक्ति कौन हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसके सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट यानी जो उसके आफिस बियरर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह मुकदमा कोर्ट में चला गया है और इसकी जानकारी मुझे भी है कि यह चला गया है तो यह एफ० आई० आर० गोपनीय कैसे रह गई और इसकी प्रतिलिपि हमको क्यों नहीं दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब यह तो उस वक्त की सलाह थी जिस वक्त यह केस कोर्ट में नहीं गया था और उसी वक्त यह जवाब दिया गया। यह उनकी सलाह थी और कोई खास बात नहीं है कि कुछ लोग जो इस से सम्बन्धित हैं बइज्जत आदमी हैं और माननीय लोग हैं इसलिये इस एफ० आई० आर० को सीक्रेट रखा जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह एफ० आई० आर० डी० सी० अलमोड़ा द्वारा दर्ज कराई गई तो रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, यू० पी० से इसकी परमीशन भी ले ली गई थी या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसे मामलों में मेरा खयाल है कि कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। हरएक आदमी जिसको यह मालूम हो कि कोई गड़बड़ी हुई है तो वह अपनी रिपोर्ट कर सकता है और हर सोसाइटी कर सकती है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी एफ०आई० आर० बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री ऊदल—मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिये दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी संचालक मंडल और सेक्रेटरी की है। "समिति के प्राप्त कागजात के आधार पर लिये गये आडिट के दर्मियान समिति के हिसाबात जो धन का दुरुपयोग किया गया था वह निम्न विशेष आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मु० ५०,०९१.०५ रु० का है जिसकी हानि की जिम्मेदारी और इस धनराशि की समिति की नियमावली के नियम ५९ व ५१ के अन्तर्गत संचालक मण्डल व मन्त्री की होती है। अतः यह रकम समिति के संचालक व मन्त्री के जिम्मे की जाय। तो जब सारी जिम्मेदारी संचालक मण्डल व मन्त्री की बतलायी गयी तो उसे सुपरसीड न करना कहाँ तक न्यायसंगत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं जवाब दे चुका हूं कि जिन-जिन लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेना जरूरी था उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा रहा है।

श्री विजयसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वहां के सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट का नाम क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्री मदनमोहन उपाध्याय, जनरल सेक्रेटरी उस समय थे और प्रेसीडेंट थे श्री गोविन्द सिंह मेहरा।

श्री अध्यक्ष—नाम इसमें दिये हुए हैं—प्रेम वल्लभ पाठक, संयुक्त मन्त्री ....

(व्यवधान)

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सहकारिता मन्त्री कृपा कर प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी के नाम बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोविन्द सिंह मेहरा उसके प्रेसीडेंट थे और मदनमोहन उपाध्याय सेक्रेटरी थे।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि गबन और रुपये की गड़बड़ की जो कार्यवाही पहले हुई थी वह अभी तक जारी है और जो सुपरवाइजर मुकर्रर किया है गवर्नमेंट उससे रिपोर्ट मंगवा कर उस बोर्ड को सुपरसीड करने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान में न्याय के लिये सभी बराबर हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कभी-कभी जब सरकार के अच्छे या बुरे विचारों का समर्थन करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी किसी फंदे में फंसता है तो उसकी मान मर्यादा को बचाने के लिये सरकार हर तरह के कदम उठाती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी सरकार के अच्छे या बुरे विचारों का हर तरह से समर्थन नहीं करता, बल्कि ....

श्री अध्यक्ष—आप सवाल नहीं करते तो बैठिये।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी १९५६ से ले कर पिछले वर्ष तक का आडिट कराने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आडिट बराबर होता है और होता रहेगा।

लखनऊ के सरोजनीनगर ब्लाक में श्रीमती सन्तोष बुद्धराजा की नियुक्ति

*६—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि सरोजनीनगर ब्लाक (लखनऊ) से ट्रेन्ड महिला सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण को हटा कर उनके स्थान पर बी० डी० ओ० ने अपनी पत्नी को नियुक्त करवा दिया जो कि अप्रशिक्षित है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह सच है कि सरोजनीनगर ब्लाक में श्रीमती सन्तोष बुद्धराजा बी० ए०, एल० टी०, जो वहां के बी० डी० ओ० की पत्नी हैं, ३ अप्रैल, १९६१ को सहायक विकास अधिकारी (महिला) नियुक्त हुई थीं। वे समाज शिक्षा में अप्रशिक्षित थीं। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि एक सहायक विकास अधिकारी (महिला) को हटा कर श्रीमती बुद्धराजा की नियुक्ति बी० डी० ओ० ने करा दी थी। श्रीमती बुद्धराजा की नियुक्ति सरोजनी नगर ब्लाक से एक प्रशिक्षित सहायक विकास अधिकारी (महिला) का स्थानान्तरण होने के पश्चात रिक्त स्थान पर कोई अन्य प्रशिक्षित महिला न मिलने के कारण की गई थी।

*७—श्री रामचरण शाह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ब्लाक के विकास अधिकारी के प्रति उस क्षेत्र की जनता तथा कर्मचारियों में घोर असन्तोष है? यदि हाँ, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त ब्लाक के विकास अधिकारी के विरुद्ध शासन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*८-९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माणार्थ ऋण

*१०—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या वित्त मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने बढ़ती हुई कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन पर विचार करके अपने कर्मचारियों को ३ साल का वेतन देना निश्चय किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ के कर्मचारियों को भी गृह निर्माणार्थ बजाय २ साल के तीन साल का वेतन देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो इस हेतु मंहगाई भत्ते को भी तनख्वाह मे जोड़ने की कृपा करेंगे?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को गृह निर्माणहेतु ३ साल का वेतन ऋण देने के सम्बन्ध में जो निर्णय किया है वह प्रदेशीय सरकार को हाल ही में प्राप्त हुआ है, अतः इस सम्बन्ध में कोई निश्चित मत देना अभी सम्भव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माणार्थ ऋण देने के लिये मंहगाई भत्ता को भी वेतन में शामिल करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रसंग में कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है?

श्री जयराम वर्मा—जल्दी ही इस पर निर्णय हो जायगा।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे राज्य के मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों की एक सभा में यह आश्वासन दिया था कि वह बहुत सहानुभूति-पूर्वक मकान बनाने वालों के प्रश्न पर विचार करेंगे और जो सुविधायें इस वक्त माननीय मन्त्री जी ने बताई हैं उससे भी अधिक और दूसरी सुविधायें देने के लिये उन्होंने वचन दिया था?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इसकी जानकारी तो नहीं है लेकिन स्थिति यह है कि हमारे साधन बहुत ही सीमित हैं और बराबर उस प्रश्न पर विचार हुआ है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसी स्थिति में आज जब हमारी सारी शक्ति तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने में लगी हुई है, यह करना बहुत कठिन ही है।

*११—श्री ऊदल—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

चेचक उन्मूलन इकाइयां

*१२—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय राज्य में कितनी चेचक उन्मूलन इकाइयाँ कार्यरत हैं, तथा कितने डाक्टर काम कर रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस समय राज्य के १७ जिलों देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, बुलन्दशहर, नैनीताल, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़ इलाहाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़ में २७ चेचक उन्मूलन इकाइयाँ कार्यरत हैं और उनमें अभी कोई डाक्टर काम नहीं कर रहे हैं। डाक्टरों की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी।

फर्रुखाबाद जिले में नटों व कंजरों को बसाने की योजना

*१३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या समाज कल्याण मंत्री ने इस बात की जानकारी कर ली है कि फर्रुखाबाद जिले में सराय प्रयाग और गुरसहायगंज गांव में जो कंजड़ और नटों के हरिजन व गरीब परिवार जी० टी० रोड पर झोपड़ियां डाले रह रहे हैं उनके रहने के लिये सरकार ने जमीन व मकान आदि के लिये सहायता देने का वचन दिया है ? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां। फर्रुखाबाद जिले में सराय प्रयाग के कंजरों व नटों के परिवार सराय प्रयाग में ही बसना चाहते हैं। इसके लिये सराय प्रयाग की ग्राम सभा द्वारा भूमि दिलाने का प्रयत्न भी किया गया था जो कि अब भी जारी है। भूमि मिल जाने पर इन परिवारों को वहां पर बसाने का कार्य किया जा सकेगा। गुरसहायगंज के नटों को बसाने की अपनी कोई योजना नहीं है, न इन लोगों ने इसके लिये कोई आवेदन-पत्र ही दिया।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह परिवार कितने वर्षों से जी० टी० रोड पर छप्पर डाले बसे हुए हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में गुरसहायगंज, सरायप्रयाग और छिबरामऊ में यह परिवार जी० टी० रोड पर कितने वर्षों से बसे हुए हैं और उनके जानवर वगैरह इसी रोड पर रहते हैं, जिससे ट्रैफिक निकलने में दिक्कत होती है और सदैव दुर्घटनायें होने का डर रहता है। क्या सरकार इन दिक्कतों को देखते हुए शीघ्र ही कोई व्यवस्था करेगी जिससे यह परिवार दूसरी जगह बसाये जा सकें और बसाने में सरकारी सहायता दी जा सके ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—वे परिवार दूसरी जगह उठ कर जाने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार की ओर से जमीन के ले लेने के लिये भी ४,००० रुपये की धनराशि रखी हुई है लेकिन उस जगह पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, अगर उपलब्ध हो जाये तो वहां बसाने की पूरी चेष्टा की जायगी।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो कंजड़ हैं उनके कितने परिवार हैं और कितनी जमीन की उनके लिये आवश्यकता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, वीरसेन जी आपकी तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं।

बस्ती जिलाधीश से श्री रामलखन हरिजन को जातीय प्रमाण पत्र न मिलने की शिकायत

*१४—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री रामलखन नवयुवक, हरिजन, निवासी ग्राम देवरिया गंगा पोस्ट तामेश्वरनाथ, जिला बस्ती ने वहां के जिलाधीश महोदय से जातीय प्रमाण-पत्र पाने हेतु जिला हरिजन कल्याण अधिकारी और श्री शिवनारायण जी, एम० पी०, जिला बस्ती के प्रमाण-पत्र लगा करके उन्हें प्रार्थना-पत्र दिनांक ८ अगस्त, १९६२ को दिया था और अब तक जातीय प्रमाण-पत्र उसे नहीं दिया गया। यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं।

*१५—श्री छेदालाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जातीय प्रमाण-पत्र न पाने के कारण उक्त चर्चित हरिजन नवयुवक अपेक्षित नायब तहसीलदारी की परीक्षा में बैठने से वंचित हो गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रश्न ही नहीं उठता।

*१६-१७—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—[२४ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

झांसी जिले में सहकारी समितियों के सुपरवाइजर

*१८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिला में सहकारी सोसाइटियों; सहकारी बीज भंडारों तथा सहकारी क्रय-विक्रय संघों और साधन सहकारी समितियों में कितने अन्ट्रेंड सुपरवाइजर किस स्थान पर काम कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—झांसी जिले में इस समय ६ अन्ट्रेन्ड सुपरवाइजर निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रहे हैं :—

(१) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, क्रेडिट सुपरवाइजर, महरौनी सर्किल।
(२) श्री नारायण सिंह, क्रेडिट सुपरवाइजर, मऊरानीपुर सर्किल।
(३) श्री मदार बख्श, क्रेडिट सुपरवाइजर, कल्यानपुरा सर्किल।
(४) श्री गौरी शंकर, क्रेडिट सुपरवाइजर, बेका पहाड़ी सर्किल।
(५) श्री नाथूराम अधूरज, क्रेडिट सुपरवाइजर, मारकुवा सर्किल।
(६) श्री महेन्द्र सिंह, क्रेडिट सुपरवाइजर, मऊरानीपुर सर्किल।

*१९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में ऐसे कितने सुपरवाइजर हैं जो झांसी जिले के ही निवासी हैं और वे कितने दिनों से झांसी जिले में ही कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—झांसी जिला निवासी ४ सुपरवाइजर, उनके नाम के सामने लिखी तिथि से झांसी जिले में कार्य कर रहे हैं :—

नाम सुपरवाइजर	तारीख जब से कार्य कर रहे हैं
१—श्री बाबूलाल रिशारिया ..	३—७—५८
२—श्री राम दयाल यादव ..	१६—१०—५८
३—श्री मैथिलीशरण गुप्त ..	अक्तूबर, ६१
४—श्री पंचम चन्द जैन ..	जून, ६१

*२०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६२ तक जिला सहकारी बैंक, झांसी का जिले की किस-किस सोसाइटी पर या उसके सदस्यों पर कितना रुपया कर्जा है, और कब से ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—यह विवरण सदन की मेज पर रखना बैंक के हित में नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी को सूचना है कि मऊरानीपुर में ३ सोसाइटियों पर लगभग ३ लाख रुपया अनियमित तौर पर कर्जा है और उसकी शिकायत होने पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने एक कमेटी बनायी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मेरी इस बात की सूचना मान कर क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, माननीय सदस्य चाहते हैं तो जांच हो जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जब से यह प्रश्न वहां पहुंचा है कुछ अन्ट्रेन्ड सुपरवाइजरों को पृथक कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में १०—१५ दिन के अन्दर पुनः नियुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें बात यों है कि विभाग की तरफ से यह आर्डर गया है कि अन्ट्रेन्ड सुपरवाइजरों की सेवाएं समाप्त कर दी जायं और नये लोगों की नियुक्ति ३—८—६२ को हुई है। ऐसा हो सकता है कि जो लोग नये अप्वाइन्ट हुए वह न पहुंचे हों तो टेम्पोरेरोली किसी ने प्रबन्ध कर लिया हो, लेकिन अब ट्रेंड आदमियों की नियुक्ति के आर्डर्स हो गये हैं कि अन्ट्रेंड के स्थानों पर रखे जायं।

श्री गेंदासिंह—क्या इस मामले में भी जिस तरह से पेंशन-याफ्ता लोगों के अनुभव का लाभ उठाया जा रहा है, यूनियनों में भी उसी तरह इन गबन के कामों में जो उनको काफी अनुभव प्राप्त है, उसका लाभ उठाने के लिए सरकार उन्हें फिर नियुक्त करती है?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सारे प्रदेश में जितने ट्रेन्ड सुपरवाइजरों की जरूरत है उतने उपलब्ध नहीं हैं, इसी कारण अन्ट्रेंड रखे जाते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बात तो साफ जाहिर है, नहीं तो अनट्रेन्ड रखने की जरूरत न हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अन्ट्रेन्ड सुपरवाइजरों के स्थान खाली करा देने के आर्डर क्यों दिये गये? क्या कारण था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इधर ट्रेनिंग के लिए हमने काफी प्रबन्ध किया है और ट्रेंड मिलते जा रहे हैं तो अन्ट्रेन्ड को निकाल रहे हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सुपरवाइजरों का वेतन बहुत थोड़ा है, इस बात के आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिन सुपर वाइजरों का काम अच्छा हो उन्हें उनके ही जिले में भेज दिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा—असल में नियम तो यह है कि जो सुपरवाइजर जिस जिले के रहने वाले हैं वहां न रखे जायं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कोई बहुत अच्छा काम करने वाला हो और वहां की समितियां चाहती हों तो कुछ रेअर केसेज में जिले के जिले में भी रख सकते हैं।

*२१—२२—श्री बद्रीप्रसाद (जिला फतेहपुर)—[हटा दिये गये।]

*२३—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

कोषागार लिपिकों के सेवा नियम

*२४—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या वित्त मंत्री बतलायेंगे कि सन् १९५८ में खजाना कलेक्टरेट से पृथक हुआ उस समय आर० जी० ओ० के द्वारा स्पष्ट किया गया था, कि सेवा की शर्तें तथा वेतन-क्रम में सुधार किया जायगा?

श्री जयराम वर्मा—राजाज्ञा संख्या ए–५६७१/१०५ (२९)/५७, दिनांक १ फरवरी, १९५८, में निम्नलिखित सेवा की शर्तों और वेतन-क्रमों में सुधार का संकेत किया गया था :

(१) बिल पासिंग लिपिकों का वेतन-क्रम ६०—४—८०—५—१२० रु० से बढ़ा कर ८५—६—१४५ रु० कर दिया जायगा,

(२) खजाने के कर्मचारियों के लिये नये सेवा नियम बनाये जायेंगे, तथा

(३) ट्रेजरी आफिसरों के जो पद हेड क्लर्कों तथा कलेक्ट्रेट के अधीक्षकों के लिए सुरक्षित हैं, उनकी पूर्ति क्रमशः २/३ और १/३ के अनुपात से की जायगी।

*२५—श्री बंशीलाल—क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, सन् १९५८ से आज तक आर० जी० ओ० के पैरा ४० के अनुसार सेवा की शर्तों में सुधार की क्या कार्यवाही हुई है?

श्री जयराम वर्मा—आर० जी० ओ० का पैरा ४० कोषागार लिपिकों के नये सेवा नियम बनाये जाने से सम्बन्धित हैं। नियमों का आलेख्य तैयार हो चुका है और उन पर माल, नियुक्ति, न्याय विभागों, महालेखापाल व लोक सेवा आयोग आदि की सम्मति लेकर संशोधनों आदि को सम्मिलित करने के पश्चात् उनको अंतिम रूप दिया जायगा।

*२६—श्री बंशीलाल—क्या यह सही है कि सन् १९५० से लगातार चली आ रही अस्थायी पदों को प्रत्येक वर्ष माल प्रशासन की वार्षिक तालिका में दिखाया जाता है, और उन्हें स्थायी करने की सिफारिश की जाती है? यदि हां, तो स्थायी क्यों नहीं किये जाते?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न में उल्लिखित अस्थायी पदों की कोई वार्षिक तालिका माल प्रशासन विभाग से नहीं आई है। अस्थायी पदों को स्थायी करने के राजस्व परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार करके औचित्य के आधार पर पदों का स्थायीकरण किया जाता है।

श्री बंशीलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बिल पासिंग लिपिक का जो वेतन-क्रम है वह लागू हो गया है? यदि हां, तो वह कब से?

श्री जयराम वर्मा—उस ग्रेड में तो पहले से ही ७२ क्लर्क मौजूद थे। सिर्फ ४३ जरूर ऐसे थे जो १ अप्रैल, १९६० से उस ग्रेड में प्रोमोट कर दिये गये।

श्री बंशीलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २/३ और १/३ के अनुपात में ट्रेजरी आफिसरों के पद पर पदोन्नति की गयी है? यदि हां, तो सन् १९५८ से अब तक कितने ट्रेजरी कर्मचारियों की ट्रेजरी आफिसरों के पद पर पदोन्नति हुई है?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन इसके लिये जो स्थान सुरक्षित हैं, उनमें से जो भी जगह खाली होती है उस पर उसमें से पदोन्नति की जाती है।

श्री दयारामशाक्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतनी लम्बी अवधि तक जब सेवा नियम नहीं बन पाये हैं, तो वह अब कब तक तैयार हो जायेंगे?

श्री जयराम वर्मा—यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है। विभिन्न स्तरों से इसको पास होना पड़ता है, इसलिये देरी हो जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी और ट्रेजरी के कर्मचारियों (लिपिकों) के वेतन-क्रम में कोई अन्तर है?

श्री जयराम वर्मा—स्केल में कोई अन्तर नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक ४ वर्षों का समय हो गया पर नियम नहीं बन पाये हैं, तो वे कोई ऐसा आश्वासन अब देंगे कि कब तक वे नियम बन जायंगे? अधिक से अधिक कितना समय लगेगा?

श्री जयराम वर्मा—सम्भावना यह है कि करीब एक वर्ष और लग जायेगा।

*२७–२८—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, हरदोई में गबन

*२९—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में डी० सी० डी० एफ० (डिस्ट्रिक्ट कोआपरटिव डेवलपमेंट फेडरेशन) के अध्यक्ष जिलाधीश ने अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी नहीं।

*३०—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार को इस बात की सूचना है कि डी० सी० डी० एफ० हरदोई में लगभग दो लाख रुपये का गबन है? यदि हां, तो सरकार ने उसकी क्या जांच की है और क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री चन्द्रसिंह रावत—डी० सी० डी० एफ०, हरदोई के हिसाबात की जांच से पता चला है कि केवल सात कर्मचारियों के जुम्मे ९५,०६७ रुपया १७ नये पैसे के ८ केस बाबत कमी स्टाक व गबन के निकले हैं। जिसमें से एक केस में सजा हो चुकी है, दो केस सेशन कोर्ट, हरदोई में पेंडिंग हैं। दो केस पुलिस इन्क्वायरी में हैं तथा बकिया ३ केस विभागीय इन्क्वायरी के बाद पुलिस को दिये जा रहे हैं।

*३१—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी०सी०डी० एफ०. की संचालक मंडल की २३ मई, १९६२ की बैठक में जो एजन्डा मीटिंग का निकाला गया उसमें Item नं० ८ पर "गबन के केसों की प्रगति पर विचार" पर क्या कार्यवाही आज तक हुई तथा क्या कोई Special Audit बिठाया गया?

श्री चन्द्रसिंह रावत—डी० सी० डी० एफ० के संचालक मंडल की बैठक दिनांक २३–५–६२ के एजेन्डा में आइटम नं० ८ पर गबन के केसों की प्रगति पर विचार का प्रस्ताव स्थगित किया गया था। यह मामला कार्यकारिणी की बैठक दिनांक २५–८–६२ में पेश किया गया और विचार विमर्श के बाद यह तय पाया गया कि शेष समस्त केस पुलिस में दे दिये जायं।

स्पेशल आडिट कराने के लिये चीफ आडिट आफीसर को लिखा गया है।

श्री मोहनलाल वर्मा—प्रश्न २९ के उत्तर में मेरे पास 'हां' आया है और मंत्री जी ने 'नहीं' पढ़ा है। तो क्या समझा जाय?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास भी 'हां' है। मंत्री जी, इसे साफ करने की कृपा करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक मीटिंग के बारे में वाइस-चेयरमैन और चेयरमैन में कुछ मतभेद था, तो उन्होंने लिखा है कि नान-आफीशल चेयरमैन ही कर दिया जाय। हम उसे त्यागपत्र नहीं मानते हैं। केवल उनका सुझाव है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—ये हरदोई जिले के पब्लिक इम्पोर्टेंस के सवाल हैं और चूंकि समय हो चुकने के कारण इन पर सप्लीमेंटरी नहीं हो पाये हैं, इन्हें स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—अगर आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री जी जिलाधीश महोदय के पत्र को पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हो चुका है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, श्री बालोजी अग्रवाल आ गये है ?

(श्री बालोजी अग्रवाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ले लिया जाय। मैंने भी इसी विषय पर नियम ५२ की सूचना दी थी। लेकिन चूंकि अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न कर दिया इसलिए मैंने प्रश्न नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय सदस्य आ जायंगे तो लिया जायगा, नहीं तो आखिर में लिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उसमें तीन सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—जो मैंने व्यवस्था दी है वही रखिये।

*३२-३३—श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

सहकारी संघ, मेजा में गबन

*३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद), श्री मेवालाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के तहसील मेजा, ग्राम लखनपुर, पोस्ट मेजारोड के श्री छविनाथ तिवारी एम० ए०, एल० टी० का कोई पत्र शिकायती दिनांक १४ अगस्त, १९६२ का प्राप्त हुआ है जिसमें सहकारी संघ मेजा में गबन की शिकायत है ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं तथा सरकार ने उस दिशा में कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। शिकायत यह है कि कुछ व्यक्तियों के कारण मेजा रोड सहकारी संघ टूट गया। संबंधित व्यक्तियों पर डिक्री भी ली गई परन्तु पर्याप्त लिखा पढ़ी के बाद भी डिक्री का धन वसूल नहीं हुआ।

जैसा कि शिकायत से ही विदित है संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सालसी डिक्री ली गई है और वे इजराय में है।

सहकारी कोल्ड स्टोरेज, फर्रुखाबाद

*३५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में १२ कोल्ड स्टोरेज तथा नगर में ५ कोल्ड स्टोरेज होते हुये फर्रुखाबाद में एक अन्य सहकारी कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना किस आधार पर बनाई है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारी समितियों के सदस्यों ने जो अधिकतर आलू की खेती करते हैं, मांग की थी कि एक सहकारी कोल्ड स्टोरेज खोला जाय जिसके फलस्वरूप एक सहकारी कोल्ड स्टोरेज फर्रुखाबाद नगर में खोला गया ।

*३६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २५ अगस्त को उसका शिलान्यास सहकारिता मंत्री द्वारा करने का निश्चय हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

सहकारी संघ, छिबरामऊ का प्रार्थनापत्र

*३७—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ लिमिटेड, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री, रजिस्ट्री एवं स्टाम्प विभाग कोआपरेटिव सोसाइटी की दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाने के संबंध में दिनांक १४ मई, १९६२ को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

बिक्री कर की वसूली

*३८—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस व गाजियाबाद में वर्ष १९६०–६१ व १९६१–६२ में कितना बिक्री-कर वसूल होना था तथा कितनी वसूली हुई, यह भी बताने की कृपा करेगी कि हर जगह कितना स्टाफ कार्य कर रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सूचना एक की जा रही है ।

*३९–४०—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१—श्री छेदालाल चौधरी (अनुपस्थित)—[१४ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४२—श्री बसन्त सिंह (जिला बिजनौर)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३—श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

मुंगरा बादशाहपुर विकास खण्ड में सुपरवाइजर द्वारा गबन

*४४—श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि मुंगरा बादशाहपुर विकास खंड के अन्तर्गत किसी सरकारी सुपरवाइजर द्वारा लगभग ८,००० रुपये की धनराशि का अपहरण किया गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला सीनियर आडिटर जौनपुर की रिपोर्ट के अनुसार मुंगरा बादशाहपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित माडण्डीह सहकारी समिति में सुपरवाइजर ने १९५० रु० का गबन किया है । मामले की अभी जांच हो रही है लेकिन सुपरवाइजर जौनपुर जिले के एक अन्य गबन के मामले में निलम्बित हैं ।

*४५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सुपरवाइजर इस समय कहां हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समय यह सुपरवाइजर अपने निवास स्थान (ग्राम सरैया, डाकखाना अतरौरा बाजार, जिला आजमगढ़) पर हो सकते हैं ।

*४६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सुपरवाइजर पहले गबन के मामले में बरख्वास्त हो गया था ? यदि हां, तो इसकी पुनर्नियुक्ति क्यों, कब और किसके द्वारा की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सुपरवाइजर पहले गबन के मामले में बरख्वास्त नहीं बल्कि मुअत्तल किया गया था और वह अब भी मुअत्तल है ।

*४७-४८—श्री श्यामलाल—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९-५०—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग

*५१—श्री रामचरण शाह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सहकारी सुपरवाइजर ट्रेनिंग के कितने केन्द्र हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उत्तर प्रदेश में सहकारी सुपरवाइजर ट्रेनिंग के ८ केन्द्र हैं ।

*५२—श्री रामचरण शाह—उन केन्द्रों पर कितने-कितने छात्र इस समय ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपरोक्त ८ केन्द्रों में से केवल एक केन्द्र पर ७६ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

*५३—श्री रामचरण शाह—एक केन्द्र पर कितना स्टाफ रहता है तथा उसका वार्षिक व्यय कितना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक प्रधानाचार्य, तीन अध्यापक, एक लिपिक, एक चौकीदार, दो चपरासी, तथा दो मेहतर कार्य करते हैं परन्तु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ तथा मुरादाबाद में चपरासी की संख्या प्रति केन्द्र ४ है । इसी प्रकार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, सुल्तानपुर व अलीगढ़ में केवल एक एक मेहतर ही कार्य करता है ।

एक प्रशिक्षण केन्द्र के स्टाफ पर लगभग १८,२०० रु० वार्षिक व्यय होता है ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी की भगनी मंडली संस्था को अनुदान

१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में भगनी मंडली नाम की कोई संस्था है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सन् १९५८ से अगस्त, सन् १९६२ तक कितने हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया गया और इस संस्था के पदाधिकारी व अध्यक्ष कौन इस अवधि में रहे हैं, उनका नाम और पद बताने का कष्ट करें ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। इस संस्था को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में सरकार के समाज कल्याण विभाग से ४,००० रु० तथा उद्योग विभाग से १,००० रु० स्वीकृत हुये थे। १९५७-५८ से १९६०-६१ तक इसे सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया।

इस संस्था में वर्ष १९५८ से सन् १९६२ तक निम्नलिखित पदाधिकारी रहे हैं :—

वर्ष १९५८ से १९५९ तक

१—श्रीमती शान्ती बाई खेर— अध्यक्ष
२—श्रीमती इन्द्रासिंह— उपाध्यक्ष
३—श्रीमती शांती कुमारी सिन्हा— कोषाध्यक्ष

वर्ष १९५९ से १९६० तक

१—श्रीमती शान्ति बाई खेर— अध्यक्ष
२—श्रीमती सरस्वती गुरुदेव— उपाध्यक्ष
३—श्रीमती शांती कुमारी सिन्हा— कोषाध्यक्ष

मई, १९६१ से जुलाई, १९६२ तक

१—श्रीमती शांती बाई खेर— अध्यक्ष
२—श्रीमती उषा भटनागर— उपाध्यक्ष सीनियर
३—श्रीमती सुन्देश्वरी गुरुदेव— उपाध्यक्ष जूनियर
४—सुश्री कांता जैन— उपाध्यक्ष सहायक
५—श्रीमती (डा०) शकुन्तला शास्त्री—मंत्राणी
६—श्रीमती सरस्वती गुरुदेव— कोषाध्यक्ष
७—श्रीमती कुमुदनी माटे— उप मंत्राणी

जुलाई, १९६२ से अब तक

१—श्रीमती शान्ती बाई खेर— अध्यक्ष
२—श्रीमती उषा देवी— उपाध्यक्ष सीनियर
३—श्रीमती कान्ता जैन— उपाध्यक्ष जूनियर
४—श्रीमती पुष्पलता तुसाज— कोषाध्यक्ष
५—श्रीमती (डा०) शकुन्तला शास्त्री—मंत्राणी
६—श्रीमती कुमुदनी माटे— उप मंत्राणी।

२—श्री बालोजी अग्रवाल—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थानान्तति किया गया।]

सहकारी दुग्ध संघ, इलाहाबाद के मैनेजर के विरुद्ध, कार्यवाही पर विचार

३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद सहकारी दुग्धसंघ, बाई का बाग द्वारा मिलावटी दूध बेचने के संबंध में १८ नमूने मिलावट के पाये गये थे? जिसके संबंध में कार्यवाही करने हेतु नगरमहापालिका ने सरकार से इजाजत मांगी थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने इजाजत कार्यवाही करने की दे दी है? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। नगरमहापालिका इलाहाबाद ने इस संबंध में संघ के डेरी मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही करने की इजाजत सरकार से मांगी है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

गरौठा तहसील में रजिस्ट्री दफ्तर खोलने का आदेश

४—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में कब से रजिस्ट्री आफिस खुल जावेगा और विभाग की ओर से इस संबंध में क्या किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने जिला झांसी की तहसील गरोठा में रजिस्ट्री दफ्तर खोलने के लिये प्रधान निबंधन निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, को उचित आदेश जारी कर दिये हैं।

५-६—श्री रघुनाथसिंह—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

हरिजन कल्याण विभाग, वाराणसी

७—श्री रघुनाथसिंह—वाराणसी जिले के हरिजन कल्याण विभाग में हरिजन कर्मचारी कितने हैं और उनका पद क्या-क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—हरिजन कर्मचारी केवल ४ हैं जिनका पद निम्न प्रकार है।

हरिजन कल्याण

सुपरवाइजर ———————— २
लिपिक ———————— १
चपरासी ———————— १

८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सहकारी दुग्ध संघों का आय-व्यय

९—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन शहरों में मिल्क सप्लाई कोआपरेटिव स्थापित की गई है और कब से और उनमें शुरू से लेकर अबतक प्रतिवर्ष कितने की आय व कितना व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में सहकारी दुग्ध संघ स्थापित किये गए हैं और उनके स्थापना का वर्ष प्रत्येक के सामने दिया हुआ है :

संस्था का नाम तथा नगर	वर्ष स्थापना
१—सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ	१९३८
२—सहकारी दुग्ध संघ, इलाहाबाद	१९४१
३—सहकारी दुग्धसंघ, वाराणसी	१९४७
४—सहकारी दुग्ध संघ, कानपुर	१९४८
५—सहकारी दुग्ध संघ, हल्द्वानी, (नैनीताल)	१९४९
६—सहकारी दुग्ध संघ, मेरठ	१९५०
७—सहकारी दुग्ध संघ, अल्मोड़ा	१९५४
८—दुग्ध क्रय विक्रय समिति, अलीगढ़	१९६०
९—सहकारी दुग्ध संघ, देहरादून	१९६२
१०—सहकारी दुग्ध संघ, बरेली	१९६२

संस्था का नाम तथा नगर			वर्ष स्थापना
११—सहकारी दुग्ध संघ, किठौर (मेरठ)	..	..	१९६२
१२—सहकारी दुग्ध संघ, मुरादनगर (मेरठ)	..	..	१९६२
१३—सहकारी दुग्ध संघ, पिलखुवा (मेरठ)	..	..	१९६२
१४—सहकारी दुग्ध संघ, बागपत (मेरठ)	..	..	१९६२
१५—कानपुर मिल्क बोर्ड, कानपुर	..	..	१९६२

सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, हल्द्वानी, मेरठ तथा † अल्मोड़ा के स्थापना काल से जून, १९६१ तक का प्रत्येक वर्ष के आय व्यय का ब्योरा परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। सहकारी दुग्ध क्रय विक्रय समिति, अलीगढ़ १९६० में स्थापित हुई। उसकी १९६१-६२ की कुल आय २,३१,३९० रु० और व्यय १,२८,७२९ रु० हुआ। शेष दुग्ध संघ वर्तमान वर्ष में ही स्थापित हुए हैं अतः उनके चालू वर्ष के आय व्यय का ब्योरा देने का प्रश्न नहीं उठता।

१०—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि दूध वितरण का भाव अलग-अलग क्या है और प्रत्येक को सरकार ने कितना कर्जा और अनुदान अब तक दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रत्येक दुग्ध संघ के दुग्ध वितरण का वर्तमान भाव निम्नलिखित है :

		भाव	
		बोतल में	खुला हुआ
१—सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ	..	७४ न० पै० प्रति लिटर	६८ न० पै० प्रति लिटर
२—सहकारी दुग्ध संघ, इलाहाबाद	..	७८ न० पै० प्रति लिटर	७२ न० पै० प्रति लिटर
३—सहकारी दुग्ध संघ, वाराणसी	..	औसत दर ६८ न० पै०	
४—सहकारी दुग्ध संघ, कानपुर	..	७८ न० पै० प्रति लिटर	६८ न० पै० प्रति लिटर
५—सहकारी दुग्ध संघ, हल्द्वानी	..	—	२६.०३ रु० प्रति मन औसत दर।
६—सहकारी दुग्ध संघ, अल्मोड़ा	..	—	६० न० पै० प्रति सेर।
७—दुग्ध सहकारी क्रय विक्रय समिति अलीगढ़		—	१८ रुपये प्रति मन।

सहकारी दुग्ध संघ, मेरठ सन् १९६० से बंद हो गया है। शेष सहकारी दुग्ध संघ जो मेरठ जिले में स्थित हैं वे दिल्ली दुग्ध योजना को कमीशन पर दुग्ध देते हैं।

इन सहकारी दुग्ध संघों को राज्य सरकार ने अब तक जो आर्थिक सहायता कर्जे तथा अनुदान के रूप में दी है † परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

†छापी नहीं गई।

बुझिया एवं मझावां ग्रामों में विमुक्त जातियों को बसाने की योजना

११—**श्री मंगलप्रसाद आर्य** (जिला बहराइच)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त जाति के बसाने के लिये ग्राम बुझिया, जिला बहराइच में जो योजना चल रही है उसमें उसने अब तक क्या प्रगति की है तथा कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ग्राम बुझिया एवं मझावां, जिला बहराइच में विमुक्त जाति के १०० परिवारों को बसाने की योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत ५१० एकड़ भूमि के ६–६ एकड़ के प्लाट बनवा कर परिवारों को कृषि के लिये दिया जा चुका है तथा शेष भमि की मेड़ बंदी का तथा खेत तैयार करने का ठेका दिया जा चुका है। ५३ जोड़ी बैल तथा ९ बैल गाड़ियां भी खरीदी जा चुकी हैं। इस समय ६२ परिवारों को स्थायी रूप से बसाया जा चुका है। जिनको मकान तथा सिंचाई के साधन के अलावा लगभग सभी सुविधायें प्रदान की जा चुकी हैं।

इस योजना पर अब तक ७१,०२९ रु० ५७ नये पैसे व्यय हुआ है।

१२—**श्री मंगलप्रसाद आर्य**—क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने आदमी आये जिसमें इस समय कितने आदमी स्थायी रूप से बसे हुये हैं और शेष कितने आदमी भाग गये तथा भागने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अब तक कथित योजना में १२० परिवार बसने के लिये आये, उनमें से ६३ परिवार स्थायी रूप से और ३३ परिवार अस्थायी रूप से बसे हुये हैं। २४ परिवारों में से एक व्यक्ति का एक परिवार उसकी मृत्यु से नष्ट हो गया तथा २३ कालोनी छोड़कर चले गये। कालोनी छोड़ने के कारणों में जंगल का भय, मलेरिया तथा जलवायु का उनके लिये अनुकूल न होना है।

१३—**श्री मंगलप्रसाद आर्य**—क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी भाग गये वह कितने-कितने समय तक कालोनी में रहे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—भागे हुये परिवारों का कालोनी में रहने का समय नीचे दी गई तालिका के अनुसार है—

भागे हुये परिवारों की संख्या	कालोनी में रहने का समय मास
३	६ मास
५	२ ,,
४	४ ,,
१	७ ,,
१	३ ,,
२	१/२ ,,
१	३ १/२ ,,
१	२ १/२ ,,
१	१ १/२ ,,
१	५ ,,
१	११ ,,
१	२ वर्ष ४ मास
१	१ वर्ष १ मास

मलेरिया एवं फाइलेरिया यूनिट

१४—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य में कितने फाइलेरिया के यूनिट तथा कितने मलेरिया यूनिट हैं और इनमें कितने डाक्टर क्रमशः काम कर रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—राज्य में इस समय ८ फाईलेरिया कन्ट्रोल यूनिट हैं जिनमें ७ डाक्टर कार्य कर रहे हैं। ३ फाइलेरिया सर्वे यूनिट हैं जिन में २ डाक्टर कार्य कर रहे हैं।

६७ मलेरिया यूनिट हैं जिनमें ५९ डाक्टर कार्य कर रहे हैं।

१५-१६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा ट्रेजरी में हरिजन

१७—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत साल जितने स्थाई एवं अस्थाई पदों की पूर्ति की गई है उनमें कितने हरिजन हैं?

श्री जयराम वर्मा—गोंडा कोषागार में गत वर्ष मुख्य लिपिक का स्थायी पद तथा सहायक मुख्य लिपिक का अस्थाई पद रिक्त हुआ।

मुख्य लिपिक के स्थाई पद पर नीचे के स्थाई लिपिक की स्थाई रूप से पदोन्नति कर दी गई तथा एक अन्य लिपिक को जो सन् १९५४ से अस्थायी रूप से काम करते आ रहे थे, लिपिक के पद पर स्थायी कर दिया गया।

सहायक मुख्य लिपिक के अस्थायी पद पर एक अन्य अस्थायी लिपिक की जो सन् १९५६ से कार्य कर रहे थे, पदोन्नति की गई।

इस प्रकार अन्ततः श्रंखलित व्यवस्था में दो निम्न श्रेणी के लिपिकों के अस्थाई पद रिक्त हुये उन पर उन व्यक्तियों को जो अवकाश आदि में कार्य करते रहे थे, और ट्रेजरी के कार्य में प्रशिक्षित थे नियुक्त कर दिया गया। इनमें कोई भी हरिजन नहीं थे।

उन्नाव जिले में हरिजन कूप निर्माणार्थ अनुदान

१८—श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में वित्तीय वर्ष १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ व १९६१-६२ में हरिजनों के कूप निर्माण हेतु कितना धन हरिजन कल्याण विभाग द्वारा दिया गया था?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—निम्न प्रकार से—

वर्ष				स्वीकृत किया गया धन
				रु०
१९५८-५९	..	..	..	४,०००
१९५९-६०	..	..	..	१६,७५०
१९६०-६१	..	..	..	२५,५००
१९६१-६२	..	..	..	२१,०००
				६७,२५०

१९—श्री भीखालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त वर्षों में अलग-अलग कितने-कितने कुओं के लिये स्वीकृति दी गई, उनमें से कितने कुयें बने जिनको पूरा अनुदान दिया गया, कितने कुयें बन गये और वाउचर इत्यादि दाखिल हो गये परन्तु अनुदान नहीं दिया गया और कितने कुयें अनुदान न मिलने के कारण अधूरे रह गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९६ पर)

उन्नयन बस्तियों की हरिजन पाठशालायें

२०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी उन्नयन बस्तियों में प्राइमरी पाठशालायें व जूनियर हाई स्कूल कार्य कर रहे हैं और उनके प्रधान व सहायक अध्यापकों को क्रमशः क्या वेतन-क्रम इस समय दिया जा रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—दो उन्नयन बस्तियों में से एक में एक प्राइमरी तथा दूसरी में एक जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं। वेतन-क्रम संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९७ पर)

२१—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उन्नयन बस्तियों के प्रधान व सहायक अध्यापकों तथा स्थानीय निकायों, राजकीय प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के वेतन-क्रम में क्रमशः क्या अन्तर है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—तुलनात्मक वेतन-क्रम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९७ पर)

२२—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उन्नयन बस्तियों के अध्यापकों का वेतन-क्रम अन्य संस्थाओं के अध्यापकों के समान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। सरकार शीघ्र ही विचार करेगी।

जौनपुर जिले में सहकारी फार्म

२३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सहकारी फार्म कितने और कहाँ हैं ? उनके पदाधिकारी कौन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—चार सहकारी कृषि समितियाँ हैं—

(१) जयसिंहपुर सामूहिक सहकारी कृषि समिति, पो० न्योरिया वाला—पदाधिकारी—

प्रधान—श्री संकठा प्रसाद

मन्त्री—श्री रामराज

कोषाध्यक्ष—श्री कालीचरन।

(२) रानीपुर संयुक्त सहकारी कृषि समिति, पो० रानीपुर—पदाधिकारी—

प्रधान—श्री अचलबिहारी लाल

मन्त्री, कोषाध्यक्ष—अभी कोई नहीं है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

(३) ख्योरी संयुक्त सहकारी कृषि समिति, पो० सोतीपुर—पदाधिकारी—
प्रधान—श्री मेंहदी जाफरी
मन्त्री—श्री हनीफ
कोषाध्यक्ष—श्री मेंहदी जाफरी।

(४) नवीन संयुक्त सहकारी कृषि समिति, बेरीगाँव, पो० मीरगंज—पदाधिकारी—
प्रधान—श्री सदानन्द मिश्र
मन्त्री—श्री शेषनारायण
कोषाध्यक्ष—राजनारायणसिंह।

इनमें जयसिंहपुर तथा रानीपुर समितियाँ इस समय सुषुप्त हैं तथा कार्य नहीं कर रही हैं।

२४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—उक्त प्रत्येक फार्म को अब तक राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कामों के लिये कितना अर्ज अथवा अनुदान दिया जा चुका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब तक जयसिंहपुर समिति को १९५१–५२ में १ हजार रुपये का अनुदान तथा ख्योरी समिति को १९५९–६० में १ हजार रुपये का अनुदान, १९६१–६२ में १८५० रुपये का अनुदान तथा ७,७५० रुपये का ऋण दिया गया।

२५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—उक्त फार्मों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या मजदूरी दी जाती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्रमिकों को १ रुपया से २ रुपया तक की दर से मजदूरी दी जाती है।

२६–२७—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—[हटा दिये गये।]

राजकीय छात्र चिकित्सालय, गोरखपुर में डाक्टर न होना

२८—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर शहर में राजकीय छात्र चिकित्सालय को किन–किन स्कूलों और कालेजों से जुलाई, सन् १९६१ से जून, सन् १९६२ तक कितना-कितना रुपया मिला?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८९८ पर)

२९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त धनराशि का खर्च डाक्टर की तनख्वाह देने में भी होता है? यदि हाँ, तो अब तक उक्त चिकित्सालय में डाक्टर न रहने के कारण कितने रुपये की बचत अस्पताल में हुई है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं। इस धनराशि से डाक्टर को तनख्वाह नहीं दी जाता। यह धनराशि सरकारी कोषागार में विद्यालयों द्वारा जमा किया जाता है। डाक्टर की तनख्वाह स्वास्थ्य विभाग के बजट से दी जाती है।

३०—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त अस्पताल में डाक्टर न रखने का कारण क्या है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस विभाग में डाक्टरों की कमी होने के कारण अभी तक इस अस्पताल में किसी डाक्टर को नियुक्त नहीं किया जा सका।

मन्त्री परिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मन्त्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—बहुत से विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं और इसी से सम्बन्धित या इसी अध्याय से सम्बन्धित हैं, कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—इस विषय के कारण बड़ा भ्रम फैल गया है। मैं चाहूंगा कि अपना निर्णय देने से पहले आप सब लोगों को सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—जरूर सुनूंगा। माननीय श्रीपालसिंह जी के प्रस्ताव के साथ सबको सुन लिया जाय तो अच्छा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुंवर साहेब का विषय अलग है और बाकी लोगों के थोड़े से भिन्न हैं। यद्यपि घटनायें सब एक ही हैं। इसलिये एक ही में सब को न करके अलग-अलग सुन लें, फिर श्रीमन् जो इस पर निर्णय दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्रीपालसिंह जी के प्रश्न से भिन्न है। मैंने मुख्य मन्त्री के भाषण पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था। उसके बाद प्रेस जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन की कल मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने.....

श्री अध्यक्ष—आपका प्रोपोजीशन क्या है? इसी सम्बन्ध में माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद और रक्षपालसिंह जी का भी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मेरा प्रोपोजीशन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से सदन को मिसलीड किया है जिससे इस सदन में और प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पैदा हो गई है। मुख्य मन्त्री जी का सदन में दिया हुआ भाषण अवसर तथ्य से परे है।

श्री अध्यक्ष—आपका उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न है। ठीक है। अब मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह जानना चाहूंगा कि उनका जो यह खयाल है कि सबको अलग-अलग सुनूं तो अलग-अलग दिन सुनूं, या एक ही दिन?

श्री यादवेन्द्रदत्त—घटना-चक्र तो एक ही है, परन्तु अलग-अलग दृष्टिकोण से लोगों ने दिये हैं। उससे भिन्नता हो गई है। इसे कई दिन करना भी उचित नहीं होगा। आज ही आप सबको सुन लीजिये। फिर अपना निर्णय लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है वह स्पष्टतः माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध है और माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह का विशेषाधिकार का प्रश्न एक पत्र "नेशनल हैरल्ड" के विरुद्ध है। यदि दोनों साथ ले लिये जायेंगे तो गंभीरता किधर रहेगी? कहां ज्यादा जोर रहेगा? इसलिये एक साथ दोनों को मिलाना ठीक नहीं होगा। स्थित अब ऐसी आ गयी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को स्तीफा दे देना चाहिये। इसलिये आप हमारे वाले प्रश्न को पहले ले लें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मेरी भी इसके संबंध में एक कंपलेन्ट है और बहुत वाइड है।

श्री अध्यक्ष—आप का मोशन नियम ६४ के अन्तर्गत है, वह भी विशेषाधिकार से संबंधित है तो फिर अब आप क्या कह रहे हैं?

श्री दीपनारायणसिंह—आप उन विशेषाधिकार के प्रस्तावों को पढ़ लें। आप देखेंगे कि वे कुंवर श्रीपाल सिंह जी वाले से मिलते नहीं हैं क्योंकि किसी भाषण का गलत छप जाना एक चीज है और सदन के अन्दर गलत बयान देना दूसरी चीज है। इसलिये मेरा कहना है कि दोनों को अलग-अलग लें।

श्री अध्यक्ष—मैं अभी उन सब को पढ़ लूंगा। जैसा कि माननीय नेता विरोधीदल ने कहा कि सभी नियम ३१९ के अन्तर्गत हैं। इसलिये जब तक मैं उन सब को पढ़ न लूं तब तक दूसरा कार्यक्रम चले। २ बजे मैं इनको ले लूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त—कुंवर श्रीपाल सिंह जी का प्रस्ताव आपके सामने कल से है और मेरा विश्वास है आपने उसको देख भी लिया होगा, इसलिये उसको आप इसी समय ले लें क्योंकि जैसी आपने कहा दो बजे बहुत विलम्ब हो जायगा। अगर उसको जल्दी ले सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधीदल का कहना ठीक है लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं ही अनुभव किया सब का घटनाचक्र एक ही है, इसलिये उन सब को स्टडी करने के बाद ही मैं लूंगा। नियम ३१९ इस प्रकार है—

"३१९—सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य की सापेक्ष पूर्वता जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये, सापेक्ष पूर्वता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी....।

इस खयाल से मैं इसे जरा देख लूं। मैं आपही से शुरू करूंगा लेकिन कुछ देर के बाद।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आप मुझे कब सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं आपको २ और ढाई बजे के बीच में बुलाऊंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—मेरा वाला तो श्रीमन्, कल से है। अगर उसको अभी ले लिया जाय तो बड़ी कृपा होगी....।

श्री अध्यक्ष—मैं इनको देख लूं। अभी मैं यह तय नहीं कर पाया कि इनको किस प्रकार से लिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, आप मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न पर आज व्यवस्था देने वाले थे ?

श्री अध्यक्ष—मैं अभी अपनी व्यवस्था दिये देता हूं।

***श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)**—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप २ बजे से इन प्रश्नों को लेंगे और २ बजे से शायद माननीय सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर आप देंगे। तो प्रश्न मोटे तौर पर तो मालूम है लेकिन उन प्रश्नों की जानकारी, जो आपके सामने उठाये गये हैं और नोटिसें दी गयी हैं, हम लोगों को भी हो जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—वह मैं करूंगा, १ बजे उठने से पहले मैं सब पढ़ कर सुना दूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव इसी घटना के सम्बन्ध में, जिस पर अभी बातचीत हो रही थी, है, उसको मैंने इसी में शामिल कर लिया है। एक और कामरोको प्रस्ताव देवरिया जिले के सदर अस्पताल की एक महिला के सम्बन्ध में है जिसे माननीय चन्द्रबलीसिंह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने दिया है। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इसमें कहा गया है कि समाचार-पत्रों से यह मालूम हुआ है तो समाचार-पत्रों में अगर कोई बात निकलती है, तो वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, माननीय सदस्य अपनी निजी जानकारी के ऊपर इसे बतला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में जो जानकारी की बात आप कहते हैं तो वह अल्पसूचित प्रश्न से भी हो सकती है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैंने भी शिकोहाबाद की बाबत एक दिया है।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---पहले मैं बोल लूं, तो आप बोल लेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त---श्रीमन्, मैं एक जानकारी जानना चाहता हूं कि माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था उस विषय के ऊपर, तो आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव दोनों को एक में शामिल कर लिया है?

श्री अध्यक्ष---शामिल तो नहीं किया है लेकिन मैंने अभी उसको खारिज भी नहीं किया है, उसे रिजेक्ट नहीं किया है। लेकिन अब उसको कहां तक लिया जाय इस विचार से कि प्रिविलेज मोशन आ रहा है, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---तो क्या मैं समझूं कि इस पर विचार करके आप आज दो बजे अपनी व्यवस्था देंगे?

श्री अध्यक्ष---हां, हां।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, माननीय चन्द्रबली सिंह वाले प्रश्न को भी नियम ५२ के अन्तर्गत ले लें और उसके ऊपर वक्तव्य तो दिलवा दें, क्योंकि माननीय सदस्य ने अपनी जानकारी से यह कहा है।

श्री अध्यक्ष---मैं उस पर सोचूंगा, अलग ले सका तो ले लिया जायगा। और जितने नियम ५२ के हैं उन सबको मैंने अस्वीकृत किया है और प्रत्येक पर लिख दिया है कि सम्बन्धित सदस्य कृपा कर इसे देख लें। यह आदेश मैंने दे दिया है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, ऐसे आदेश कभी दिखलाये नहीं जाते।

श्री अध्यक्ष---आप देखना नहीं चाहते, आप देखना चाहें तो मैंने आदेश दे दिया है कि प्रत्येक सम्बन्धित सदस्य को इसकी सूचना दिखला दी जाय।

श्री उग्रसेन---माननीय रघुनाथ सिंह कई दिन से दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---देखना चाहें तो देख लें, मेरे कमरे में रहेगा। जो भी देखना चाहे देख सकता है।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों द्वारा दिनांक १७ दिसम्बर, १९६२ को दी गई सूचनाओं पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य होगा। कौन मन्त्री वक्तव्य देंगे?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---श्रीमन्, मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

चुर्क मजदूर सभा की ओर से हड़ताल का एक नोटिस चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर को गत दिनांक २८ अगस्त को प्राप्त हुआ था जिसमें मजदूरों की ओर से २४ मांगें पेश की गई थीं। इनमें सीमेंट वेज बोर्ड (Cement Wage Board) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की एक मांग को छोड़ अन्य सभी मांगें ऐसे अनुचित एवं गलत ढंग की थीं कि उनको मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं था। डायरेक्टर ने इन मांगों पर विस्तृत टिप्पणी करते हुए इस आशय का एक जवाब दिनांक १० सितम्बर को मजदूर सभा के पास भेज दिया, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि ये सभी मांगें निराधार हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जाना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। इस जवाब के अतिरिक्त भी फैक्ट्री के प्रबन्धकों की ओर से इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया कि मजदूर अपनी मांगों के औचित्य को समझ सकें व गलत कदम उठाने से बाज आवें।

परन्तु इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी यह खेद का विषय है कि चुर्क मजदूर सभा अपनी जिद पर अड़ी रही और १५ सितम्बर की सुबह से मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। सीमेंट फैक्ट्री के साथ-साथ ही चुर्क रिफेक्ट्रीज फैक्ट्री में भी हड़ताल आरम्भ कर दी गई, जिसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया था और जो इस कारण गलत होने के साथ ही साथ नाजायज और गैर-कानूनी भी है। चुर्क से प्राप्त ताजे समाचारों से ऐसा विदित होता है कि घुरमा की क्वेरी (Quary) में हड़तालियों का जोर अधिक नहीं है। वहां पर लगभग ८० प्रतिशत मजदूर काम पर हैं और क्वेरी का काम लगभग बदस्तूर चल रहा है। इसी प्रकार क्लर्कों तथा चपरासियों व चौकीदारों आदि में भी हड़तालियों का असर नहीं के बराबर है और वे करीब-करीब पूरी संख्या में काम पर आ रहे हैं। परन्तु सीमेंट फैक्ट्री में हड़ताल का काफी असर है और इस से फैक्ट्री के उत्पादन को काफी धक्का पहुंचा है। ताजे समाचारों से पता चलता है कि १,१८२ मजदूरों में से केवल ४६२ काम पर आ रहे हैं।

हड़तालियों ने काम पर आने वाले मजदूरों को डराने धमकाने की बहुत चेष्टा की है और बराबर कर रहे हैं। डायरेक्टर के पास इस प्रकार की अनेक शिकायतें आई हैं जिन के अनुसार काम पर आते हुए मजदूरों को धमकाया गया है। पुलिस में भी इस प्रकार की कई रिपोर्टें हुई हैं। साथ ही साथ फैक्ट्री में तोड़-फोड़ की चेष्टा हड़तालियों ने की है। जैसा कि श्री काशी नाथ मिश्र ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि रोपवे (Rope way) को नष्ट करने का एक प्रयत्न किया गया जिससे नुकसान भी हुआ है। इसी प्रकार कई अन्य प्रयत्न भी अधिकारियों की जानकारी में आए।

हड़तालियों के इस गैर-जिम्मेदार रवैये तथा तोड़-फोड़ की चेष्टा के बावजूद भी फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने तथा स्थानीय अधिकारियों ने बड़े संयम से काम लिया है। मजदूरों की कार्यवाहियों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप करने की चेष्टा इस आशा में नहीं की गयी है कि शायद मजदूर स्वयं अपनी गलती को समझेंगे और ठीक रास्ते पर आयेंगे। अतएव स्थानीय पुलिस पी० ए० सी० अथवा फैक्ट्री के प्रबन्धकों पर लगाये गये ज्यादती करने अथवा जबरदस्ती मजदूरों को काम पर लाने का प्रयत्न करने के आरोप बिलकुल बेबुनियाद और गलत हैं। वास्तविकता यह है कि पुलिस ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अभी तक इस हड़ताल में नहीं किया है और यहां तक कि धमकाने आदि की जो शिकायतें काम पर जाने वाले मजदूरों ने की हैं उन पर भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। १८ सितम्बर तक के प्राप्त समाचारों के अनुसार स्थानीय अधिकारियों ने दफा १४४ के अन्तर्गत भी कोई आज्ञा नहीं निकाली थी और मजदूर बराबर अपने जुलूस आदि निकाल रहे थे और फैक्ट्री के दरवाजे आदि पर मीटिंग आदि कर रहे थे। एक भी गिरफ्तारी इस सिलसिले में कल तक नहीं हुई थी। जहां तक पी० ए० सी० का सम्बन्ध है सरकार की सूचना यह है कि १८ तारीख से पहले कोई पी० ए० सी० की यूनिट वहां पर थी ही नहीं, अतएव उनकी ओर से ज्यादती किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इसी प्रकार फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने भी अभी तक अतीव संयम से काम लिया है और भरसक मजदूरों को समझा बुझा कर शान्ति की राह पर लाने के लिये प्रयत्नशील हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सरकार की ओर से किसी प्रकार की ज्यादती होने के आरोप सर्वथा निराधार हैं।

जहां तक मजदूरों की मांगों का सम्बन्ध है, यह कहना सर्वथा अनुचित है कि वेज बोर्ड की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया। वेतन के सम्बन्ध में की गई इन सिफारिशों को पूर्णतया कार्यान्वित करने के आदेश सरकार ने लगभग १ १/२ साल पहले अप्रैल, १९६१ में ही जारी कर दिये थे। इन आदेशों पर मजदूरों की ओर से जो एतराज प्राप्त हुये थे उन पर भी अन्तिम शासकीय आदेश अक्तूबर, १९६१ में लगभग एक वर्ष पहले जा चुके हैं। साथ ही यह आदेश यूनियन व मजदूरों के नेताओं से परामर्श करके भेजे गये थे। यही नहीं इन आदेशों का पूर्णरूपेण पालन भी हो चुका है और अब सब मजदूरों को केवल वेतन ही नये आदेशानुसार नहीं मिल रहा है बल्कि साथ ही साथ नये वेतन के अनुसार पुराना बकाया भी उन्हें पूरा चुकाया जा चुका है।

यह सत्य है कि इन आदेशों के जारी होने के बाद भी मजदूरों की ओर से कुछ एतराज आये हैं जो कि विचाराधीन हैं मगर इस प्रकार के एतराज अब मजदूरों की कुल १६० श्रेणियों में से केवल १७ श्रेणियों के वेतन की बाबत हैं जिनमें कुल मजदूरों की १० प्रतिशत संख्या भी नहीं आती। इससे यह स्पष्ट है कि केवल थोड़े से आदमियों को छोड़कर अधिकतर मजदूरों के वेतन का मामला पूर्णरूपेण तय हो चुका है और उनके विषय में स्वयं यूनियन की ओर से भी कोई एतराज बाकी नहीं है। अतएव यह कहना कि वेज बोर्ड की सिफारिशों को सरकार ने मानने में देर की और इस कथन को हड़ताल का आधार बनाना सर्वथा असत्य एवं अनुचित है।

वेज बोर्ड से सम्बन्धित मांगों को छोड़कर मजदूरों की अन्य सभी मांगें सर्वथा अनुचित हैं। जबकि अभी हाल में वेज बोर्ड ने सीमेंट के कारखानों के मजदूरों के वेतन आदि के विषय में निर्णय लिया है और उनके अनुसार मजदूरों के वेतनक्रम में पर्याप्त वृद्धि भी हुई है तब वेज बोर्ड की सिफारिशों के भी आगे जा कर और सुविधाओं की मांग किसी प्रकार भी उचित नहीं कही जा सकती है।

प्रदेश के औद्योगीकरण की नीति को अपना कर सरकार ने यह कारखाना एक पिछड़े हुये इलाके में खोला ताकि उस क्षेत्र के विकास में सुविधा हो सके। इस कारखाने से किसी प्रकार का अत्यधिक आर्थिक लाभ उठाने की सरकार की कभी चेष्टा नहीं रही और न ऐसा कोई लाभ सरकार को हुआ। साथ ही मजदूरों के हितों को ध्यान में रख कर सरकार ने उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाओं को देने का प्रयत्न किया जो ऐसे अन्य कारखानों में तथा इस पिछड़े हुये क्षेत्र में साधारणतया अप्राप्य थीं। अपनी शुरू की लागत को बढ़ाकर भी सरकार ने सवा करोड़ से ऊपर रुपया इस बात पर व्यय किया कि मजदूरों के लिये सस्ते मकानों तथा मुफ्त बिजली, पानी, चिकित्सा व शिक्षा आदि का प्रबंध हो सके। वेज बोर्ड की सिफारिशों के अलावा ये सब सुविधायें इस कारखाने के मजदूरों को आज से वर्षों पहले से प्राप्त हैं। वेज बोर्ड की सिफारिशों को तुरन्त मानकर तथा कार्यान्वित करके सरकार ने कम से कम ३–४ लाख रुपये सालाना का भार और ले लिया है। हर दृष्टिकोण से सरकार की इतनी कार्यवाही बहुत पर्याप्त मानी जानी चाहिये और इससे अधिक बोझ कारखाने पर डालना और उसे आर्थिक दृष्टि से अपंगु बना देना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है।

सरकार को अत्यन्त खेद है कि इन सब बातों को भली-भांति जानते हुये भी मजदूरों व उनके कुछ गलत ढंग के सलाहकारों ने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा और हड़ताल का कदम उठाया। उनका इस प्रकार हड़ताल करना अखिल भारतीय त्रिदलीय सम्मेलनों के उन सब निश्चयों के विपरीत है जिनके अनुसार हड़ताल जैसी कार्यवाही शांतिपूर्ण समझौते के समस्त चेष्टाओं के बाद ही की जानी चाहिये। साथ ही कुछ मजदूरों ने जो तोड़-फोड़ और धमकी आदि का रवैया अपनाया है वह अत्यन्त खेदजनक है। सरकार व स्थानीय अधिकारियों ने

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

अभी तक बड़े संयम व धैर्य से काम लिया है और शांतिपूर्ण ढंग से मजदूरों को उनको गलती समझाने की चेष्टा की है। परन्तु इस प्रकार की गैर-कानूनी कार्यवाही यदि जारी रही और काम पर आने वाले मजदूरों अथवा कारखाने के सामान पर अनुचित आक्रमण की चेष्टा होती रही तो मजबूरन सरकार को भी शांति व्यवस्था के हित में तथा अनुचित नुकसान को बचाने के लिये उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि इतने बड़े वक्तव्य के पढ़ने के बाद, या इतने बड़े वक्तव्य में इस बात का कहीं स्पष्टीकरण नहीं है कि प्वाइंट आफ डिस्प्यूट किस किस विषय पर मजदूरों के थे, क्या उनके एतराज थे, वह प्वाइंट आफ डिस्प्यूट्स क्या हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---वह तो बहुत सी मांगें हैं। मेजर बातें बता दूं २,४, जिससे आपको विदित हो जायगा कि कितनी अनुचित मांगें हैं। एक तो बड़ी अनुचित मांग यह है कि इस सदन को विदित है कि वहां एक्सटेंशन हो रहा है और दूसरी फैक्टरी उसी के बराबर में लग रही है। जो स्टाफ उसे लगाने के लिये रखा गया अब यह मांग रख रहा है कि फैक्टरी को इरेक्ट करने वाला स्टाफ जो टेम्पोरेरी होता है उसे परमानेन्ट कर दिया जाय जो कि संभव नहीं है। कोई भी फैक्टरी जब इरेक्ट होती है तो उसमें परमानेन्टली वही आदमी रखे जाते हैं जो उस कार्य को ही कर सकते हैं और बाकी नहीं रखे जाते।

दूसरी मोटी सी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने वहां सर्कमस्टेंसेज और प्रापर्टी टैक्स लगा रखा है। जो मजदूर हैं वह उनके ऊपर भी पड़ रहा है। मजदूर कहते हैं कि यह टैक्स सरकार दे या फैक्टरी दे।

इसी प्रकार कुछ और मांगें हैं जिनका सम्बन्ध वेज बोर्ड की सिफारिशों से है परन्तु जिनका निर्णय स्वतः केन्द्रीय सरकार को लेना था। लेकिन केन्द्रीय सरकार के आदेश अभी तक नहीं आये हैं। पता चला है कि केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में कुछ निर्णय लिये हैं। वे लिखित रूप में हमारे पास नहीं आये हैं। अखबार में वे बातें आ गयी हैं।

इस प्रकार की अनुचित मांगें इस नई ट्रेड यूनियन की हैं जिनको उसने फैक्टरी के सामने प्रस्तुत किया और इन अनुचित मांगों को सरकार अथवा फैक्टरी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि हमारी सीमेंट फैक्टरी ओवर कैपिटलाइज्ड फैक्टरी है। इसमें कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है और सरकार अपने कंधों पर अधिक बोझा ले ले और जितने स्टाफ ने फैक्टरी इरेक्ट की है उसे रख ले तो यह फैक्टरी के लिये इकोनामिकल नहीं होगा। सीमेंट की कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होती है। खर्चा हम बढ़ाते जायं और केन्द्रीय सरकार जितना हमारा खर्चा हो उस अनुपात में कीमत निर्धारित न करे तो कम्पटीशन में हम ठहर नहीं सकते और बराबर उत्तर प्रदेश की सरकार को घाटा इस फैक्टरी को चलाने के सिलसिले में उठाना पड़ेगा। तो जो नीति इस यूनियन ने बरती है वह नीति कम से कम प्रदेश की सरकार इन मांगों के सम्बन्ध में स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री यादवेन्द्रदत्त---माननीय मुख्य मंत्री ने अभी बतलाया कि जो आज फैक्टरी का नया एक्सटेंशन हो रहा है उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनको परमानेन्ट करने के सम्बन्ध में मांग है, तो यह जो नया इरेक्शन वर्क हो रहा है यह सरकार किसी कांट्रेक्टर से कांट्रेक्ट बेसिस पर करा रही है अथवा स्वयं डेली वेजेज पर लेबर लगा कर करा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसमें बहुत-सा कार्य फैक्टरी द्वारा ही हो रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान बनारस के कमिश्नर के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चुर्क सिमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों की हड़ताल शांतिपूर्वक हो रही है और ९० फीसदी मजदूर हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उस वक्तव्य को देखते हुये मजदूर धमकी कैसे दे रहे हैं और अन्दर जाने वालों को रोक कैसे रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने कमिश्नर के वक्तव्य को देखा नहीं और मैं समझता हूं कि कमिश्नर अभी वहां पहुंचे ही नहीं हैं। मेरे पास जो अधिकारियों ने खबरें भेजी हैं उनके अनुसार मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं। स्वतः मैंने भी इस बात की जानकारी करने की चेष्टा की है और उस जानकारी से मुझे यह विश्वास हो गया है कि अवश्य जो लोग इस यूनियन के चलाने वाले हैं और जो नीतियां उन्होंने यूनियन को चलाने में जगह-जगह बरती हैं यहां भी उन्हीं नीतियों को वे बरत रहे होंगे।

श्री उग्रसेन---क्या मुख्यमंत्री का यह सूचना है कि हमारे यहां सीमेंट मजदूर वेतन मंडलवेज बोर्ड कायम हुआ था और उसने यह आदेश दिये थे कि हेल्पर, डम्पर, ड्राइवर, टाइम आफिस और स्टोर अटेंडेंट, ब्लैक स्मिथ सेकिंड ग्रेड, बुलडोजर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, सेम्पुल ब्वाय, हेड टाइम कीपर, टेस्टर, गेजर, इलेक्ट्रिक फोरमैन, टरबाइन अटेंडेंट, ब्वायलर अटेंडेंट, सुपरवाइजर, सीनियर टाइम कीपर, सीनियर क्लर्क स्टोर, डोजर आपरेटर, सावल आपरेटर और मैकेनिक ये जितने पद हैं इन पदों को वेज बोर्ड के निर्णयों से लाभान्वित होना चाहिये लेकिन चुर्क सीमेंट फैक्टरी ने ऐसा नहीं किया है, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी यह बता दिया गया कि जितने मजदूर हैं और जितने उनके ग्रेड्स और किस्में हैं तनख्वाह पाने के सिलसिले में, वह करीब १०७ के हैं। उनमें से कुल १७ किस्म के ग्रेड्स के विषय में सरकार का निर्णय अभी नहीं हो पाया है, उन पर सरकार विचार कर रही है और बाकी ९० फीसदी मजदूरों के विषय में निर्णय हो चुका है और यह मजदूरों को बता दिया गया है कि १७ के विषय में भी सरकार विचार कर रही है। इस बात को न मान कर लोगों को हड़ताल करने के लिये प्रेरित किया गया है।

श्री उग्रसेन---जब सरकार ने एक कमेटी बिठायी थी और उसने यह निर्णय दिया था कि तीन वर्ष से ज्यादा काम करने वाले सरकारी विभाग के कर्मचारियों को, यदि वह सरकारी हो गया हो, स्थायी कर दिया जायगा और मुख्य सचिव के आदेश भी इस सम्बन्ध में सब विभागों को भेज दिये गये हैं, तो जो प्रोजेक्ट में तीन वर्ष से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको परमानेन्ट न करने की क्या वजह है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह जो बात माननीय उग्रसेन जी ने कही वह किसी भी इंडस्ट्रियल कन्सर्न में मानी नहीं जा सकती और जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, वह मैं यही कह सकता हूं कि वास्तविकता की दुनिया में नहीं रह रहा है और न ऐसे व्यक्तियों को उद्योग-धंधे चलाने का कोई तजुर्बा है और न उद्योग-धंधों को चलाने की क्षमता वे अपने अन्दर रखते हैं।

श्री उग्रसेन---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ व्यक्तिगत बातें कही हैं, इस सम्बन्ध में मुझे स्पष्टीकरण करने की आज्ञा दी जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---यह जो वादविवाद मजदूरों और सीमेंट फैक्टरी में उठा इसको कंसीलियेशन या आर्बिट्रेशन, इन दोनों से निर्णय कराने के लिये कोई कदम उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी तो आवश्यकता सरकार को पड़ी नहीं, लेकिन जो लोग इन मजदूरों को भड़काये हुये हैं और जो नेतागण हैं वे हमारे अधिकारियों से न तो बात करने आये और न मुझसे ही बात की, उन्हें तो हड़ताल करानी है और उत्पादन में जो कि फैक्टरी का चल रहा है, रुकावट डालनी है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—अभी माननीय मंत्री जी ने अपना बयान पढ़ते हुये उसमें मेरे प्रस्ताव का जिक्र किया। मैंने उसमें साफ लिखा है कि जब मजदूर हड़ताल पर गये और रोपवे बन्द हो गया तो एक अधिकारी इंजीनियर ने, जिनका नाम मिस्टर चटर्जी है, उस मशीन को चलाने की कोशिश की और मिस्टर चटर्जी की नादानी की वजह से वह मशीन जल गयी न कि मजदूरों ने जलायी। क्या यह सही नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं। जिन मजदूरों की हिमायत हमारे साथी करते हैं उन्हीं मजदूरों में से एक ने रोप वे को जाम करने की चेष्टा की।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी) मुख्य झगड़ा वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का है और दूसरी बातें गौण हैं और इस सरकार ने वेज बोर्ड के फैसले के मुताबिक कुछ लोगों को तनख्वाह और महंगाई भत्ता देना शुरू कर दिया है और कुछ को नहीं दिया है और वेज बोर्ड ने यह फैसला किया है कि पहली जनवरी, १९६१ से सभी सीमेंट फैक्टरियों में वेज बोर्ड का फ़ैसला लागू हो जाना चाहिये। तो क्या मुख्य मंत्री जी चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों को पहली जनवरी, १९६१ से जो बकाया तनख्वाह है वेज बोर्ड के फैसले के मुताबिक, वह देने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो वक्तव्य दिया गया है उसको उन्होंने सुना नहीं। उसमें साफ़ कहा गया है कि जब से आदेश हुआ था तब से ९० फीसदी मजदूरों की तनख्वाहों में वेज बोर्ड के फैसले को मंजूर करके वृद्धि कर दी गयी।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में बहुत सी सीमेंट फैक्टरीज हैं और वेज बोर्ड की जिन सिफारिशों को कार्यान्वित करना था उनको जितनी तेजी से इसने कार्यान्वित किया है उतनी तेजी अन्य फैक्टरियों में नहीं हुई है और न अन्य फैक्टरियों ने उनको मंजूर किया है और न कार्यान्वित ही किया है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुछ मांगें जो मजदूरों ने दी थीं उनको ध्यान में रखते हुये जो सरकार का लेबर डिपार्टमेंट है उसके जरिये नोटिस के दरमियान में म्युचुअली सेटिलमेंट कराने की कोशिश की गई है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न माननीय गेंदा सिंह जी ने किया था, उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मजदूरों की मांगें हैं उनमें एक मुख्य मांग यह है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में मजदूरों के लिये आवास और छुट्टी की वह व्यवस्था नहीं है जो दूसरी प्राइवेट फैक्टरियों में है, जब कि यहां पर अधिकारियों के लिये ३० हजार से लेकर ८० हजार तक के बंगले बने हुये हैं और मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, यह सवाल उठता नहीं है। लेकिन यहां पर मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार ने इस फैक्टरी को ओवर कैपिटिलाइज करके डेढ़ करोड़ रुपया मजदूरों को सुविधा देने के लिये खर्च किया है। उनको अस्पताल दिया है, स्कूल दिया है और आवास गृह भी दिये हैं, यद्यपि सारे मजदूरों को आवास नहीं दे पाये हैं। यदि आदरणीय सदन यह तय कर दे कि इस फैक्टरी को ओवर कैपिटिलाइज करते हुये सारे घाटे को सरकार बरदाश्त करती रहे तो मैं माननीय सदस्यों क सारे सुझावों को मंजूर कर लूंगा।

श्री गेंदासिंह—क्या यह बात सही है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों ने सरकार को कंसीलियेशन या आर्बीट्रेशन का कदम उठाने के लिये मना किया और हड़ताल को प्रिसिपिटेट किया था? यदि हां, तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी जिन्होंने हड़ताल कराने की कोशिश की? श्रीमन्, मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह एक नेशनल फैक्टरी है और जितनी चिन्ता इसकी माननीय मुख्य मंत्री जी को है उतनी ही हमको भी है। मैं मानता हूं कि कंसीलियेशन या आर्बीट्रेशन की कार्यवाही होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई सुने या न सुने लेकिन सरकार की कंसीलियेशन की मशीनरी ऐसी है कि वह चलेगी जरूर। अगर हड़ताल का नोटिस हुआ तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन लोगों की वजह से नहीं की गई जो हड़ताल को चला रहे हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मांगों को लेकर हड़ताल हो रही है उन मांगों में कौन-कौन सी मांगें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुख्य मंत्री जी अथवा सरकार हमदर्दी से विचार कर रही है और मानना चाहती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक वेज बोर्ड की सिफारिशें हैं, मैंने बता दिया है कि ९० प्रतिशत आदमियों पर वे लागू कर दी गई हैं। कुछ क्लास या ग्रेड के लोग थे जिनके विषय में रिप्रेजेंटेशन्स आये थे, उन पर सरकार विचार कर रही है और अभी तक निर्णय नहीं लिया है। लेकिन मजदूरों को बतला दिया गया है कि वह विषय सरकार के विचाराधीन है। जब निर्णय हो जायगा तो जो वेज बोर्ड की सिफारिशें हैं उसी हिसाब से उनको भी तनख्वाह या वेज मिलेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिस हड़ताल को उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि गैर-कानूनी है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि २८ अगस्त को मजदूरों ने और जो मजदूरों की यूनियन है उसने बाजाब्ता नोटिस दिया और उन्होंने कहा—चुर्क मिल मजदूर सभा ने अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो १४ दिन बीतने पर स्ट्राइक करेंगे, तो किस आधार पर वह कहते हैं कि हड़ताल गैर-कानूनी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वक्तव्य में पूरी हड़ताल के सिलसिले में गैर-कानूनी बात नहीं कही गयी है। जो रिफ्रेक्टरीज की फैक्टरी अलग है उसके मजदूरों ने जो हड़ताल की वह गैर-कानूनी है। यह सही है कि २८ तारीख को वहां के मजदूरों ने नोटिस दिया था और नोटिस का उत्तर १० सितम्बर को वहां के स्थानीय डाइरेक्टर ने दे दिया था कि यह जो अनुचित मांगे हैं वह नहीं मानी जा सकतीं और आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो ट्रिपार्टाइट कानफरेंस में कोड आफ डिसिप्लिन मंजूर कर दिया गया है कि कभी भी मजदूर को या यूनियन को स्ट्राइक करने के लिए नहीं कहना चाहिए जब तक सारे जरिये कंसीलिएशन विचार विनिमय इत्यादि के खत्म न हो जायं। विचार विनिमय के लिए जो अवसर नहीं देते और जो लोग स्ट्राइक करने के लिए कहते हैं उस विषय में जरूर कहा गया है कि जो मांगें प्रस्तुत करायी गयी हैं और जो स्ट्राइक करवाया गया है वह अनुचित है, गलत है।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उग्रसेन ऐसी क्षमता नहीं रखते। मेरे पास फैक्टरी है नहीं। पैसे वाले वह हैं। लेकिन अगर गलत वह फैक्टरी चलाएंगे तो जरूर विरोध करेंगे।

एक मांग है कि जिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन मंडल की सिफारिशें लागू की गयी हैं उनमें भी काफी गड़बड़ी की गयी है। अधिकांश कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन प्रणाली की ओर ध्यान न देकर मनमानी तौर से उससे नीचे के ग्रेडों में उनका वेतन निर्धारित किया गया है। इस सिलसिले में कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप में तथा अपनी

[श्री उग्रसेन]

यूनियन द्वारा भी उनका ग्रेड ठीक करने के लिए प्रतिनिधित्व किया है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है जिससे कर्मचारियों में काफी असंतोष है, ऐसे समस्त कर्मचारियों में काफी असंतोष हैं, ऐसे समस्त कर्मचारियों की वेतन प्रणाली उनकी ओर से व्यक्तिगत रूप से उठायी गयी आपत्तियों तथा सभा की ओर से दिनांक १२-१-६२, १५-१-६२ तथा २९-१-६२ को दिये गये सुझावों तथा शिकायतों का निवारण शीघ्र किया जावे। तो किस आधार पर कहते हैं कि बिना सम्पर्क किये हुए यकबयक मजदूरों ने हड़ताल कर दी ? यह मांग में लिखा था कि इस पर विचार करें। क्यों नहीं श्रम विभाग ने १५ दिन के अन्दर दे दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह लूज चार्ज था कि फलां का कम कर दिया गया या बढ़ा दिया गया। हमारे डाइरेक्टर ने उन मांगों के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा कि बताइये कि किस-किस व्यक्ति के विषय में आप बात करते हैं, कोई उत्तर तो नहीं दिया।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन बोर्ड के सुझावों से जो १० प्रतिशत लोग वंचित रह गये हैं और जिनका मामला विचाराधीन है, उनपर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसके ऊपर विचार हो ही रहा था लेकिन विचार होते ही होते माननीय राजनारायण जी और उग्रसेन जी पहुंच गये। तो विचार करने का मौका थोड़े ही दिया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कब तक यह विचार आप कर लेंगे ?

श्री चन्द्रभानुगुप्त---वह विचार हम कर लेंगे जब हड़ताल खत्म होगी। पहले नहीं करने वाले हैं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---कितने-कितने रुपये महीने पाने वाले मजदूरों ने भाग लिया, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो ब्योरे की चीज है।

श्री श्यामलाल---श्रीमन्, जब तक यह नहीं पता चलता तब तक कैसे समझेंगे....

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक मेरी सूचना है, क्या यह सही है कि मजदूरों की ५० प्रतिशत जो मांगें थीं वह सरकार ने मान ली थीं लेकिन वह फाइल अफसरों के पास पड़ी रही और उन अफसरों की लापरवाही की वजह से वह स्ट्राइक हुई ? यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हड़ताल करने वाले मजदूर किस पार्टी के यूनियन से संबंधित हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब उनका सम्बन्ध तो उसी पार्टी से है जिस पार्टी का सम्बन्ध श्री उग्रसेन जी, राजनारायण सिंह जी और एक दूसरे सिंह साहब हैं, प्रभुनारायण सिंह जी, उनसे है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस हड़ताल को खत्म करने की कोई कोशिश न करके और इसे कंसीलिएशन बोर्ड वगैरह में न भेज करके सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि हड़ताल करने वाले मजदूरों की जगह पर बाहर के मजदूर रख लिये जायं और उनको निकाल दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब इस प्रकार लोग उत्पादन को रोकेंगे और रुकवाने की चेष्टा करेंगे तो ऐसे व्यक्ति हमें मजबूर करेंगे कि हम उन व्यक्तियों के प्रति वह कार्यवाही करें जिससे कि वह हर वक्त समय बे समय यह चीज न करने पायें।

श्री अध्यक्ष---(बहुत से सदस्यों के एक साथ बोलने पर) अगर आपको यह करना है तो मैं अभी समाप्त कर दूंगा। मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप चाहते हैं कि केवल आपको ही अकेले मौका दिया जाय, तो यह नहीं हो सकता। यहां सारे सदन के सदस्यों के अधिकार समान हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस उद्योग के महत्व को देखते हुए और इस हड़ताल से जो सीमेंट के उत्पादन में गड़बड़ी पैदा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए स्वयं तो नहीं लेकिन अपने उपमंत्री जी को वहां भेजेंगे ताकि मजदूरों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी सारे मामले को समझकर वह कोई रास्ता निकालें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रास्ता निकालने के लिए हम हर समय उद्यत हैं और हमें इससे कितना दुख होता है कि लोग पब्लिक अंडरटेकिंग्स के विषय में भी वह दृष्टिकोण अपनाते हैं जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की अंडरटेकिंग्स के प्रति वह बर्तते हैं जिससे कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स को नुक्सान हो और वह खत्म हो। तो ऐट दि प्वाइंट आफ बेनट कोई हमसे फैसला कराने की कोशिश करेंगे तो वह हम करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---माननीय मुख्य मंत्री जी ने ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस का हवाला दिया। लेकिन इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ने जो कोड आफ डिसिप्लिन और कोड आफ कांडक्ट मजदूरों के लिए और फैक्ट्रियों के मालिकों के लिए तय किया है जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के भी लेबर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि थे, उसमें यह भी है कि किसी भी हालत में तीन महीने से अधिक अस्थायी रूप से मजदूर काम करेंगे तो वह प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उनको स्थायी मान लिया जायगा, उनको स्थायी मान्यता देनी पड़ेगी, क्या इसकी तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मैं तो इन तमाम बातों की जानकारी नहीं रखता और न इसके ब्यौरे में गया कि क्या वहां बातें तय हुईं, वह तो माननीया श्रम मंत्राणी जी और श्रम मंत्री जी जो इस विभाग से संबंध रखते हैं और जिनकी जानकारी बहुत अधिक है इस विषय में, वह बता सकेंगे, लेकिन यदि वह जानना चाहते हैं तो मुझे नोटिस दें, मैं इसकी जानकारी करा कर और जो उपलब्ध सामग्री है उसको देखकर जो जवाब मैं दे सकता हूं वह दूंगा।

श्री अध्यक्ष---वह सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं। माननीय काशीनाथ जी फिर से प्रश्न कर दें।

श्री काशीनाथ मिश्र---मैंने श्रीमन्, यह कहा कि अपने बयान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लेबर ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस का हवाला दिया, लेकिन इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ने एक कोड आफ कांडक्ट प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स के लिए तय किया है और उस कांफ्रेंस में गवर्नमेंट आफ इंडिया के लेबर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव भी थे, और कांफ्रेंस ने यह तय किया है कि किसी भी फैक्टरी का प्रोडक्शन सेक्शन जब वह उत्पादन करना शुरू कर देगा तो उसमें काम करने वाले मजदूरों को वही हक होगा और अधिकार होगा जो परमानेन्ट प्लान्ट में काम करने

[श्री काशीनाथ मिश्र]

वाले मजदूरों को हक और अधिकार होते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी सेक्टर में अगर मजदूर तीन महीने से अधिक काम करता है तो उसको स्थायित्व देना पड़ेगा चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में। यह निर्णय इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन में हुआ है जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के भी प्रतिनिधि थे।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का सम्बन्ध किस तरह से इससे जोड़ा गया है। इस हड़ताल की बिना पर यह बात नहीं थी। लेकिन जहां तक उसके सर्वमान्य सिद्धान्त का सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि कंस्ट्रक्शन लेबर को किसी जगह पर किसी भी ऐक्ट के मातहत परमानेन्ट नहीं किया जाता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो लेबर होता है उसका एक टाइम होता है.....(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--यह सिंचाई का बान्ध नहीं बन रहा है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--आप उनको सुनिये। आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं यह निवेदन करूंगा कि अपने मित्र की पूरी बात सुनने के बाद जवाब देने का हमारा उत्तरदायित्व है और वह हमको सुनने की चेष्टा करें। जहां तक कंस्ट्रक्शन लेबर का सवाल है वह ऐसा है कि जैसे कोई इमारत बन रही है या कोई हम लोग प्लान्ट, मशीनरी लगा रहे हैं तो जितने दिन के लिये वह काम है उतने दिन के लिये ही उस कंस्ट्रक्शन लेबर को रखा जाता है। उसमें परमानेन्सी का सवाल नहीं आता है। यह पालिसी समझी जाय और इसको पालिसी की तरह माना जा सकता है। यह बात दूसरी है कि कंस्ट्रक्शन लेबर में कुछ ऐसे लोग हों जो इस लायक हों कि जो प्लान्ट या मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के बाद रखे जा सकते हों। सरकार की चेष्टा इस प्रकार की रहती है और उसके करने की बात हो सकती है लेकिन सारे के सारे मजदूर या जो गारे के काम में लगे हुये हैं, ईंट के काम में लगे हुये हैं सीमेंट मिलाने के काम में लगे हुये हैं, उन सबको नहीं रखा जा सकता याने जिनका सीमेन्ट बनाने के काम से ताल्लुक भी नहीं है, उनको नहीं रखा जा सकता। मैं इसलिये कहता हूं कि जो श्रम सम्बन्धी कानून दूसरे देशों में या अपने देश में लागू हैं, उनके मातहत कहीं भी इस प्रकार से नहीं किया जाता है और न उन कानूनों के अन्दर ऐसा है कि जो लेबर किसी इमारत के लिये एक बार रख लिया जाय तो उसको हमेशा के लिये परमानेन्सी दे दी जाय। इसलिये मैं लाचार हूं कि इस विवाद में कैसे यह बात आई और कैसे माननीय सदस्य की समझ में यह आया।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो सवाल और जवाब यहां पर हुये हैं उससे इस बात का सन्देह होता है कि सरकार ने मजदूरों की बहुत सी मांगों को स्वीकार कर लिया था और उनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही थी तभी हड़ताल हो गई? इससे यह सन्देह होता है ? कि कुछ अधिकारी बीच में आ गये और कुछ अड़चन पैदा हो गई। इस भावना को देखते हुये उन अधिकारियों के बारे में कुछ जांच पड़ताल करने के लिये यहां से कुछ अधिकारी सरकार भेजेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब अधिकारी तो वहां पर हैं ही और यहां भी हमारे अधिकारी हैं। वहां के अधिकारियों से पूरी तरह से हमारे अधिकारी सम्पर्क बनाये हुये हैं। जहां तक उनका सम्बन्ध है उनकी तरफ से बराबर दरवाजा खुला हुआ है और वे खुद चाहते हैं कि यह जो हड़ताल का काम किया गया है यह खतम हो।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब स्ट्राइक इत्यादि हो जाती है तो पब्लिक अन्डरटेकिंग और प्राइवेट अन्डरटेकिंग के विषय में सरकार का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह भिन्नता किस-किस प्रकार की है, इस पर कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें और इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें कि आखिर यह भिन्नता क्यों बरती जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने भिन्नता की बात नहीं कही। मैं समझता हूं कि पब्लिक अन्डरटेकिंग के बारे में लोगों का अधिक उत्तरदायित्व होता है और उन अन्डरटेकिंग के संचालन में सदा ऐसी मनोवृत्ति के तरीके को बरतना पड़ता है। वह अन्डरटेकिंग इस प्रकार की हैं कि जिनके विषय में यह कहा जाता है कि यहां वह अनुचित कार्यवाही नहीं होती है लेबर के प्रति जो कि कभी कभी कही जाती है कि प्राइवेट सेक्टर में लेबर के प्रति होती है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि प्रत्येक सार्वजनिक जीवन में काम करनेवाले व्यक्ति को पब्लिक अन्डरटेकिंग के विषय में वह दृष्टिकोण रखना चाहिये और यह मान कर चलना चाहिये कि वहां मजदूर या कोई भी व्यक्ति काम करता हो उसके प्रति वही व्यवहार होता होगा जो एक माडल इम्पलायर का व्यवहार होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—प्रदेश में इन्डस्ट्रियल पीस बनी रहे, उत्पादन को धक्का न लगे और सीमेंट की कमी जितनी है उससे ज्यादा न बढ़े, इस सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी कोई ऐसा कदम उठाने पर विचार करेंगे कि जिससे जल्द से जल्द हड़ताल समाप्त हो सके और मजदूरों की जो न्यायोचित मांगें हैं वह स्वीकार हों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगों के विषय में इतना झगड़ा नहीं है। झगड़ा है कि लीडरी कैसे चले। हम लीडर मानेंगे नहीं क्योंकि इस लीडरी को मानकर फैक्ट्री नहीं चल सकती। (व्यवधान)

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं यह कहता चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—उग्रसेन जी, अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री गेंदासिंह—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कारखाना मुख्य मंत्री जी का है तो मजदूरों की लीडरी उनको नहीं मिल सकती, लीडरी किसी दूसरे की रहेगी और उस हालत में भी चूंकि मजदूर राष्ट्र के हैं और उनकी कुछ उचित मांगें हैं और इतने वाद-विवाद से मालूम हुआ कि कहीं न कहीं कोई गलती हमारी तरफ की है जरूर जिसकी वजह से यह स्ट्राइक हुई, तो इसे ध्यान में रखकर यह लीडरी और मजबूत न हो इस के लिये मजदूरों की मांगों को स्वीकार किया जाये और फैक्ट्री चलायी जाये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक मांगों का संबंध है, मैं दो, तीन बार कह चुका कि जो उचित मांगें हैं और जो पूरी नहीं हुई हैं उनके विषय में तो स्वतः सरकार का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है और रहेगा और उसके अनुसार ही सरकार निर्णय लेगी, लेकिन यह बात भी मैं गेंदासिंह जी के प्रश्न के उत्तर में बतला देना चाहता हूं कि जिस लीडरी की बात उन्होंने कही, उसे न तो हम बढ़ावा देने के हक में हैं और न हम उसे कोई ऐसा मौका ही देंगे कि वे उसे बढ़ाने का मौका पा सकें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—यह फैक्ट्री पब्लिक सेक्टर में है और पब्लिक सेक्टर की एक जिम्मेदारी होती है इसलिये वहां वर्क्स कमेटियां होनी चाहिये, उनको मैनेजमेंट का कोआपरेशन होना चाहिये और उनकी जायज मांगों को मानने का कोई तरीका होना चाहिये तभी मजदूरों का यह असन्तोष दूर हो सकता है। मेरी जानकारी है कि कोई ऐसा इन्तजाम वहां नहीं है, तो क्या सरकार ऐसा कोई इन्तजाम करने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं माननीय यूसुफ जी से यही कहूंगा कि इस फक्ट्री में मजदूरों को जितने सुभीते देने पर विचार किया गया है उतने सुभीते जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में फैक्टरियां चल रही हैं, कहीं भी मजदूरों को नहीं हैं। वहां उनकी कमेटियां भी हैं और उनसे

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बातचीत भी होती है और बात-चीत करने के बाद जो उन्हीं के सुझाव पहले थे उन्हीं के अनुसार पहले कार्यवाही हुई और वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अमल किया गया।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—यह सरकार की मानी हुई नीति है कि....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। उन्होंने कहा है कि कमेटियां बैठी हुई हैं और हम उनसे और अधिक सुविधा देने के लिये सलाह कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे और जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि जो मजदूरों की उचित मांगें हैं, हम उन पर फिर से विचार कर रहे हैं और विचार करेंगे, तो यह निर्णय सरकार कब तक लेगी ताकि समस्या का समाधान हो जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—निर्णय तो सरकार तभी लेगी जब स्ट्राइक खत्म हो जाय।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, यदि देखा जाय तो उसमें १७–१८ केटेगोरीज हैं। कुछ पर निर्णय नहीं हुआ है। हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि मांगें अनुचित हैं। उस में १२ (ब) में एक महिला अस्पताल और एक लेडी डाक्टर तथा नर्स के लिये लिखा है। दूसरे में लिखा है कि फैक्टरी में मजदूरों को बोनस मिलना चाहिये। मन्त्री जी बताते हैं कि मांगें अनुचित हैं तो क्या वे इस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह कहा गया है कि ९० फीसदी मांगों को मंजूर कर लिया गया है और केवल थोड़ी-सी मांगें रह गई हैं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं वेज बोर्ड के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि महिला अस्पताल और नर्स के लिये कह रहा हूं। बोनस भी.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये, अब बहुत हो गया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, उनका उत्तर मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है। लेकिन एक बात और कही गई कि कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पर विचार यूनियन्स को खुद करना पड़ेगा। उदाहरण के लिये ले लीजिये, रिकग्नीशन की मांगें हैं। यूनियन का जो कोड आफ डिसिप्लिन तय हुआ है और Inter Union Rivalry पर केवल नैनीताल में १९५७ में विचार किया गया था कि इस तरह से हम यूनियन्स की राइवेलरीज को तय करेंगे और जो उचित होगा वह किया जायगा। यदि एक यूनियन यह समझे कि हमारा बहुमत हो गया और दूसरों का अल्पमत हो गया तो यह कहां तक उचित है ? जो डिसिप्लिन का प्रोफार्मा है उसी के अनुसार चलना होगा। उसमें वेरिफिकेशन आफ मेम्बरशिप होगा। उसके बाद अगर ऐसा लिखा जाय कि इस यूनियन की ज्यादा तादाद है और इसकी कम है, तभी गवर्नमेंट उस पर कोई विचार करेगी। अब ऐसा न कह कर यह कहना कहां तक उचित है कि या तो हमारी यूनियन की मांगें मंजूर करो वरना हम हड़ताल करते हैं ? यह तो एक स्वस्थ परम्परा के अनुकूल बात नहीं है। यह राष्ट्र के निश्चय के खिलाफ है और प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करना है। इसलिये सारी ऐसी बातों को कैसे कबूल किया जा सकता है। यह हमारे मुख्य मन्त्री जी के लिये मंजूर करना कोई शोभनीय नहीं होगा और न हमारे प्रदेश के लिये ही।

जहां तक बोनस का सम्बन्ध है उस पर मैं कुछ कह देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी मजदूरों के लिये बहुत से मुकद्दमे लड़े हैं बोनस आदि के लिये, इसलिये यदि कोई मेरे पास आये और बैठे तो मैं बोनस का जो आज फार्मूला है और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा

मान्य है, उसे मैं समझा सकता हूं। हमारे माननीय सन्तसिंह यूसुफ ने इसकी खिलाफत की है। जो बोनस का फार्मूला है उसके मुताबिक वह वहां पर एवेलेबुल है। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जिनके कारण प्राइवेट सेक्टर में बोनस की मांगें नहीं मंजूर की जा सकती हैं। जहां तक पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में बोनस देने का प्रश्न है उसपर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न निश्चय ही अभी हुआ है कि मिलना चाहिये या नहीं। इस तरह के प्रश्न उचित नहीं कहे जा सकते जबतक कि कोई निश्चित राय न हो जाय उस सम्बन्ध में।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वे एक-एक करके मांगों के बारे में जो पूछ रहे हैं, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा उस वक्त तक जबतक कि हड़ताल बन्द नहीं होगी।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी का यह कथन कन्टेम्ट है, अवमान है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायें। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर मैं समाप्त कर दूं। जो कायदे की बात है वही हो सकती है।

श्री उग्रसेन—हम लोगों का प्रश्न तो सुन लिया जाय ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, आपको गुस्सा न होना चाहिये, आप तो सक्षम हैं, हमारे अधिकारों के रक्षक हैं।

श्री उग्रसेन—जिस तरह से मुख्य मन्त्री ने हठधर्मी का परिचय दिया है और मजदूरों के सवालों को सुनने का भी अवसर नहीं दिया जाता है, हम उसके विरोध में १ घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं और कह देना चाहते हैं कि अगर मजदूरों में ताकत होगी तो हम अपनी मांगों को पूरा कराकर रहेंगे, मुख्य मन्त्री अपनी लीडरी चला नहीं सकते।

(श्री उग्रसेन ने समाजवादी दल के अन्य सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं एक जानकारी चाहता हूं कि जैसा आपने कहा, दो बजे आप प्रिविलेज मोशन इत्यादि लेंगे, तो आप स्वयं उस समय रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जी हां। मैं ढाई बजे आ पाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रिविलेज मोशन्स हैं व हपढ़ कर सुना देंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं चाहता था कि जो चीज रखी जाय वह आपके सामने रखी जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, अच्छा।

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

खंड ३ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रथम पंक्ति के अन्त में आये हुये शब्द 'में' स्थान पर शब्द 'की' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १२ बजकर ४३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

---

*१८ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन हमारा इस प्रकार का है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'देगा' के बाद का चिन्ह पूर्ण विराम '।' हटा दिया जाय और पंक्ति ३ के बाद शब्द 'व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये' निकाल दिये जायं। यदि मूल विधेयक देखा जाय तो ये शब्द 'व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र' दो बार आ रहे हैं और निरर्थक हैं। मूल विधेयक में पहले यह शब्द आ चुके हैं और संशोधन विधेयक द्वारा फिर लाये जा रहे हैं, जैसा कि पढ़ने से मालूम होगा।

इसमें श्रीमन्, प्रार्थना-पत्र दो बार आ रहा है, इसलिये मैंने अपना यह संशोधन रखा है कि 'व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये' शब्द निकाल दिये जायं। यह निरर्थक हो जाता है और उसको हटा देने से भी मकसद वही रहता है। माननीय मन्त्री जी इसे देख लें, इसमें किसी प्रकार की दूसरी भावना नहीं है। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमान् जी, इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक "प्रार्थना-पत्र" एक जगह एक वाक्य में आया है और दूसरी जगह दूसरे वाक्य में आया है। कानून को और अधिक क्लेरिफाई करने के लिये इसको रखा है। किसी तरह की भी एम्बिग्युटी को दूर करने के लिये ही यह किया गया है, इसे रहने दिया जाय।

*श्री हरिनाथ तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें एम्बिग्युटी क्या आ रही है? अगर इसको निकाल दिया जायेगा तो समझ में नहीं आता कि कौन सी एम्बिग्युटी आ रही है? हमारा तो कहना यह है कि दो बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग न किया जाय। इन शब्दों को अगर आप निकाल देते हैं तो यह इस प्रकार हो जायेगा—"प्रार्थना-पत्र कर निर्धारण वर्ष के लिये या, उसकी स्वेच्छा से, और अधिक अवधि के लिये, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न होगी, दिया जा सकता है।" इसमें कौन सी एम्बिग्युटी होगी? न कोई उससे विशेष क्लेरिफिकेशन ही होता है।

श्री जयराम वर्मा—मेरी समझ में नहीं आता कि अगर पूर्ण विराम हटा दें तो यह कैसे जुड़ेगा। कहीं-कहीं महज क्लेरिफाई करने के लिये ही कानून में शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है। यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'देगा' के बाद का चिन्ह पूर्ण विराम '।' हटा दिया जाय और पंक्ति ३ के शब्द "व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (१) में प्रस्तावित शब्दावली में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं—

"जो एक बार में ३ वर्ष से अधिक की न होगी।"

दूसरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क), (ख) और (ग) को हटा कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र, कर-निर्धारण अधिकारी की स्वीकृति पाने पर १ महीने के अन्दर तीन वर्ष तक की रजिस्ट्री के लिये पच्चीस रुपया फीस और मुस्तकिल तौर पर जब तक रोजगार चालू रहे और व्यापारी मालिक बना रहे, रजिस्ट्री के लिये २५० रुपये फीस देनी होगी।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरी मंशा यह है जैसा कि इस बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है—"कुछ समय से राज्य का व्यापारी वर्ग वार्षिक रजिस्ट्री की इस प्रणाली के प्रति असन्तोष इस आधार पर प्रकट करता रहा है कि इससे उन्हें ऐसी असुविधा होती है जो दूर की जा सकती है। इसलिये उनकी यह मांग रही है कि व्यापारियों को एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिये रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी जाय"। तो प्रत्येक व्यापारी को यह असुविधा तो है ही और रजिस्ट्रेशन की इस सम्बन्ध में कोई आवश्यकता भी नहीं है, Registration सिर्फ एक परेशानी का तरीका है। राज्य की यह Static Policy है, इससे व्यापारी वर्ग को बड़ी तकलीफ होती है। आप उनसे जितनी चाहें फीस ले लें, वह चाहे कर के रूप में हो या अन्य रूप में आप उनसे जितना रुपया चाहें ले लें, इससे उनको कोई दुःख नहीं होगा लेकिन बार-बार अधिकारियों के पास जाने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। व्यापारी-वर्ग बड़ा सहनशील होता है, बार-बार परेशान होना नहीं चाहता। जो लोग हमेशा के लिये अपना रोजगार चालू रखना चाहते हों उनसे सरकार एक बार फीस ले ले, वह चाहे जितनी हो। इसी आधार पर मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इसमें जो पहला संशोधन है उसका मतलब यह है कि रजिस्ट्री के लिये जो व्यापारी प्रार्थना-पत्र देगा उसका कोई समय न रखा जाय और उनकी जितनी भी अवधि की इच्छा हो, वे रजिस्ट्री करा लें, ऐसी व्यवस्था कर देने से बड़ी गड़बड़ी की आशंका हो जायगी। वैसे ही सभी साथियों को यह शिकायत है कि इवेजन आदि गड़बड़ियां होती हैं। अतः अगर इस संशोधन को मान लिया जायगा तो उसमें रुकावट न होकर और भी गड़बड़ी हो जायगी। अभी तो व्यापारी एक वर्ष में आया करते थे और अब तीन वर्ष में आयेंगे और उसके द्वारा अधिकारीवर्ग उनके वर्किंग के बारे में जानता रहता है। अगर वे इस तरह से उनके सामने नहीं आयेंगे तो उनके बारे में जानने का अधिकारियों को कोई मौका ही न मिलेगा और रजिस्ट्री सर्टिफिकेट का लोग नाजायज फायदा उठायेंगे, इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरे संशोधन में यह कहा गया है कि ३ वर्ष के लिये जो व्यापारी रजिस्ट्री कराये उस के लिये फीस २५ रुपया रखी जाय जबकि हमारे संशोधन में ३० रुपया फीस रखी गयी है। जब कि हमें रुपये की बहुत जरूरत है उस समय हम फीस को घटा नहीं सकते। इस लिये यह सम्भव नहीं है। यद्यपि इस संशोधन की भाषा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी उसका मतलब यह है कि व्यापारियों से २५० रुपया फीस लेकर मुस्तकिल तौर पर उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाय। जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं मुस्तकिल तौर पर रजिस्ट्री करने में बड़ी गड़बड़ी होने की सम्भावना है, इसलिये ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इससे गरीब व्यापारियों को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वे तो २५० रुपया दे नहीं सकेंगे, जो बड़े व्यापारी होंगे वही दे सकेंगे। इसलिये दोनों संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते। आशा है माननीय सदस्य उनको वापस ले लेंगे।

श्री विजयसिंह—मान्यवर, मेरा केवल इतना ही मतलब था कि बड़े व्यापारी तो जितना खर्चा होता है उसी के हिसाब से वस्तु की प्राइस रख देते हैं। आपने १२ हजार रुपया साल की बिक्री-कर की सीमा पर Registration रखा है जो ३० रुपया रोज पड़ता है। अगर कोई अच्छा पान वाला है तो वह भी ३० रुपया रोज पैदा कर लेता है। इसलिये इससे छोटे-छोटे लोगों को ही अधिक परेशानी हो सकती है। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा था कि माननीय मन्त्री जी सभी व्यापारियों की परेशानी देखकर सहानुभूतिपूर्वक इसे स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी को कुछ कहना है?

श्री जयराम वर्मा—मैंने पहले ही बात को साफ कर दिया है और किसी संशोधन की आवश्यकता बिलकुल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की धारा ८—क की उपधारा (१) में प्रस्तावित शब्दावली में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं—

"जो एक बार में ३ वर्ष से अधिक की न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क), (ख) और (ग) को हटा कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"व्यापारी के द्वारा रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना—पत्र, कर निर्धारण अधिकारी की स्वीकृति पाने पर १ महीने के अन्दर तीन वर्ष तक की रजिस्ट्री के लिये पच्चीस रुपया फीस और मुस्तकिल तौर पर जब तक रोजगार चालू रहे और व्यापारी मालिक बना रहे, रजिस्ट्री के लिये २५० रुपये फीस देनी होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ३ में शब्द "सकता है और" निकाल दिये जायें और पंक्ति ४ के प्रथम शब्द "करा" के स्थान पर शब्द "कर" रख दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, मैं अपने प्रस्ताव में से थोड़ा-सा अंश निकाल देना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो इसको मैं पहले ही रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिनाथ तिवारी जी ने यह तो पेश कर दिया है।

श्री कमलासिंह यादव—वे पूरा संशोधन ला रहे हैं और माननीय सदस्य ने स्वयं इसको माना है कि यह शाब्दिक हेरफेर है।

श्री उपाध्यक्ष—तो दो दफा वोट ले लिया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी—जो खंड (क) है उसको मैं जरा पढ़ दूं—

"कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जायें, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और" व्यापारी को रजिस्टर 'करा' सकता है। अब यहां पर संशोधन होना चचाहिये। क्योंकि वहां पर "कर" के बाद "सकता है" होने से ऐसा मालूम पड़ता है कि करना तो है ही, लेकिन कर सकता है। फिर भी उसे फ्यूचर में रखा है। इसीलिये तो प्रार्थना की गई है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ३ में शब्द "सकता है और" निकाल दिये जायं और पंक्ति ४ के प्रथम शब्द 'करा' के स्थान पर शब्द 'कर' रख दिया जाय। यह सिर्फ शाब्दिक हेरफेर है और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है और मैं समझता हूं कि इसको मानने में उनको कोई दिक्कत न होगी।

* कमलासिंह यादव—श्रीमन्, जहां तक शब्द 'सकता है और' का सम्बन्ध है, अगर इसे निकाल दिया जाय तो वह यों पढ़ा जायगा—

"कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जायें, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है।" मैं समझता हूं कि "सकता है और" ये शब्द निकाल दिये जायं तो और साफ हो जायगा कि एक बार वह स्वीकार कर सकते हैं और व्यापारी स्टे करा सकता है। यह दो बातें अलग हो जाती हैं लेकिन ऊपर तो केवल कन्डीशन है, वह पूरी कर दी जाय तो व्यापारी रजिस्ट्री करा सकता है।

इसलिये इसके पहले इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है। इसमें दिया है कि पहले कर निर्धारण अधिकारी जांच करेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो ऐसी शर्तें जो निर्धारित की जायं तो वह प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करके व्यापारी की रजिस्ट्री कर सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे मानने में कोई इन्कार न होगा, इससे यह और स्पष्ट हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—अध्यक्ष महोदय ने मुझ से यह कहा था कि जो विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं उनको मैं सदन के सामने पढ़ कर सुना दूं, इधर अब समय नहीं है इसलिये अब २ बजे मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

मन्त्रि परिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, कब विशेषाधिकार का प्रश्न लिया जायगा यह भी बता दें?

श्री उपाध्यक्ष—मुझे अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया है कि जो विशेषाधिकार के नोटिस हैं वे मैं सब पढ़ कर सुना दूं। उसके बाद वह स्वयं आयेंगे और इन पर विचार करके उस समय अपना फैसला देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—तो आप सुना देंगे। हमको कहने का मौका आप देंगे या अध्यक्ष महोदय जब आयेंगे तब हम कहेंगे?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—आप सुनायेंगे पढ़ कर और जब तक अध्यक्ष महोदय आयेंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—जो काम चल रहा है वह चलेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, २ बजे से क्या कार्यक्रम चलेगा जरा बता दें?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कहा कुछ प्रिविलेज मोशन्स हैं वह मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। अध्यक्ष महोदय थोड़ी देर में आयेंगे तब उन पर बातचीत होगी और उसके बीच में जो विधेयक चल रहा है वह चालू रहेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप पहले प्रिविलेज मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद कार्य-स्थगन प्रस्ताव पढ़ेंगे? क्योंकि वह भी उसी विषय पर है?

श्री उपाध्यक्ष—मुझे प्रिविलेज मोशन्स के लिये कहा है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—हम लोगों की एक असुविधा यह है कार्य-स्थगन बीच में तो रुक नहीं सकता क्योंकि एजेन्डे पर नम्बर तीन है, उन्होंने आप को कहा नहीं, हमको वह कह गये।

श्री उपाध्यक्ष—क्या कहा है?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—विशेषाधिकार के बाद कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर रूलिंग देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं और वह आध घंटे के बाद आयेंगे, उसके बाद जो आप को कहना हो कहियेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—हमारे कार्य-स्थगन प्रस्तावों को भी तो पढ़ेंगे न, अब कुछ पढ़ने से बाकी न रहे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जब उसी के साथ संलग्न है और उसी विषय पर है तो उसी के साथ पढ़ दिया जाय, कोई आपत्ति की बात नहीं होगी।

श्री उग्रसेन—जिस समय आप पढ़ेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी विराजमान नहीं हैं, जिनके कि विरुद्ध है, तो सुनेंगे कैसे ? उनको बुला लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—गवर्नमेंट रिप्रेजेन्टेड है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—जो मुलजिम हैं, माननीय मुख्य मंत्री और प्रेस वाले, दोनों उपस्थित हों ताकि सब की कमप्लेन्ट पर विचार हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—आप से कोई मतलब नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जो हमारा विशेषाधिकार है, जिसके प्रति है, वह यहां सदन में न मौजूद हो, तो मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि किसको आप सुना रहे हैं ? माननीय सदन ही सुन कर रह जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदन को ही सुना रहा हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—सदन कोर्ट है और मुलजिम हैं मुख्य मंत्री जी। मुलजिम के सामने अभियोग-पत्र रखा जाना जरूरी है। मैंने अभियोग-पत्र की एक कापी उन्हें भेज भी दी है। उन्हें बुला लिया जाय ताकि वह सुनें कि उनके खिलाफ क्या-क्या चार्जेज हैं और वह उन चार्जेज का उत्तर दें। यह एक विशेष महत्व का मामला है। सदन में झूठ बोलना, सदन के नेताओं के खिलाफ आरोप लगाना आदि, इसमें बड़ा झमेला है। कानूनी मसला है। इसको प्रायरिटी मिलना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा। उन्होंने एक शब्द कहा 'झूठ' बोलते हैं। तो मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करूंगा और करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि 'झूठ' शब्द इस्तेमाल करने के बजाय 'मिस स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स' कहते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य 'झूठ' शब्द को वापस ले लें।

श्री दीपनारायणसिंह—मैंने इस संदर्भ में कहा है कि वह गलत है या यह गलत है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कहा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—नेशनल हेराल्ड अखबार के खिलाफ एक प्रस्ताव आया है। पत्रकारों का मामला भी उसमें आ गया है। मैं यह व्यवस्था आपसे चाहता हूं कि यह मसला अगर प्रिविलेजेज कमेटी को आपने दे दिया तब तो बात दूसरी है लेकिन अगर यहां पर उसे लेते हैं तो नेशनल हेराल्ड और पत्रकारों की ओर से किस प्रकार से सफाई हो सकेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने अर्ज किया कि अध्यक्ष महोदय ने मुझ से यह कहा है कि मैं यह पढ़-कर सुना दूं। तो मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। उसके बाद दूसरा काम चलेगा और उसके बाद जब वह आयेंगे तब सारी कार्यवाही होगी।

माननीय रक्षपालसिंह का यह मोशन है। दिनांक १७-९-६२ को माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने समाचार-पत्रों में छपे अपने (कानपुर) के वक्तव्य को गलत बताया। पत्र सम्वाददाताओं ने १८-९-६२ को एक प्रस्ताव पास करके एक नई परिस्थिति

उत्पन्न कर दी है जिसमें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री का सदन का भाषण तथा उत्तर गलत बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति को देख कर ऐसा ज्ञात होता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने १७-९-६२ को सदन में झूठा वक्तव्य दिया है। तथा तथ्यों को जो उन्होंने कानपुर भाषण में कहा था उलट दिया है। आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं।"

दूसरा माननीय नरसिंह नारायण, शिवनाथसिंह जी व उग्रसेन जी का है। वह इस प्रकार है —

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध रखना चाहता हूं। आशा है ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय प्रदान करेंगे। मेरी तारीख १७-९-६२ की वैधानिक आपत्ति के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि मैंने कानपुर की सभा में अपने किसी मंत्रिपरिषद् के सदस्य के प्रति कुछ नहीं कहा। जो अखबार में छपा है वह निराधार है और सत्य से परे है। परन्तु इस सम्बन्ध में कल दिनांक १८-९-६२ ई० को जर्नलिस्ट एसोसियेशन की मीटिंग में इस बात को लेकर चिन्ता प्रकट की गयी और उनका कहना है कि पी० टी० आई० को मुख्य मंत्री का साधिकार पूर्ण भाषण दिया गया था। इससे प्रदेश व सदन के सदस्यों में चिन्ता उत्पन्न है और मुख्य मंत्री ने सदन के समक्ष गलत बयानी करके सदन को भ्रम में डाला है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी सेवा में तारीख १८-९-६२ का साधिकार दैनिक अंग्रेजी जिसमें सम्पादकीय अग्रलेख उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में छपा है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं व १८-९-६२ के पत्रकार एसोसियेशन की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो 'पायनियर' दिनांक १९-९-६२ में छपा है जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायगी।"

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—एक निवेदन है कि सबसे पहले 'नेशनल हेराल्ड' पर जो प्रिविलेज मोशन है वह पढ़ा ही नहीं गया। उसके बाद आज जो मैंने सबसे पहले दिया है वह भी आपने नहीं पढ़ा।

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ रहा हूं। मुमकिन है वह सिलसिला गलत हो गया हो, मैं जानता नहीं।

तीसरा माननीय दीपनारायणसिंह जी का इस प्रकार है —

"महोदय, आज दिनांक १९-९-६२ के दैनिक समाचार-पत्रों में दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ के प्रेस सम्वाददाता समिति, लखनऊ के सर्वसम्मति से पास किये गये प्रकाशित समाचार से, जो इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है इस सदन के सदस्यों एवं जन-साधारण में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई है, अतः मेरी निम्नलिखित शिकायत है ;—

'दिनांक १७-९-६२ को इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा उनके द्वारा १६-९-६२ इतवार को कानपुर के कांग्रेसजनों की सभा में दिये गये भाषणांश के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य और आज दिनांक १९-९-६२ को समाचारपत्रों में प्रकाशित दिनांक १८-९-६२ को सर्वसम्मति से प्रेस सम्वाददाता समिति, लखनऊ द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को पढ़ने के पश्चात् अनिवार्यतः एवं निश्चित रूपेण यही कहना पड़ेगा कि या तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ साथियों के प्रति १६-९-६२ को कानपुर में अपने द्वारा प्रगट किये गये आक्षेपात्मक विरोधी उद्गारों की प्रतिक्रिया से घबरा कर इस सदन में १७-९-६२ को गलत बयानी करके इस सदन की मर्यादा एवं इज्जत को आघात पहुंचा कर विशेषाधिकार की अवहेलना की है अथवा उक्त प्रेस सम्वाददाता समिति, लखनऊ के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके अपनी इज्जत के लिये हमारे सदन के सम्मानित सदस्य माननीय चन्द्रभानु गुप्त के १७-९-६२ के उक्त वक्तव्य को, जो इसी सदन में दिया गया था अनुचित गलत ठहरा कर इस सदन की मर्यादा व इज्जत को चोट पहुंचाई है और विशेषाधिकार की अवहेलना की है। जिन समाचारों ने उक्त प्रकार

[श्री उपाध्यक्ष]
के गलत कथन प्रकाशित किये हैं जिनसे इस सदन की अवमानना होती है, वे भी अपराधी हैं।

अतः यह सदन निश्चय करे कि इस सदन के सम्मान व गौरव एवं गरिमा की रक्षा के लिये उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनके वक्तव्य व प्रस्ताव इस सदन की अवमानना करते हैं बयान देने के बाद अपराधी पाये गये, समुचित दण्ड दिया जाय ताकि भविष्य में इस सदन में गलत बयानी करके या इस सदन के सम्मानित सदस्य के इस सदन में दिये गये किसी सच्चे वक्तव्य को असत्य व अनुचित ठहराने की कोई व्यक्ति या समिति कोशिश न कर सके।"

अब एक कुंवर श्रीपाल सिंह जी तथा श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी का है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय माननीय श्री दीपनारायण सिंह जी ने जो दिया है उसमें दो सिगनेचर्स हैं। उनको भी पढ़ देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें माननीय श्यामलाल जी के भी हस्ताक्षर हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह तथा टम्बेश्वरी प्रसाद जी का है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय यह किस तारीख को भेजा गया है, यह बता दीजिये वरना लोग समझेंगे कि यह आज ही भेजा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—यह १७-९-६२ को भेजा गया है, वह इस प्रकार है कि—

"महोदय, आप की सेवा में मैं नेशनल हैराल्ड समाचार-पत्र १७-९-६२ का कानपुर समाचार का वह खंड भेज रहा हूं जिसमें इस पत्र ने एक ऐसा झूठा बयान छापा है जिसमें भूतपूर्व मंत्रिमंडल के जो सदस्य जो इस सदन में मंत्री हैं के कार्यों की निन्दनीय रूप से टीका की है। टीका करते समय वे तथा कथित मुख्य मंत्री का कथन जिसमें उन मंत्रियों के, इस सदन के सदस्य तथा मंत्रिपद पर अवांछित आक्षेप हैं। यह शब्द इस प्रकार हैं कि—

"सम मिनिस्टर्स....."

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, अंग्रेजी भाषा है तथा लिपि नागरी है, इसलिये पढ़ने में आप को थोड़ी अड़चन है।

श्री उपाध्यक्ष—सम मिनिस्टर्स बैंकिंग आउट सेज गुप्ता। तथा कानपुर संडे—"दि चीफ मिनिस्टर मिस्टर सी० बी० गुप्ता टु डे सेड सम आफ हिज कैबिनेट वलीग्स वेयर गोइंग बैक आन देयर कमिटमेंट्स अन्डर दि थर्ड प्लान ऐज मेम्बर्स आफ दि सम्पूर्णानन्द गवर्नमेंट।" (पढ़ने में दिक्कत होने पर) जरा सा टाइप भी खराब है और अंग्रेजी का हिन्दी में लिखा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—ही सेड दैट दे हैड सेट देयर सील आफ ऐप्रूवल.... माननीय महोदय, इस प्रकार समाचार पत्रों में सदन के माननीय सदस्यों, मन्त्रियों तथा मुख्य मन्त्री के नाम से झूठे नाम छाप कर इस समाचार पत्र ने प्रदेश में इस सदन एवं इसके सदस्यों के प्रति घोर अविश्वास एवं अनादर उत्पन्न किया है, मन्त्रियों एवं सदस्यों के कर्तव्य निर्वाहन में बाधा डाली है। आपके द्वारा मैं नेशनल हेराल्ड तथा उसके सम्वाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं।" एक और माननीय राम किशोर जी त्रिपाठी (बाराबंकी) का है।

"मैं इसे विशेषाधिकार के प्रश्न द्वारा पी० टी० आई० द्वारा १६ सितम्बर को कानपुर में इस माननीय सदन के सदस्य एवं नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त के वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रसारित गलत वक्तव्य के सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं जिसमें यह प्रसारित किया गया है कि श्री गुप्त ने अपने मन्त्रि परिषद् के साथियों पर यह आरोप लगाया है कि उनके कुछ साथी अपने पूर्व दिये हुए वचनों से विमुख हो रहे हैं जबकि माननीय मुख्य मन्त्री श्री गुप्त ने इस सदन में १७ सितम्बर को यह घोषणा की कि मैंने उक्त प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है जैसा कि प्रेस ट्रस्ट ने प्रसारित किया है। अतः इस विशेषाधिकार के प्रश्न के द्वारा प्रेस ट्रस्ट के विरुद्ध में कार्यवाही की मांग करता हूं।"

एक और है माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का है—

"अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैंने दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ को एक विशेषाधिकार का प्रश्न नैशनल हेराल्ड पत्र के सम्बन्ध में दिया था। आपने आज उसको सुनने का निश्चय किया था। परन्तु पत्र संवाददाताओं ने एक प्रस्ताव द्वारा उस स्पष्टीकरण के प्रति जो माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन में पढ़ा था शोक प्रकट किया है। मैं प्रेस समिति के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की इस हेतु सूचना देता हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप इसकी अनुमति दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। यह आपने जैसा कहा कि इसके क्रम में गड़बड़ी हो सकती है तो क्रम में गड़बड़ी नहीं बिलकुल उलट गया है और क्रम उलट जाने से नियम न मालूम कितने उलट जायेंगे वह मैं इस समय कहना नहीं चाहता। तो इसका क्रम जो उलट गया है वह सीधा कर दें वरना उस समय वैधानिक आपत्ति उठने लगेगी तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। आप उसको देख लें और बता दें कि किसका पहले आया है तो उससे सुविधा हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—मैं सचिव महोदय से पूछ रहा हूं। वह अभी देखकर बता देंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—हमारा तो, श्रीमन्, १७ तारीख का है। वह तो सबसे पहले आना चाहिये। जो १९ तारीख का है वह सबसे पहले कैसे आ जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—यह देख लिया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमान् जी, सबसे पहले हमारा है १७ तारीख का। अगर उसको आप पेश नहीं करेंगे तो जैसा मैंने कहा उसमें गड़बड़ी हो जायगी।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमान् जी, समय को अहमियत दी जायगी या शब्दावली को? समय को अहमियत नहीं दी जानी चाहिये, शब्दावली से अहमियत समझी जाय। यह कम्प्लेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय श्रीपाल सिंह जी का १७ तारीख का है वह पहले आयेगा और उसके बाद माननीय रामकिशोर जी का १७ तारीख का ही है। उसके बाद टम्बेश्वरी प्रसाद जी का है १९ तारीख का। ९ बजकर ५ मिनट पर वह आया है। फिर माननीय दीपनारायण जी का है। इस तरह से ये हैं।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

१४ सितम्बर, १९६२ को श्री उग्रसेन द्वारा आपत्ति-जनक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अभिसूचित विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—पहले मैं दो प्रिविलेज मोशन्स ले रहा हूं जिनमें से एक माननीय बसन्त लाल जी का है और एक माननीय राधेश्याम जी का है। माननीय बसन्त लाल जी का तो मैंने पढ़ के सुना दिया था। उनका आरोप यह था कि—श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी का यह कथन कि मन्त्री जी हमको इस प्रकार भुलावे में डालकर सदन का समय नष्ट कर रहे हैं, विशेषाधिकार की अवहेलना है और प्रक्रिया नियमावली की धारा २८९ की उपधारा (ग) का उल्लंघन भी है। मैंने इस सूचना को अस्वीकार किया है। लेकिन मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये शब्द कि समय नष्ट किया जा रहा है असंसदीय माने गये हैं और प्रायः यह हुआ है कि जब इन शब्दों का प्रयोग हुआ तो माननीय सदस्य को उसी समय कहा गया कि गलत है और उनको वापस लेना चाहिये और वह वापस ले लिये गए। एक तो खेर साहब की इस सम्बन्ध में रूलिंग है और एक व्यवस्था माननीय टंडन जी की है। इन दोनों व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

"THE WORDS "WASTING THE TIME OF THE HOUSE"

On February 13, 1939, Mr. Muhammad Ishaq Khan while moving an amendment to a clause read the clause as amended, whereupon Shri Vishwambhar Dayal Tripathi remarked that it was nothing but wasting the time of the House.

The Deputy Speaker ruled : Mr. Tripathi should not have used the word 'waste' but at the same time it was not proper on the part of Mr. Muhammad Ishaq Khan to persist that he should read the whole clause."

Mr. Muhammad Ishaq Khan, "Sir, may we take it that the words 'wasting the time of the House' are parliamentary expressions."

The Deputy Speaker ruled : "I have already held that the use of the word "waste' is unparliamentary"

इसी प्रकार से माननीय खेर ने खंड १९५ से २०४ में इसी प्रकार की अपनी व्यवस्था दी है। तो मैं यह आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। माननीय उग्रसेन के भाषण को मैंने देखा और उस भाषण को देखते हुए मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि उन्होंने ये शब्द नहीं कहे थे कि आप समय नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा कि सदन को भुलावा देकर समय नष्ट नहीं किया जा सकता। वह इस प्रकार से था। तो इससे यह आशय नहीं निकलता कि माननीय उग्रसेन किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हों। माननीय मन्त्री जी हमको भुलावे में नहीं डाल सकते, इस प्रकार भुलावे में डालकर सदन का समय नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको आगे पीछे प्रकरण पढ़ने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि उनका आरोप लगाने का मंशा नहीं था और चूंकि मेरे हृदय पर यह प्रभाव पड़ा है तो मैं यह प्रिविलेज का मोशन स्वीकार नहीं कर सकता।

सदन की कार्यवाही सी० आई० डी० रिपोर्टर द्वारा प्रतिवेदित करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा १४ सितम्बर, १९६२ को दिये गये कथित असत्य भाषण पर उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—एक और प्रिविलेज का मोशन माननीय राधेश्याम जी का आया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि "मान्यवर, दिनांक १४-९-१९६२ को माननीय मुख्य मन्त्री

ने सदन में सी० आई० डी० रिपोर्टर आने पर अपना बयान जब सदन में दिया तो बयान में अन्य सब बातों का जिक्र करते हुए यह भी कहा था कि सी० आई० डी० रिपोर्टर आने की सदन में पहले से परम्परा रही है। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब अपनी व्यवस्था दी तो यह कहा कि जो सी० आई० डी० रिपोर्टर आये थे वह यह जानकर नहीं बुलाये गये थे कि वह सी० आई० डी० के रिपोर्टर हैं।" लेकिन उसमें मैंने यह कहा था कि पहले किसी समय इस सदन में सी० आई० डी० रिपोर्टर बुलाये जाते थे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम यह कह सकें कि माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन को मिसलीड किया या उनका मंशा सदन को मिसलीड करने का था। मैं इसको भी अस्वीकार करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—अब मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री के वे शब्द कार्यवाही से एक्सपंज करने चाहिये क्योंकि वह आपकी व्यवस्था के विपरीत होते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने स्वयं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं आपको याद दिलाऊं कि आरम्भ में उन्होंने कहा था कि ऐसी परम्परा सदन में कभी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसको देख लिया है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा।

मन्त्रि-परिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मेरे सामने एक और विशेषाधिकार का प्रश्न, माननीय मुख्य मन्त्री ने १६ सितम्बर, १९६२ को जो भाषण कानपुर में दिया, उसके सम्बन्ध में आया है। उसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समाचार आया। जिस प्रकार से और जिस रूप में वह समाचार आये थे उनका प्रतिवाद माननीय मुख्य मन्त्री ने बाहर व इस सदन में किया। अब इस संबंध में मेरे पास कई एक सूचनायें विशेषाधिकार के अन्तर्गत आयी हैं। वह सूचनायें कई प्रकार की हैं। पहली सूचना जो माननीय श्रीपाल सिंह जी ने दी है वह नेशनल हेराल्ड और उसके संवाददाता के विरुद्ध है और वैसी ही सूचना माननीय रामकिशोर त्रिपाठी की है। यह दोनों आप को पढ़ कर सुना दी गयी हैं। माननीय राम किशोर त्रिपाठी का यह कहना है कि "अतः इस विशेषाधिकार के प्रश्न द्वारा प्रेस ट्रस्ट के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।" उन्होंने स्पष्ट प्रेस ट्रस्ट के विरुद्ध यह प्रश्न उठाया है और माननीय श्रीपालसिंह और टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने यूं कहा है कि आप के द्वारा मैं नेशनल हेराल्ड और उसके संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। तो सब से पहले मैं इन विशेषाधिकार की सूचनाओं के सम्बन्ध में माननीय श्रीपाल सिंह, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी यदि कुछ कहना चाहें तो, और माननीय राम किशोर जी को सुनूंगा और मेरा निवेदन है कि वे संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, मुझे इस विषय में केवल दो ही बातें निवेदन करनी हैं। पहली बात तो यह कि ऐसी कुछ परम्परा है और ऐसी एक विचारधारा है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी उठ सकता है जबकि उसका विषय सदन के अन्दर का हो और दूसरा विषय यह है कि जिस माननीय सदस्य के प्रति विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो, वह कृत्य जिसके द्वारा अवहेलना हुई हो वह सदन के अन्दर का होना चाहिये। यह दोनों बातें ऐसी हैं जिनके विषय में मैं आप से निवेदन करूंगा। पहली बात, अवमान सदन के भीतर हुई कार्यवाही से सम्बन्धित होना चाहिये। इस के विषय में मैं आपके सामने प्रक्रिया नियमावली रखना चाहता

[कुंवर श्रीपालसिंह]

हूं। उसकी धारा ६६ में जहां ग्राह्यता की शर्तें दी हुई हैं उनमें कहीं भी यह शर्त नहीं है कि यदि किसी भी माननीय सदस्य की अवमानना हुई हो, सदन के बाहर के कृत्यों से, तो वह नहीं लिया जायगा। इस बात को जानने के लिये मैंने संविधान का भी अवलोकन किया और उसमें भी कहीं यह नहीं कहा गया है कि इस प्रकार जो कार्य सदन के बाहर होगा उस से अवमान नहीं समझा जायगा। केवल एक चीज संविधान में मुझे मिली है और वह यह कि जहां कहीं कोई प्रक्रिया अपने यहां न मिले तो उस के लिये हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रक्रिया को देखना पड़ेगा ऐसा संविधान में इंगित किया गया है धारा १९४ के अनुसार। इसमें है कि जिस चीज के लिये हमारे यहां कोई प्रक्रिया न होगी उस के लिये हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ देखना चाहिये, तो प्रश्न यह आता है कि क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस तरह की कोई बात हुई या नहीं. . .

श्री दीपनारायणसिंह—मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस या ब्रिटिश पार्लियामेंट की रूलिंग ?

श्री अध्यक्ष—जब आप बोलियेगा तो बता दीजियेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—तो इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि २६ फरवरी, सन् १७०१ को हाउस आफ कामन्स ने एक रिजोल्यूशन पास किया है "और उस रिजोल्यूशन के जरिये उन्होंने क्या कहा वह मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कौन सा पढ़ रहे हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह—यह अपने उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक मंगलवार, २८ अगस्त, सन् १९५१ में है। एक विशेषाधिकार का प्रश्न ऐसा ही इस सदन में उठा था। उसमें बोलते हुए उस दिन माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने इसे कोट किया था, वही मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं। तो इसमें लिखा है कि "२६ फरवरी, सन् १७०१ को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "२६ फरवरी सन् १७०१ को हाउस आफ कामन्स ने निश्चय किया कि किसी निन्दा लेख जिसमें सदन के किसी सदस्य पर दोषारोपण किया गया हो, 'या' शब्द पर मैं जोर इसलिये दे रहा हूं कि इस के आगे एक ऐसा शब्द आया है जिसको इसमें मिला देने से मतलब खब्त हो सकता है। इसलिये शब्द 'या' पर अधिक जोर देना चाहता हूं। आगे है "या जो सदन में उसकी सेवाओं के सम्बन्ध में हों।" इसमें शब्द अंग्रेजी का 'आर' देकर तब उस क्लाज को दे रहे हैं। या सदन की सेवाओं के सम्बन्ध में न हों। तब पहले वाला क्लाज अपनी जगह पर कायम है। ऐसा है कि "हाउस आफ कामन्स ने निश्चय किया कि किसी निन्दा लेख को जिसमें सदन के किसी सदस्य पर दोषारोपण किया गया हो।" परन्तु आप देखें कि निन्दा लेख के माने यह नहीं हुए कि वह निन्दा यहां से याने सदन से ही सम्बन्धित हो। वह कहीं से भी सम्बन्धित हो सकती है।

श्रीमन्, आप देखें कि 'किसी की सेवाओं के सम्बन्ध में हो।' यह शब्द 'आर' के बाद है। इसको उसके साथ मिलाया नहीं जा सकता। आगे है कि "तो मुद्रित करना या प्रकाशित करना सदन के अधिकार या विशेषाधिकार की घोर अवहेलना करना है।" अब प्रश्न यह उठता है कि वहां की पार्लियामेंट से हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि किसी भी सदस्य के कृत्यों पर. . . . .।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, एक व्यवस्था है। 'या' का जो तरजुमा हाउस आफ कामन्स में है वह 'दैट इज' 'आई० ई०' है। जो यह कह रहे हैं वह नहीं है; जो ओरिजनल प्रस्ताव है उसको लेकर अगर पढ़ा जाय तो वहां पर यह है "रिजोल्यूशन इन कनेक्शन विद" ऐसा करके "दैट इज" है, तो वह इक्सप्लेनेटरी है। इसलिये वह उस ढंग से न माना जाय बल्कि explanatory "In connection with the services of the House", इस प्रकार उसको मानना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, जो 'आर' शब्द है अंग्रेजी वाला, आप उसे देखें तो ज्ञात होगा। अब यदि उसे माननीय सोशलिस्ट सदस्य कुछ दूसरा कह दें तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जो अर्थ 'या' के होते हैं हिन्दी में वही हैं। 'या' के माने यह नहीं होते कि उसको मिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप जोर दे रहे हैं तो उससे शक होता है कि दूसरे कोई माने हो सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, आप देख लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमें किसी जगह मार्गदर्शन न मिले तो ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स से मार्गदर्शन मिलता है और उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे माननीय सदन के किसी भी माननीय सदस्य के किसी भी कृत्य के ऊपर किसी प्रकार का लांछन या कोई प्रकाशन होगा तो वह सदन अवमान में आ जायगा। अब इसके लिये दूसरा प्रमाण मैं यह रखना चाहूंगा जो कि अपनी लोक सभा का है। लोक सभा के थर्डोन्थ सेशन में माननीय कृपालानी जी के विरुद्ध 'ब्लिट्ज' में एक मर्तबा कुछ छपा था जिसके कई विवाद-बिन्दु बनाये गये थे। मगर जो सबसे प्रमख ईश्यू था वह यह था कि 'ब्लिट्ज' ने माननीय कृपालानी जी का एक कार्टून बनाकर उसके ऊपर लिखा था "कृपालूनी"। "लूनी" के माने हैं पागल। तो उसको इंगित इसी तरह से किया गया था और उसे भी पढ़कर आप देख लें कि जो बात कही गयी उसके पक्ष में इस बात पर अधिक जोर दिया गया था कि एक माननीय सदस्य पार्लियामेंट, जिनका मस्तिष्क बिलकुल ठीक था, बोलने में जो उच्च कोटि के वक्ता थे, जिनके मस्तिष्क का संतुलन कतई गड़बड़ नहीं था, उनको "लूनी" कह कर पागल बनाया गया तो वह बात अवमानता में आ गयी और ब्लिट्ज के संपादक को सदन के सामने उपस्थित होना पड़ा और जो कुछ भी दंड हुआ वह भुगतान पड़ा। तो इस प्रकार भी यह सिद्ध होता है कि प्रकाशन में किसी माननीय सदस्य के चरित्र के ऊपर जो लांछन होगा वह भी सदन के लिये अवमाननीय होगा।

श्री अध्यक्ष—क्षमा कीजिये, जरा एक लफ्ज में बता दूं—

"On 26th February, 1701, the House of Commons resolved that to print or publish any lebels reflecting upon any member of the House for or relating to his services therein . . . . "

तो "for or relating to his services" में से " for " रह गया है, इस वजह से वह कोटेशन कुछ गलत है।

कुंवर श्रीपालसिंह—ठीक है, आपका ही ठीक होगा। मैं जो पढ़ रहा था यह भी अधिकृत विवरण था, वह मैंने रखा। हम तो इसी को सही मानेंगे क्योंकि हमारे सदन का है। हो सकता है कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की प्रिंटिंग में गलती हो गयी हो इसका क्या प्रमाण है?

श्री अध्यक्ष—यह जो आपने कृपालानी जी का पढ़ा था वह बतला दीजिये कि कहां छपा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह लोक सभा की कार्यवाही है २० अप्रैल, १९६१ की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का कोई लेख या चित्र, व्यंग चित्र, जिससे किसी माननीय सदस्य के चरित्र के ऊपर लांछन आता हो या उसके उन कृत्यों पर लांछन आता हो जिनके सिद्ध हो जाने से सदन को उसकी अनर्हता के ऊपर आक्षेप हो वह भी सदन का अवमान होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाय ४२० का तो वह अवमान होगा सदन के अन्दर ?

कुंवर श्रीपालसिंह—अगर वह मुकदमा झूठा है तो अवश्य अवमान है। अगर सच्चा है तो अवमान का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सजा होगी ही। तो मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि यह जो लेख निकाला यह किस नीयत से निकाला उसको देखना होगा। आपने तो मेरा मार्गदर्शन कर दिया तो वह नीयत को सिद्ध करने वाला होना चाहिये कि किस नीयत से दिया गया।

इसमें जो यह "कृपालूनी" शब्द आया है उसमें लिखा है कि उसकी नियत बुरी थी। वह कार्टून लूनी शब्द को सिद्ध करने के लिये ही बनाया गया था...

श्री अध्यक्ष—आप इसको भी जरा ध्यान में रखें—

"Written imputations, as affecting a Member of Parliament may amount to breach of Privilege, without perhaps, being libels at common law", but to constitute a breach of Privilege a libel upon a Member must concern the character or conduct of the Member in that capacity."

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि यह माननीय सदस्य के चरित्र से सम्बन्धित है। नीयत इसलिये देखी जायेगी क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो भाषण प्रकाशित हुआ नेशनल हेरेल्ड में उसमें यह बात थी कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी की कैबिनेट ने इतना रुपया मांगा, उससे अब कुछ मन्त्री-बैंक आऊट हुए जा रहे हैं। यहीं पर कैबिनेट की गोपनीयता की शपथ भंग होती है। मन्त्रि परिषद् में जब कोई व्यक्ति शरीक किया जाता है तो वह गोपनीयता की शपथ लेता है। उस शपथ को भंग करना एक जुर्म है, उसी प्रकार जैसे कि किसी मुकद्दमे में कोई एफिडेविट लगाया जाता है और अगर उसको बदला जाता है और उसके खिलाफ बात कही जाती है तो वह आई० पी० सी० की धारा १९३ के अनुसार एक जुर्म है, एक क्रिमिनल आफेंस है। कैबिनेट की शपथ भंग करना भी एक क्रिमिनल आफेंस हो जाता है।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, उसको पूरा आप नैतिक तरीके से भी देखें। प्रदेश के ऐसे मुख्य मन्त्री के चरित्र पर, जो कि पाताल से सीधे एकदम आकाश में गया हो और वह भी अपने बौद्धिक बल से, जैसे कि एक स्पूतनिक जाता है, (व्यवधान) ब्लाट लगा देना वह भी एक क्रिमिनल आफेंस था। वह इसलिये कि शपथ भंग हुई है। गोपनीयता की शपथ लेकर उसके विरुद्ध कोई बात कहना चरित्र पर भी लांछन है।

अब मैं भारतीय परम्परा पर भी आता हूं। हो सकता है कि आज के जमाने में वह चीज समझ में न आये, परन्तु अपनी भारतीय परम्परा यह रही है कि "प्राण जाय पर वचन न जाई", जो प्रतिज्ञा कर ली, किसी सूरत में भी वह नहीं छूटेगी, प्राण भले ही चले जायं। तो उस भारतवर्ष में जन्मे हुये और उस भारतीय परम्परा में पले हुये व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह शपथ को भंग करेगा। उससे बढ़ कर कोई लांछन नहीं होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्दर या संसार की किसी भी दूसरी विधायनी सभा के अन्दर यह बात भले ही मामूली समझी जाय, मगर भारत के किसी भी सदन में इससे बड़ा लांछन किसी व्यक्ति के ऊपर दूसरा नहीं हो सकता कि उसने प्रतिज्ञा भंग की। उनके ऊपर यह लांछन लगाया गया नेशनल हैराल्ड द्वारा कि उन्होंने गोपनीयता की प्रतिज्ञा भंग की; तो सीधे, बगैर किसी तर्क या वितर्क के, नैशनल हैराल्ड पर सदन के अवमान का प्रश्न बनता है। हमारा जो इस सम्बन्ध में धर्मशास्त्र है, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, जिसका आपने थोड़ा सा पढ़ा, उसके शब्दों में है कि यदि किसी भी सदस्य के चरित्र पर लांछन आता है तो वह सदन का घोरतम अपमान है। घोर ही नहीं, बल्कि घोरतम। फिर, हमारे सदन के एक मामूली सदस्य भी नहीं, नेता सदन। नेता सदन और मुख्य मन्त्री के दो व्यक्तित्व हैं। नेता सदन पूरे सदन के नेता हैं। नेशनल हैराल्ड ने जो लिखा वह नेता सदन के ऊपर आक्षेप किया। किसी मामूली सदस्य के ऊपर नहीं किया।

माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी, नेता सदन ने यह कहा था कि अभी उनके मस्तिष्क का सन्तुलन ऐसा नहीं बिगड़ गया है कि वह इस तरह का कार्य कर सकें। इससे सिद्ध होता है कि उनके भी मस्तिष्क के ऊपर नेशनल हैराल्ड के उस लेख का वही प्रभाव पड़ा जो मेरे मस्तिष्क के ऊपर पड़ा, यानी उन्होंने भी वही समझा जो मैंने समझा, और मैंने वही समझा कि उनके लिये यह कह कर कि उन्होंने प्रतिज्ञा भंग की है, वही लूनी शब्द लगा दिया गया। मस्तिष्क के सन्तुलन की मैं भी गवाही दे सकता हूं कि अगर बिगड़ गया होता तो पाताल से आकाश में कैसे पहुंच जाते। इसलिये यह बिलकुल सिद्ध है। एक दम से, चाहे जिस तरह से भी आप देखिये, सदन का घोरतम अवमान किया है नेशनल हैराल्ड ने। चूंकि यह घटना सदन में हुई है, इसलिये इसमें गवाही की भी जरूरत नहीं है। इसे आप सीधे-सीधे प्रिविलेज कमेटी में भेज दें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जब नेता सदन का अवमान किया जा सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं।

श्री अध्यक्ष—कुछ गलती-सी मालूम होती है। १३९ सेक्शन आपने कहा है। मेरा खयाल है कि १९३ है।

कुंवर श्रीपालसिंह—आई० पी० सी० का १९३ है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय यहां आसीन थे तो मैंने सवाल उठाया था कि जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं और चूंकि आपने बहस की आज्ञा दी है, उसमें नेशनल हैराल्ड अखबार का भी कुछ पहलू है, जो पत्रकार समिति हैं उनका भी इसमें आ जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि नेशनल हैराल्ड या पत्रकार समिति को कब मौका मिलेगा? यहां पर उनकी ओर से सुनने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है, पत्रकार समिति और नेशनल हैराल्ड दोनों की ओर से?

श्री अध्यक्ष—मैं आवश्यक समझूंगा तो उनसे पूछ लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—हां, कहिये।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, जब कल यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया उस समय आपकी धारणा यह थी कि यह बात बाहर कही गई है, इसलिये सदन में नहीं लायी जा सकती। परन्तु आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से सदन में उस बात का कंट्राडिक्शन दिलवाया कि जो बात उनके लिये बताई जाती है वह उन्होंने नहीं कही थी। इसका मतलब यह होता है कि जो कुछ बाहर कहा गया था उससे ब्रीच आफ प्रिविलेज उठता था, इसलिये आपने सदन में कंट्रेडिक्शन दिलवाया। उसके बाद कल जो प्रेस कारस्पांडेन्स की मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि यह कहा गया, प्रस्ताव पास हुआ। अगर आप यह व्यवस्था दें कि बाहर कही हुई बात पर अवमान का प्रश्न नहीं उठता है तो यह सारी बहस ही समाप्त हो जाती है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि नहीं साहेब, और दूसरी ओर आप मुख्य मंत्री जी का कंट्रेडिक्शन दिलवाते हैं.....

श्री अध्यक्ष—आपकी व्यवस्था क्या है?

श्री नेकराम शर्मा—आपने यह मान लिया कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है, इसलिये इस पर बहस हो रही है?

श्री अध्यक्ष—मैंने कल यह कहा था कि माननीय श्रीपालसिंह २, ३ बातों का ध्यान रखेंगे। मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी थी।

क्या माननीय रामकिशोर जी कुछ कहना चाहेंगे?

एक सदस्य—नहीं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे जो कुछ श्रीपाल सिंह जी ने कहा है ? आपके भी उस पर हस्ताक्षर हैं ।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अगर मैं उनकी बात कुछ नहीं सुन पाया हूं तो शायद दोबारा कह दूं ।

मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि मैं केवल १७ तारीख के विशेषाधिकार पर कहूं या १७ और १९ जो मैंने दिये हैं.....

श्री अध्यक्ष—१९ वाला अलग से लूंगा । इस समय केवल रामकिशोर जी और श्री पाल सिंह जी का ले रहा हूं । दोनों को एक साथ इसलिये लिया है कि श्रीपाल सिंह जी ने कहा है कि नेशनल हैराल्ड और पी० टी० आई० भी आ जाते हैं । माननीय रामकिशोर जी ने भी पी० टी० आई० कहा है । श्रीपाल सिंह जी का ज्यादा व्यापक होने से मैंने उसे ही ले लिया है । इसमें आपको कुछ जोड़ना है जो उन्होंने कहा है ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—हां, थोड़ा सा जोड़ना है । जिस रूल का मैंने जिक्र किया था, उसका मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा में कुछ निवेदन कर दूं । यह सोसाइटी आफ दी क्लार्क्स ऐट दि टेबिल का १९४७ का जर्नल है, पृष्ठ २८४, वाल्यूम ३ । इसमें उन्होंने बहुत पुराने एक केस का जिक्र किया है । वह है १८९३ का । ऐसे मुख्य मंत्री बारबार नहीं आते हैं । मेरा मतलब उनसे नहीं है । मेरा मतलब इस प्रकार की घटनाओं से है । मुझे ठीक कर लिया जाय । इसमें उन्होंने कहा है एक सदस्य का डेली क्रानीकिल में इस तरह से भाषण छपा :—

"He was surprised that there has not been more protest against the War in the House of Commons but one reason he was giving was that the Chartered Company has placed their shares most judiciously—shares which wold sell in the city at an enhanced price had been given to members of the House."

एक सदस्य ने सदन के बाहर भाषण करते हुये यह कहा :—

"He was surprised that there has not been more protest against the War in the House of Commons but one reason he was giving was that the Chartered Company has placed their shares most judiciously—shares which would sell in the city at an enhanced price had been given to members of the House. He stated that the report was inaccurate in that he had said that the shares had been allotted, not given, to members ; and he apologised even for that."

उसने माफी भी मांगी, तब भी कामन्स में प्रिविलेज मोशन की हैसियत से वह डिस्कस किया गया । मैं यह भी बता दूं, मैं छिपाना नहीं चाहता, कि वह डिबेट अन्त को नहीं आई, समाप्त हो गई थी । हो सकता है कि हम भी माननीय मुख्य मंत्री की इज्जत को खयाल में रखते हुये किसी प्रकार इस डिबेट को समाप्त कर दें । लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि इस प्रकार का कोई केस हाउस आफ कामन्स में नहीं आया । उस पर विवाद नहीं हुआ जिसमें सदन के किसी सदस्य ने बाहर कोई बात कही हो । सदन से सम्बन्धित नहीं थी वह और उस पर, सदन में माफी मांगने पर डिबेट हुआ । यह बात मैं उस संबंध में कह रहा हूं कि जो आपने यह कहा कि यह सदन के बिलकुल बाहर की चीज है । इसलिये अगर सदन के बिलकुल बाहर की भी बात हो तो भी यह एक ऐसा फैसला है जिस पर आप विचार कर सकते हैं ।

अब इस पर विचार करने के लिये इस हेतु कहते हैं कि जहां तक पुराने मंत्रिमंडल का सवाल है, अगर उस पर कोई आक्षेप किया जाय तो उसको डिफेंड करना इस मंत्रिमंडल का काम नहीं है, लेकिन श्रीमन्, आप ऐसे स्थान पर हैं जहां से आप उनको डिफेन्ड कर सकते हैं क्योंकि सद न में ही यह बात हुई थी और यहीं पुराने कैबिनेट ने कुछ कहा था । लेकिन नेशनल हैराल्ड ने उसके ऊपर टीका शुरू कर दी । अब पुराना कैबिनेट तो चला गया है, वह तो उसका कोई उत्तर दे नहीं सकता,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये सिवाय आपके सामने उस प्रश्न को रखने के, और कोई साधन हमारे पास रह नहीं जाता है । आप ही ऐसी परम्परा डाल सकते हैं कि सदन में कही हुई बात पर इस प्रकार की टीका न की जा सके । पुराने मंत्रिमंडल के बहुत से सदस्य यहां नहीं हैं और पहले मंत्रिमंडल में जो पहले स्टेट मिनिस्टर थे, जो पूरे कैबिनेट के सदस्य नहीं थे और उन्होंने भी कदाचित् उसकी स्वीकृति दी हो, उनके ऊपर भी यह बात आती है कि वे बैक आउट कर रहे हैं और एक तरह से पूरे कैबिनेट को ही कंडम किया गया है । इसके अलावा उसने किसी एक का या दो का नाम तक नहीं लिखा । ऐसी हालत में उनकी रक्षा करना आपके ही हाथ में है ।

पुराने अध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय दिया था जो उनके निर्णयों (५२–५७) के संकलन के पृष्ठ १२६ पर आया है । इसको उन्होंने दो खंडों में विभाजित किया है । उसमें उन्होंने कहा है—"समाचार पत्रों का सदन की कार्यवाही का गलत छापा जाना या उसकी टीका करना" । माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस समय जो यह प्रस्ताव है, उसमें संवाददाता प्रत्येक रूप से सम्मलित नहीं है और प्रत्यक्ष रूप से जो समाचार छपा है वह समिति के नाम से छपा है । नेशनल हराल्ड प्रेस की जो समिति है वह इससे अलहेदा है ।

श्री अध्यक्ष—उसमें पी० टी० आई० है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आज की जो पायोनियर की न्यूज है.....

श्री अध्यक्ष—वह दूसरी चीज है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा कहना यह है कि नेशनल हेराल्ड वाली बात उससे अलग है, तो नेशनल हेराल्ड ने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया है और न इस प्रकार की कोई माफी ही छापी है कि हमने गलतबयानी की है । जब उसने इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया है तो इसी से स्पष्ट है कि यह डेलिबरेटली किया गया है, जानबूझ कर किया गया है । ऐसी स्थिति में हमारे सदन का जो दूसरा भाषण है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां दिया, उस पर चैलेंज होता है । उसने अपनी गलती को महसूस नहीं किया और उसे माना नहीं । तो दोनों प्रश्नों को देखते हुये और इसके महत्व को देखते हुये आज सारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश में भी एक उलझन की स्थिति है कि हमारे मुख्य मंत्री झूठे हैं या सच्चे हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे आप विशेषाधिकार समिति को भेज दें, वहीं निर्णय हो जायगा कि इसमें सत्य क्या है और झूठ क्या है ।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय श्रीपालसिंह और माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद, इन दो महानुभावों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे, माननीय रामकिशोर जी तो हैं ही नहीं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तो आपने उसको अलग किया है जो माननीय श्रीपालसिंह ने कल दिया है और एक आपने अलग किया है जो आज दिया है, तो दोनों को मिला कर भी माननीय सदस्य बोलना चाहें तो आप उसको परमिशन देंगे ? क्योंकि मैं अपने लिये निजी तौर पर कहना चाहता हूं कि जो कानूनी पहलू है उसे तो और लोग आपके सामने रखेंगे ही लेकिन मैं एक व्यावहारिक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं । इसीलिये मैं आपसे यह पूछ रहा हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, मैं बिलकुल नयी बात कहना चाहता हूं और दोनों ने जो बातें कहीं हैं उनके विपरीत बात कहना चाहता हूं । वह बिलकुल नया विचार होगा ।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब की सुन लेने के बाद ही विपरीत बात सुनी जाय तो अच्छा होगा ।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, आपको भी मौका मिलने वाला है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मेरे लिये क्या आज्ञा है ?

श्री अध्यक्ष—विरोधी दल का नेता होने के नाते सब के अन्त में आप बोलें तो वह ज्यादा अच्छा होगा ।

माननीय गेंदा सिंह जी, आपको भी कुछ कहना है ?

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं और बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं । माननीय श्रीपालसिंह व माननीय रामकिशोर जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि उसे बहुत घुमा फिरा कर वे उठाना चाहते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी को दाद जरूर दूंगा कि किसी गलत मामले को बड़ी योग्यता से उन्होंने रखा है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है । श्रीमान्, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड या पी० टी०आई० के विरुद्ध कोई मामला मैं नहीं समझता कि कहीं रत्ती भर भी छुआछूत उससे है। जो कुछ वे कहना चाहते हैं उसे सीधे कहते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता । आधा इधर की और आधा उधर, कहने की कोशिश उन्होंने जरूर की । मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो पत्रों की प्रतिष्ठा है और उसमें भी खासतौर पर इस वक्त मैं कहना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि नेशनल हेराल्ड यहां के शासक दल का एक आर्गन है, मुख-पत्र है, आज देश भर में पत्रकारिता में जो उसका स्थान है उसकी प्रशंसा की जायगी । दूसरे पत्रों को भी उनके उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने में हम जितनी सहायता कर सकते हैं, इस मुल्क में जब शैशव अवस्था में डेमोक्रेसी है, हमारा योगदान होना चाहिये । इस बात को कहते हुये मैं समझता हूं कि कोई खता नहीं है । मैं इस मामले को, जैसा कि आपने अलग कर दिया है उस सम्बन्ध में कोई प्रश्न आयगा तब कुछ कहूंगा लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से यह मामला माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने रखा, चाहे उन्होंने माननीय त्रिलोकी सिंह जी के ही विचारों को रखने की कोशिश की हो या ब्लिट्ज के मामले को रखने की चेष्टा की हो, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो वह दोनों ही मामले उनके विरुद्ध जाते हैं । कुछ चर्चा तो माननीय काशीनाथ जी ने कर दी थी और अब मैंने कुंवर साहब की ही यह किताब मांग ली है और जहां इसमें उन्होंने निशान लगाया है उसी फैसले के पास वह देखेंगे कि ब्लिट्ज ने अपने लेख में क्या-क्या लिखा था । वह अंग्रेजी में ही है । माननीय चन्द्रबली जी मुझे पढ़ने की इजाजत दें तो उसमें यह लिखा है कि "In the lousiest and cheapest speech ever made since he was elected to Parliament by the courtesy of the Congress." यानी वह कांग्रेस की दया पर जब से संसद में चुनकर आये हैं उस जमाने से इतनी लचर और सस्ती तकरीर उन्होंने कभी नहीं दी । एक जगह और आगे वह कहते हैं कि "shouted him down like Bagar buffoon" इस पर ब्लिट्ज के खिलाफ जो कार्यवाही हुई, वह उचित ही थी जो संसद में श्री कृपालानी के भाषण के सम्बन्ध में उसने छापा था । मेरा इतना ही कहना है कि हमारे विशेषाधिकार, जो नियमों में डिफाइन नहीं भी हुये हैं वह वही हैं जो इंगलैंड की पार्लियामेंटरी के हैं और यह भी निश्चित है कि अब उनमें नये प्रिविलेज नहीं बढ़ाये जा सकते । हमारा प्रिविलेज यह है कि बाहर हम मारपीट करें और मुकदमें में फंस जायं या गिरफ्तार किये जायं तो यह प्रश्न नहीं होता कि हम बाहर क्या करते हैं और न आप हमें बचा सकते हैं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप पकड़े जायें, दावा करें या कुछ चाहे करें. . . .

श्री गेंदासिंह—आप हमारी उसी वक्त हिफाजत कर सकते हैं और आप गिरफ्तारी से बचा सकते हैं हमें इस परिधि में बाकी तो आपको केवल सूचना देने का अधिकार है कि फलां मेम्बर फलां जुर्म में फलां जगह गिरफ्तार हो गया और जमानत पर छूटे या नहीं छूटे। तो अगर हमारे प्रिविलेज हैं भी तो इस मामले में कोई प्रिविलेज का प्रश्न नहीं उठता और न नेशनल हेराल्ड के खिलाफ ही कोई ऐसी बात बनती है । श्री रामकिशोर जी ने जिस तरफ संकेत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है, मैं तो कहूंगा कि सारे अखबारों ने जो डिनायल मुख्य मंत्री जी ने दिया है उसको बड़ी सहृदयतापूर्वक उन्हीं शब्दों में छापा है, जैसा कि उन्होंने कहा था । उन्होंने केवल यह कहा है कि हमारे ऊपर ज्यादती हो गई कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा था उसको सही तौर पर रिपोर्ट किया था और उसने सही समझा था, लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री की जबान से इंकार किया जाता है तो इसका उनके ऊपर बड़ा भार है और बड़ा आघात है जिससे उनको बचाने की जरूरत है । हम सब बोलें या माननीय मुख्य मंत्री बोलें तो उनकी एक वकत है और एक बड़ा भारी आघात पत्रकार के ऊपर है कि उनका भाषण गलत लिख दिया गया । किसके लिये क्या कहें, २ महारथी सूबे के थे और एक महारथी वह स्वयं हैं, तीनों ही महारथी जो बरसरेइक्तदार हैं उनके ही खिलाफ उसने लिख दिया । इसलिये उसका भयातुर होना और उसको आपत्ति होना दोनों मैं समझता हूं उचित हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि आप समरेली रिजेक्ट करें और फिर जब दूसरे मामलों पर आप विचार करेंगे तो हम निवेदन करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—अब दूसरा सेट जो मैंने निश्चय किया है वह इस प्रकार से है । माननीय दीपनारायण सिंह जी का एक है. . . . .

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, एक वाक्य मैं कह देना चाहता हूं । इस प्रश्न पर मैंने अपनी पार्टी की राय पहले जाहिर कर दी थी इसमें पत्रकार दोषी नहीं हैं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री के जो प्रेस अटैची थे उन्होंने अधिकृत वक्तव्य दिया था इसलिये माननीय श्रीपालसिंह जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है इसको खारिज होना चाहिये ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—मैंने पहले ही दिया है एक छोटा सा. . . . . .

श्री अध्यक्ष—सभी ले रहा हूं उसी आर्डर में । माननीय दीपनारायण सिंह जी का. .

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—आर्डर में मेरा पहले है ।

श्री अध्यक्ष—आर्डर का सवाल है नहीं । अलग-अलग कैटेगेरिज मैंने बनायी हैं उनके अनुसार ले रहा हूं ताकि बहस में सुविधा हो ।

माननीय दीपनारायण सिंह जी ने अपना विशेषाधिकार का जो प्रश्न उठाया है, वह यह है है कि या तो मुख्य मंत्री जी गलत कह रहे हैं या प्रेस वाले गलत कह रहे हैं । कौन गलत कह रहा है यह नहीं मालूम । लेकिन इस सम्बन्ध में जांच की जाय और जो दोषी पाया जाय उसको सजा दी जाय । यह उनका कहना है ।

श्री श्यामलाल—अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष—माननीय दीपनारायण सिंह जी और आदरणीय सदस्य इस विधान सभा के माननीय श्याम लाल, एम० एल० ए० । अब आप खुश हैं ?

तो दीपनारायणसिंह जी का स्पष्ट है । वह चाहते हैं तहकीकात हो ।

इसके अलावा माननीय रक्षपाल सिंह, नरसिंह नारायण, शिवनाथ सिंह, उग्रसेन और लखी सिंह जी का है । माननीय रक्षपाल सिंह जी का इस प्रकार है :—

"दिनांक १७–९–६२ को माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने समाचार-पत्रों में छपे अपने कानपुर वक्तव्य को गलत बताया । पत्र सम्वाददाताओं ने १८ सितम्बर, १९६२ को एक प्रस्ताव पास करके एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री का सदन में भाषण तथा उत्तर गलत बताया । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति को देख कर ऐसा ज्ञात होता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने १७–९–६२ को

[श्री अध्यक्ष]

सदन में झूठ वक्तव्य दिया है तथा तथ्यों को जो उन्होंने कानपुर भाषण में कहे थे उलट दिया है। आपके द्वारा म मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दे रहा हूं।"

इसी प्रकार से माननीय नरसिंह नारायण, शिवनाथ सिंह, और उग्रसेन जी का है अगर वह कहते हैं :

माननीय मुख्य मंत्री का साधिकार पूर्ण भाषण मिला था। इससे प्रदेश तथा सदन के सदस्यों में चिन्ता व्याप्त है और मुख्य मंत्री ने सदन के समक्ष गलत बयानी कर सदन को भ्रम में डाला है। अब इस सम्बन्ध में एक बात निवेदन कर दूं। हमारे सदन की यह परम्परा रही है कि अगर किसी सदस्य ने कोई बयान यहां दिया तो उसको हमने सही माना है, उसको गलत कभी नहीं माना। माननीय खेर साहब की यह व्यवस्था है कि अगर किसी माननीय सदस्य के सदन में बयान को गलत या झूठा कहा जाय तो वह स्वयं एक प्रिविलेज के मोशन का कारण बन सकता है। माननीय गेंदासिंह जी के सम्बन्ध में एक प्रिविलेज के मोशन का प्रश्न उठा था। उस सम्बन्ध में भी माननीय खेर साहब ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार किसी चीज को सही कहे और किसी सदस्य पर आरोप लगाये तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है, लेकिन केवल असत्य बात कहने से उसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस आदरणीय सदन के समक्ष कुछ नजीरें रखी गयी थीं। एक तो आदरणीय टंडन साहब के जमाने की थी और एक माननीय खेर साहब के जमाने की। सदन में दिये गये किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य को हमें असत्य नहीं कहना चाहिये और न उस सम्बन्ध में कोई अन्वेषण हो सकता है।

दीपनारायण जी का जो प्रिविलेज का मोशन है वह बहुत ही वेग है।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं कुछ कह दूं तब आप रूलिंग देंगे ?

श्री अध्यक्ष—संक्षेप में आप जो कहना चाहें, कह दें।

श्री दीपनारायणसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ मैं इस सदन के सामने ३, ४ बातें जो इस विशेषाधिकार के सम्बन्ध में हैं और जो लीगल और कांस्टीटयूशनल हैं उन्हें रख देना चाहता हूं, क्योंकि यह सदन एक कोर्ट है।

श्री अध्यक्ष—मैं आप से निवेदन करूंगा कि कृपया आप सूचना पर बोलें और फिलासफी जो प्रिविलेज की है उस पर न बोलें।

श्री दीपनारायणसिंह—आपका जो निर्णय है वह सदन को बाध्य नहीं कर सकता मेरे विषय पर, क्योंकि हाउस आफ कामन्स की रूलिंग की परिपाटी यहां पर लागू होगी और मैं हाउस आफ कामन्स की लेटेस्ट रूलिंग प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस तरह का प्रश्न वहां उठा था।

श्री अध्यक्ष—रूलिंग बतलाइए।

श्री दीपनारायणसिंह—वह रूलिंग इस प्रकार है—

Final Report, 5th Series Parliament Debates Commons, 1959-60, Volume 621, from 4th April to 14th April के पृष्ठ ८९० व १०८७ में है।

Mr. Emery Hughe's privilege motion against wife of the Speaker Lady Hylthon Foster regarding her statement published in the *Sunday Express*, dated 10th April, 1960.

"Lady Hylthon Foster, wife of Sir Hary Hylthon Foster, who became the Speaker of the House of Commons last October holds a strong views on Women members of Parliament. I cannot think why they do it', she tells me, 'I just don't understand them. Women, don't have enough education to become politicians."

श्री अध्यक्ष—तर्जुमा कर दीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—इसका हिन्दी सारांश यह है कि उन्होंने यह कहा कि हाउस आफ कामन्स की जो औरतें मेम्बर हैं वे डिजर्व नहीं करतीं कि वे मेम्बर हों। इस पर मिस्टर एमरी ह्यूजेज ने प्रिविलेज मोशन उठा लिया। उस पर निर्णय देते हुए स्पीकर साहब ने यह कह कर रूलिंग दी—

"I take comfort in the knowledge that my ruling cannot in any way detract from the ancient and absolute right of this house to deal with such a matter precisely as it thinks fit."

इसे उक्त पुस्तक के पृष्ठ १०८७ में पढ़ लीजिए। पुस्तक मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष—यह तो हम मानते हैं कि उनका यह कहना कि सदन के सदस्य इस योग्य नहीं हैं कि वहां बैठें यह प्रिविलेज है।

श्री दीपनारायणसिंह—प्रिविलेज है या नहीं उस पर रूलिंग क्या दी जाय। रूलिंग उन्होंने तो यह दे दी कि—

"I take comfort in the knowledge that my ruling cannot in any way detract from the ancient and absolute right of this House to deal with such a matter precisely as it thinks fit."

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है। दूसरी बात कहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—तो आप पिछली बार की तरह यदि हमारे मोशन को रूल आउट कर देंगे तो हाउस डिबार हो जायगा डिस्कस करने से। इसलिये आपकी रूलिंग केवल एक सम्मति मात्र होनी चाहिए और हाउस में हमारे मोशन को जाने से रोक नहीं लग सकती, जैसा कि हाउस आफ कामन्स के स्पीकर की १२ अप्रैल, १९६० की उक्त रूलिंग से सिद्ध है।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है। दूसरी बात कहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—हमने ६४ के अन्तर्गत चार्ज लगाया कई लोगों पर। उनमें कुछ मुल्जिम छूट सकते हैं, कुछ सजायाब हो सकते हैं। मेरी शिकायत में मुख्य मंत्री जी व प्रेस वाले दोनों तब तक मुलजिमान रहेंगे जब तक शहादत से किसी की सच्चाई झुठाई साबित न हो।

श्री अध्यक्ष—यही हमारी डिफ़ीकल्टी है कि आप कम्प्लेनेन्ट हो गये, लेकिन आपने अपनी सूचना में एक्यूज्ड को नहीं बतलाया।

श्री दीपनारायणसिंह—यह केस ऐसा है कि मुख्य मंत्री ने १७-९-६२ को एक बयान दिया। यदि वह गलत था तो गलतबयानी सदन में सदस्य की हैसियत से करना विशेषाधिकार की अवहेलना है लेकिन उसी समय जब तक कि प्रेस वालों की शहादत आ जाय और उस शहादत का वेट ज्यादा हो जाय तो यह अपराधी होंगे और अगर प्रेस वालों का प्रस्ताव गलत सिद्ध हो जाय और मुख्य मंत्री का १७-९-६२ का बयान सही हो जाय तो प्रेस वाले अपराधी होंगे। इसलिये आपके द्वारा ट्विस्ट करने का तरीका अच्छा नहीं है। मेरी कम्प्लेन्ट काम्प्रिहेन्सिव है। जब यह मामला प्रिविलेज कमेटी में आयेगा, तभी वहां छन जायगा और वहां छन कर जब फिर सदन म आयेगा तो वह आयेगा कि कौन मुल्जिम है। मगर यह तरीका कि इसको भी बचाओ और उसको भी बचाओ, यह सदन की मर्यादा को नहीं बढ़ाता।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन की मर्यादा रही है और जैसी कि श्रीमान् ने स्वयं १७ तारीख को अपनी व्यवस्था दी है मैं उससे पूर्ण सहमत हूं और यदि कोई सदस्य सदन में कोई बात कहते हैं तो यह मेरा साहस नहीं है कि मैं कहूं कि वे गलत

[श्री रक्षपालसिंह]

कहते हैं और मुख्य मंत्री के खिलाफ़ तो वैसे भी मैं कहने को तैयार नहीं हूं। इसलिये मैंने कहा है कि इस स्थिति को देख कर ऐसा ज्ञात होता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में झूठा वक्तव्य दिया। तो मेरा चार्ज मुख्य मंत्री के ऊपर नहीं है परन्तु एक अवस्था जरूर ऐसी है कि एक समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में उसका कंट्राडिक्शन कर दिया। उसके बाद, जैसा कि सभी ने देखा होगा, या पायनियर में एक एडीटोरियल भी निकला और उस कंट्राडिक्शन के विरोध में कुछ बातें लिखी गयीं और आज प्रेस सम्वाददाता समिति ने जो एक मत से निर्णय लिया है जो कि उस बात के जो कि मुख्य मंत्री जी ने यहां पर अपने कंट्राडिक्शन भाषण में कहा, खिलाफ़ है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कंट्राडिक्ट कर देते कि वे गलत कहते हैं तो ठीक है। लेकिन श्रीमन्, एक आशंका होती है कि प्रेस सम्वाददाताओं की ओर विशेषकर मुख्य मंत्री जी के खिलाफ कुछ छापने की न तो इच्छा ही होनी चाहिये और न जरूरत ही होनी चाहिये कि जो चाहेंगे छाप लेंगे। यह एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कौन झूठ बोलता है, कौन गलत है, यह विचित्र बात है। यहां पर जो सम्वाददाता उपस्थित हैं उनको यदि समिति का प्रतिनिधि मान लिया जाय तब तो बात दूसरी है अन्यथा वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं। दूसरे जो नेशनल हैरेल्ड को नोटिस दिया गया तो उसके भी प्रतिनिधि नहीं हैं। इसलिये उनको अपनी बात के क्लेरीफाई करने का मौका नहीं मिल सकता। इसलिये मैंने प्रश्न उठाया था यदि यह समिति में जाता तो सारा विवाद स्पष्ट हो जाता। इस प्रश्न को उठाने का यही मेरा उद्देश्य था।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया था और इस विशेषाधिकार के प्रश्न में अगर आप उसकी पहली पंक्ति में पढ़ेंगे तो मैंने लिखा है कि १७-९-६२ को वैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि मैंने किसी मंत्रि-परिषद् के सदस्य के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। जो अखबारों में छपा है वह निराधार है और सत्य से परे है। मैंने आपको लिख दिया था कि मेरा प्रश्न वही है कि एक मंत्रि-परिषद् है और विधान की धारा के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् की सम्मिलित जिम्मेदारी इस आदरणीय सदन के प्रति है और उसके अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् के सदस्य संविधान की धारा १६४ (३) के मुताबिक शपथ ग्रहण करते हैं कि हम किसी प्रकार की सीक्रेसी को बाहर नहीं करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर मेरा चार्ज था कि कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आम सभा में उन्होंने यह चीज कही और संविधान की धारा का उल्लंघन किया। इसलिये मंत्रि-परिषद् की नहीं तो इस आदरणीय सदन के प्रति किस की जिम्मेदारी है। यही मैंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था जिस पर आपने अपनी व्यवस्था दी थी।

श्रीमन्, दूसरा मौलिक प्रश्न अब यह उपस्थित हो गया है कि क्या मुख्य मंत्री जी ने कानपुर के बी० एन० एस० डी० कालेज में अपना भाषण दिया और उसकी सूचना पत्रकारों को कैसे मिली। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पी० टी० आई० का रिपोर्टर बीमार था, उसको दी गई थी और उसने उसको छापा। श्रीमन्, साधिकार कहना चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष—जरा शान्ति से बोलिये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, क्या करूं। मेरी बोली ही ऐसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं अगर मैं साबित न कर दूं। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जो समाचार देने वाले हैं जो उनके साथ रहते हैं वह [* * * *] हैं। ये उनके न्यूज आफिसर हैं. . . . .

[* * * *] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया नाम न लें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—अच्छा श्रीमान्, मैं नाम नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—नाम न तो प्रोसीडिंग्स में और न अखबारों में छपेगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो उनके न्यूज आफिसर थे उन्होंने यह रिपोर्ट बना कर पी० टी० आई० के कारेस्पांडेन्ट को दिया और उसी रोज माननीय मुख्य मंत्री जी का खंडन निकलता है। दूसरे रोज १८ सितम्बर के इश्यू में पायनियर लिखता है :—

"Press given authorised version Mr. C. B. Gupta, Chief Minister of U. P. said here to day that he had not charged his cabinet colleagues with going back on Plan commitments in his speech in Kanpur yesterday.

The clarification of his speech to-day followed reports which appeared this morning of his talk at a meeting of Congress workers, based on the authorised version made available to the press at the conclusion of the meeting."

श्रीमन्, यह उसी रोज छपता है १८ सितम्बर के अखबार में कि प्रेस का यह निश्चित मत है। कल जर्नलिस्ट एसोसियेशन ने अपना एक प्रस्ताव भी पास किया है। मैं उसको भी सुना देना चाहता हूं। आज के अखबार पायनियर में छपा है—

"C. M.'s Speech and Denial—Press Committee's protest—The Lucknow Press Correspondents Committee, at its meeting today, has passed the following resolution—

"The Press Correspondents' Committee is very much distressed at the clarification issued by the Chief Minister, Mr. C. B. Gupta, on September 17, of the report of his Kanpur speech containing certain remarks about cabinet dissensions.

The relevant facts that have been brought to our notice do not justify the clarification which amounted virtually to a denial. Such a clarification reflects on the bonafides of the entire press corps and is not conducive to healthy relations between the Press and Government.

It has also been brought to our notice that the report was given to the P. T. I. by the usually authoritative source. There could have been no reason to doubt its authenticity. It is, therefore, surprising that the clarificaiotn should have described the report in question as baseless and misleading."

श्रीमन्, कल यह जो जर्नलिस्ट एसोशियेशन ने, खंडन के बाद जो प्रस्ताव पास किया है जिसमें कि उन्होंने दुख प्रकट किया है माननीय मुख्य मंत्री के उस कंट्रैडिक्शन का तो श्रीमन्, अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या यह जो माननीय मुख्य मंत्री जी नेबयान सदन में दिया है यह सदन का बयान सही माना जाय या जो प्रेस में बयान छपा है उसको त उनका कोय? जो हमारे माउथ पीस हैं, जो हमारी खबरों को फैलाते हैं, मुख्य मंत्री के प्रति उनका कोई अनादर नहीं है। उन्होंने एक वर्जन छापा। क्या यह केवल कानपुर में ही कहा गया ऐसी बात नहीं है। गोरखपुर में भी कहा गया। १६ तारीख का "आज" निकाल कर देखें, हिन्दी पेपर है। उसमें भी आप देखेंगे। उसको भी आप पढ़ लें। १८ तारीख का जो एडीटोरियल है उसको भी आप पढ़ लें कि प्रेस ने कितना दुख प्रकट किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह प्रेस को वर्जन नहीं

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

दिया गया तो यह छपा क्योंकर, क्यों सारे देश के अखबारों में छपा? पायनियर, स्टेट्समैन और आज में छपा कैसे ? माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन को आश्वस्त किया कि मैंने ऐसी बात नहीं कही। तो मान्यवर, मैं बहुत अदब के साथ एक केस आपके सामने रेफर करना चाहता हूं कि क्या यह पहला मौका है कि माननीय मुख्य मंत्री ने कंट्रेडिक्शन दिया है ?

श्री अध्यक्ष—आपके सामने बहुत ही स्पष्ट बात माननीय गेंदासिंह ने रखी है कि हमको किस पर्सपेक्टिव में इन तमाम बातों को देखना चाहिए। माननीय उग्रसेन और माननीय काशीनाथ जी ने भी कहा....

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं उस केस को भी रेफर कर रहा हूं। माननीय गेंदासिंह ने कहा कि सदन के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ मिश्र ने भी यही कहा और माननीय उग्रसेन ने भी यही कहा है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लें। मैं बिलकुल आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। जो माननीय गेंदा सिंह ने कहा मैं उससे इत्तफाक नहीं करता और वह इसलिये कि मैंने प्वाइंट आफ आर्डर में दो रूलिंग्स आपको दीं और बताया कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी कैबिनेट की जो है वह १६४ (२) के मुताबिक है और बाहर जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया है वह बाहर बयान देकर के उन्होंने कैबिनेट के ऊपर लांछन किया है और उसके बाद गलतबयानी इस सदन में करके इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है, मेरा यह चार्ज है। माननीय गेंदा सिंह ने जो यह कहा है कि बाहर नहीं कहा जा सकता, मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाहर कोई चीज कही और वह छपी। माननीय मुख्य मंत्री को क्या यह हक है विधान के मुताबिक कि मंत्रि-परिषद् के सीक्रेट्स लीक आउट कर सकें, उसके लिये मैंने बताया था कि लीक आउट नहीं किये जा सकते और अब मैं यह कहता हूं, मेरा यह चार्ज है कि यह बिलफुल हुआ है, यह बिलफुल है....

श्री अध्यक्ष—एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथा है वही आप कह रहे हैं न ? तो वहां स्पष्ट यह रूलिंग दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपन विचारानुसार अपनी बात रख सकता है और उस संबंध में आप नहीं कह सकते। (व्यवधान) सुन लीजिये। यह प्रस किया गया कि—Is it possible for any member to uttar absolute falsehood ? तो स्पीकर ने कहा—In short the answer is "Yes". अब आप कहिये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—तो मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं कि कल माननीय मुख्य मंत्री ने यह बयान दिया इस आदरणीय सदन को, उस बयान के ऊपर किसी ने को टीका-टिप्पणी नहीं की। लेकिन दूसरे रोज, जब अखबार में खंडन निकलता है और अखबार के लोग यह कहते हैं कि उन्होंने कहा है और हमें अफसोस है, तब मैं कहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का यह पहला आचरण है कि उन्होंने पहली बार इस सदन के अन्दर या बाहर स्टेटमेंट देकर के कोई ऐसी बात कही है जो गलत है ? मैं यह कहता हूं मान्यवर, कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके पहले भी कहा है और इसके लिये मैं आपको रूलिंग दिखाता हूं, आप सुन तो लें.....

श्री अध्यक्ष—मेरा केवल आपसे निवेदन यह है कि जरा शांतिपूर्वक बात करें। (व्यवधान) मैं सिर्फ एक बात निवेदन कर रहा हूं। देखिये, एक बात निश्चित जानिए कि कल मैंने कोई गुनाह किया था यह इस बात की कोई दलील नहीं है कि आज मैंने फिर उस गुनाह को किया है। आप अगर गुनाह को साबित कर दें तो पहले गुनाह का ध्यान रखा जायगा, लेकिन

आप कह रहे हैं कि पहली मर्त्तबा यह कहा और दूसरी मर्त्तबा यह कहा । यहां प्रश्न जो है वह तो यह है कि क्या यह प्रश्न विशेषाधिकार के अन्तर्गत आता है या नहीं । उसके ऊपर आप कृपा करके बोलिये तो अच्छा है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं चाहता था कि आपके जरिये वह भी पोर्शन रख दूं कि आखिर अगर यह पहली बार होता तो कोई बात न होती । लेकिन पहले भी वह ऐसा कर चुके हैं और उनको गलत बयानी में सजा हो चुकी है । मैं उस सजा तथा बयान को सुनाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको एलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—तो मैं दूसरी बात कहूंगा । आप न एलाऊ करें । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बड़ा ही मौलिक प्रश्न है । प्रेस जो हमारे इस सदन का और इस देश का एक माउथपीस है वह जिम्मेदारी के साथ कहता है, एढेयर करता है कि जो कुछ कहा गया माननीय मुख्य मंत्री जी के जरिये, वह मैंने छापा और पी० टी० आई० को दिये गये भाषण को अपने रेजोल्यूशन के जरिये उन्होंने समर्थन किया । दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब देखा कि अब तो नाव फंस जायगी तो उन्होंने कांट्रेडिक्शन ईश्यू कर दिया और अब कह दिया कि मैंने कुछ नहीं कहा ।

तो अब श्रीमान्, कौन फैसला करेगा ? फैसला तो जब तक यह सारे मसले एविडेंस में नहीं आयेंगे, सारे मसलों के ऊपर रेकर्डेड एविडेंस नहीं आ जायगा और यह नहीं मालूम हो जायगा कि पी० टी० आई० ने क्या न्यूज सर्विस करायी माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के ऊपर, तब तक असलियत का पता कैसे चल सकेगा ? मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस मामले को अगर आप प्रिविलेज कमेटी को रेफर करेंगे तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं साबित करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है और विशेषाधिकार अवहेलना के कारण आज उनको अधिकार नहीं है कि इस कुर्सी पर विराजमान रहें । उनको अपने समस्त साथियों सहित मंत्रिपरिषद् से इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नरसिंह नारायण जी के भाषण के दौरान आपने यह बात कही कि एक बार अगर गलत बयानी सदन में हो जाय तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाती, तो क्या आपके इस कथन से यह मान लिया जाय कि माननीय मुख्य मंत्री ने १७-९-६२ को अवश्य गलतबयानी की थी ? अगर यही आपके मस्तिष्क में जमा है तो फिर मुख्य मंत्री अवश्य अपराधी.....

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमान्, यह एक बहुत ही वैधानिक और कानूनी प्रश्न है कि विशेषाधिकार का सवाल बनता है या नहीं । अभी विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में माननीय गेंदासिंह ने जो बातें कहीं उनकी भावना से मैं सहमत हूं । जहां तक अखबारों के खिलाफ विशेषाधिकार का संबंध है नेशनल हेरल्ड या पी० टी० आई० .....

श्री अध्यक्ष—मैं एक निवेदन कर दूं कि मैं जिसको चाहूंगा उसको सुनूंगा । अगर मैं किसी को नहीं सुनना चाहता हूं तो नहीं सुनूंगा । मुझे अपने मन में एक बात को स्थिर करना है । अगर इस तरह से असंतोष दिखाया जाय कि हमसे नहीं पूछा जाता तो यह उचित नहीं है । संभव है मैं आपसे पूछने की आवश्यकता न समझूं । क्यों आप यह समझते हैं कि मैं आपसे पूछूं ? जिनसे मैं पूछना चाहता हूं उनसे पूछूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—किसी अखबार के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नही बनता क्योंकि जो अखबार छपते हैं वह इस सदन के सदस्यों की सेवा से संबंध नहीं रखते । इसलिये श्रीमन्, जो रूलिंग पार्लियामेंट या हाउस आफ कामन्स में हुई उसके अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था रही है कि किसी अखबार के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता ।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, मैंने जहां तक पार्लियामेंट के नियमों को पढ़ा है, कोई भी आदरणीय सदस्य इस सदन के अन्दर या पार्लियामेंट के अन्दर या हाउस आफ कामन्स के अन्दर गप्प भी कह सकता है और झूठी बात भी कह सकता है, ऐसी व्यवस्थायें हो गई हैं, इसको मैं मानता हूं । हाउस आफ कामन्स में ऐसे अवसर आये हैं अगर मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को देखा जाय कि एक मेम्बर खड़े होकर गप्प करते गये और उसको पार्लियामेंट्री कहा गया और उसको सुना भी गया । अगर श्रीमान्, मुख्य मंत्री जी कोई बयान इस सदन के अन्दर दे देते हैं और वह बयान बिलकुल निराधार हो, सत्य से परे भी हो तो उस पर कोई विशेषाधिकार का सवाल नहीं बनता । यह कोई झूठ बोलने का प्रश्न नहीं है । जो महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि गोपनीयता को भंग करके माननीय मुख्य मंत्री ने एक वैधानिक सवाल इस सदन के सामने उपस्थित किया है जो किसी भी हालत में सदन के भीतर या सदन के बाहर माननीय मुख्य मंत्री को नहीं करना चाहिये था । वह गोपनीयता भंग करने का सवाल है . . . . .

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न कि वैधानिक रूप से कहां तक उन्होंने निभाया है उसके ऊपर, मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है । ऐसा हो सकता है कि आप यह कहें कि वैधानिक दृष्टि से या संविधान की दृष्टि से उन्होंने किसी नियम को भंग किया है, तो फिर उसके ऊपर यह होगा कि क्या अवैधानिक कृत्य से विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—तो श्रीमान्, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मैं उस कानून की पेंचदगी में न जाकर इतना ही आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो मुंह इस आदरणीय सदन के अन्दर यह कहता हो कि जब तक मजदूर हड़ताल नहीं तोड़ेंगे तब तक हम कोई बात नहीं मान सकते हैं, उसी मुंह से, जो बात कानपुर में कही गई उसकी भी इस सदन में ताईद होनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री एक नेता होते हुये भी कानपुर में जो बयान देते हैं जब उसी बयान को इस सदन के अन्दर पेश करते हैं, जब कानून के दायरे में फंसते हैं, जब विशेषाधिकार के सवाल में फंसते हैं तो मुकर जाते हैं, यह मर्यादा के, बहादुरी के, और ईमानदारी के परे है, यह मैं आप से कहना चाहता हूं । यह कायरतापूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष—तो यह हुआ कि अगर अवैधानिक है तो भागते हैं, अगर अवैधानिक नहीं है तो ? तो आपका कोई आरोप नहीं है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—आरोप है, श्रीमान् । अभी माननीय श्रीपाल सिंह जी ने अखबार का बहाना लेकर—जहां तक मैं समझता हूं—अपनी बात कही । मुझे उनकी बात में श्लेष अलंकार की गंध मिली । नेशनल हैराल्ड के दो मतलब हो सकते हैं । उससे देश के लीडर का भी मतलब हो सकता और अखबार का भी । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी को स्टेटहेराल्ड कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । तो उनका केस स्टेटहेराल्ड के खिलाफ था । उनका मतलब चन्द्रभानु गुप्त से था । नेशनल हेराल्ड का बहाना ले कर उन्होंने अपनी बात कही । उसी बहाने उन्होंने वचन भंग की बात कही, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी का उदाहरण दिया—प्राण जाय पर वचन न जाई—और यह सब मुख्य मंत्री जी के खिलाफ था । मेरी इसलिये प्रार्थना है कि या तो आप इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति में भेजें या आप ऐसी व्यवस्था दें, जैसे कि पार्लियामेंट में अधिकार है फाल्स बात कहने का भी, लेकिन एक बात कंट्रैडिक्ट करने का अधिकार और राज्य के एक बड़े जिम्मेदार नेता को, कहां तक है—बयान बदलने का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—अब तो खत्म कीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । तो जिस गोपनीयता की आप शपथ लेते हैं उसी को आप भंग करते हैं बाहर, यह एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है । पी० टी० आई० ने वह खबर देश के सारे अखबारों को दी और सबने वह छापी, और आज भी जो प्रस्ताव नरसिंह नारायण जी ने पढ़ा है उससे भी यह साफ जाहिर है, तो इसमें कतई दो रायें नहीं हो सकतीं कि कानपुर में मुख्य मंत्री जी ने वह बात नहीं कही । उन्होंने वह बात कही और गोपनीयता को भंग किया और जो सबसे बड़ा अपराध किया वह यह कि सदन में जानबूझ कर सत्य को छिपाया । हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स आप देखें । उसमें है :

"Willful suppression or truth has been regarded as a question of privilege."

तो अगर यह सप्रेशन आफ ट्रुथ है तो निवेदन है कि इसे प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिये ।

(श्री अध्यक्ष ने श्री यादवेन्द्र दत्त का नाम पुकारा) (श्री श्यामलाल द्वारा व्यवधान किये जाने पर)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—यदि श्यामलाल जी कुछ कहना चाहते हों तो पहले उन्हें सुन लिया जाय । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आप बोलिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं इस विवाद को श्रीमान्, बड़े ध्यान से सुन रहा था । मैं कानूनी पहलू पर नहीं जाऊंगा, वह मुख्य मंत्री जी के शब्दों में कानून की जमनास्टिक होगी । वह आपके सामने आयेगा और आप स्वयं, श्रीमन्, कानून के अधिष्ठाताओं में से हैं, उसे आप स्वयं समझ लेंगे । परन्तु उसका जो व्यावहारिक पहलू है वह मैं आप के सामने रखूंगा और इस आशा से रखूंगा कि यह विषय थोड़े समय में ही समाप्त हो जाने वाला था और इसमें श्रीमन्, एक ही प्रश्न उठता है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि क्या उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया । ठीक है, समाचार पत्रों को जिस भी न्यूज एजेन्सी से इस प्रकार का समाचार मिला, उन्होंने उसको छापा और उस के बाद मुख्य मन्त्री ने अपना उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया । उस दिन जहांतक मुझे ध्यान है, श्रीमन् ने एक क्वेश्चन डिसएलाऊ कर दिया था और वह बड़ा पर्टीनेन्ट क्वेश्चन था । अगर उस क्वेश्चन का यहां स्पष्टीकरण हो गया होता तो मैं समझता हूं कि इसका यह नतीजा न हुआ होता । जब माननीय मन्त्री जी से पूछा गया कि आपके साथ आपका कोई प्रेस अटैची रहता है और उन्होंने अपने भाषण में, अगर मैं गलत कहता हूं तो वे सही कर दें, कहा कि पी० टी० आई० का आदमी बीमार था । दूसरे वह देने वाले कौन थे । इन्फर्मेशन डाइरेक्टरेट का आदमी आपके साथ रहता है । मैं समझता हूं कि 'पाइनियर' ने जो एडिटोरियल लिखा है, उसने उसको लेकर लिखा है । मैं उसको पढ़ दूंगा । उस प्रश्न को रख देने पर माननीय मुख्य मन्त्री जी की प्रतिष्ठा भी आज प्रश्न में आ गई और समाचार-पत्रों की प्रतिष्ठा भी प्रश्न में आ गई । वह सारे कन्ट्राडिक्शन यहां पर मुख्य मन्त्री जी ने दिये, उससे क्या विचार उठेंगे, यह भी एक सोचने की बात है ।

श्रीमन्, जनतन्त्र में प्रेस का बड़ा महत्व होता है और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे मुख्य मन्त्री जी हैं । उनका महत्व सारे प्रांत में है । इस प्रकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात, चाहे वह गलत हो या सही, वह जैसी भी हो उस पर ऐसी बातें होना कहां तक उचित है । ऐसा ही महत्वपूर्ण आरगन यह प्रेस भी डेमोक्रेसी का है । वह उसको छापे और फिर कन्ट्राडिक्शन हों, तो लोगों के मस्तिष्क पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और इससे माननीय मुख्य मन्त्री जी की

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

प्रतिष्ठा को कहांतक धक्का लगेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसी को इंगित करते हुए जो एडिटोरियल है 'पाइनियर' का उसी प्रश्न को लेकर उसने लिखा है कि—

"Should they or should they not accept and publish any communication or hand out, issued by the information Department."

जब सारी सूचनायें और सारी विज्ञप्तियां सूचना विभाग की ओर से आती हैं, मैं बड़ा व्यावहारिक प्रश्न कर रहा हूं....।

श्री अध्यक्ष—वह तो मार्क ऐन्थोनी की स्पीच है, वह जो 'पाइनियर' ने.....।

श्री यादवेन्द्रदत—अब इसका क्या अर्थ हुआ ? ऐसे पत्रकारों के मन में, पत्रों के मन में इस प्रकार की बात खड़ी हो जाय कि सूचना विभाग हम को गलत बातें देता है और उस गलती को छप जाने दिया जाय। आप देखें कि जनता में इससे हमारी प्रतिष्ठा का हनन होता है। क्या इससे पत्र और पत्रकार जिम्मेदारी के साथ और स्वतन्त्रता के साथ अपने कार्यभार का निर्वाह कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय गेंदासिंह जी की बात से सहमत हूं। आज उठती हुई पत्रकारिता का युग है और उस को हमको दबा नहीं देना चाहिये। उसका स्पष्टीकरण प्रिविलेज कमेटी में ही हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता है। यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है कि आप 'नेशनल हेराल्ड' के किसी प्रतिनिधि को बुला सकें और उसको यहां पर खड़ा कर सकें, जिससे कि वह अपनी बात कह सके। आप देखें कि हम तो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन वे मूक हैं और अपने पक्ष को रखने में सक्षम नहीं हैं। इससे मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ सदस्यों ने यह अर्थ निकाला कि कुंवर श्रीपाल सिंह जी का जो प्रिविलेज मोशन है, वह किसी पत्र विशेष के विरुद्ध है। मैं यह कहता हूं कि यह बिलकुल गलत भावना और गलत विचार है। हमारा तो बिलकुल सीधा सा विचार है। मैं तो श्रीपाल सिंह जी की बात से सहमत हूं। इससे धक्का लगता है पत्रकारिता पर भी और हमारे मुख्य मन्त्री जी पर भी। इसलिये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। इसकी सफाई होनी चाहिये जिसकी कि आज आपके सदन के अन्दर व्यवस्था नहीं है। इस कारण से आप यह सोच लें कि यह जो प्रेस कमेटी ने प्रोटेस्ट किया है, उनके भी कुछ आधार होंगे। मैं इस पूरे प्रोटेस्ट को तो नहीं पढ़ना चाहता हूं परन्तु आप देखें कि उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

"Such clarification reflects on the bonafides of the entire press corps and is not conducive to healthy relations between the Press and Government.

जो मैंने आपके सामने रखी है स्थिति वही उनके भी सामने है। उनके मान में यह प्रतिक्रिया हो गई। परन्तु क्यों हो गई ? जो बात यह उठ गई है उसके स्पष्टीकरण करने के लिये, उनके लिये फोरम कोई नहीं है। इससे वे इस बात का स्पष्टीकरण करने कहां जायें ? उसके लिये उन्हें मार्ग चाहिये। मैं एक बात बतलाता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, लेकिन समाज के एक प्रतिष्ठित और जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की बात हो तो यह दोनों की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने भाषण दिया ही होगा। मैं मान लेता हूं कि नहीं दिया होगा, लेकिन फिर इस बात का हैंड-आउट इनफार्मेशन डिपार्टमेंट से कैसे आया, यह भी प्रश्न उठता है। क्या माने हैं कि सूचना विभाग माननीय मुख्य मन्त्री जी के कन्ट्रोल से बाहर हो गया, डेन हो गया ओपियम ईटर्स का। उसका भी स्पष्टीकरण चाहिये। क्योंकि प्रेस के सारे समाचार और बातें, कम से कम जहांतक सरकारी कार्यवाही का प्रश्न है, वह तो इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के हैंड-आउट पर आधारित हैं और अगर वह गलत है तो उनका सोचना ठीक है कि हम उसको छापें या न छापें। उन्होंने जो मार्मिक दुःख प्रकट किया है पैरा थर्ड में, वह भी सही हो सकता है। इसलिये, श्रीमन्, इन सब बातों के स्पष्टीकरण के लिये इसको आप प्रिविलेज कमेटी में भेजें। यह कोई इसलिये नहीं कहा जा रहा है कि कोई जुर्म किसी पर लगाया गया जिसके लिये सजा कर दी जाय। जैसा माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि हम जुर्म लगा

रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो जो वास्तव में दोनों की प्रतिष्ठाओं पर धब्बा लगा है उसकी सफाई चाहते हैं। यदि हमारे मुख्य मन्त्री पर इस प्रकार का कोई धब्बा लगे और इस प्रकार की प्रेस में कोई रिपोर्ट आये तो खाली यह उत्तर प्रदेश में सीमित नहीं है, यह तो हमारे हिन्दुस्तान भर के अखबारों में छपा होगा। फिर हमारे मुख्य मन्त्री के बारे में लोग क्या सोचेंगे? यू० पी० के प्रेस के बारे में सारे हिन्दुस्तान में लोग क्या सोचेंगे कि मुख्य मन्त्री के बारे में आक्षेप हो गया प्रेस में। इस सबके स्पष्टीकरण के लिये केवल एक ही स्थान था और एक ही व्यवस्था थी कि इसे प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जाय और दोनों के रेपुटेशन की सफाई हो जाय।

मैं इतिहास का उदाहरण दूं कि जिस समय मारकोनी स्कैंडल हुआ था, लायड जार्ज उस समय चांसलर आफ दि एक्सचेकर थे। उन्होंने भी मारकोनी के शेयर्स खरीदे थे और लार्ड रीडिंग ने भी खरीदे। तो चूंकि दोनों इनवाल्व्ड थे उन्होंने मान लिया कि हमारी पोजीशन को स्पष्ट करने के लिये वह प्रश्न प्रिविलेज कमेटी में जाय। तो इस कालिमा की, दोनों ओर की सफाई होनी चाहिये। प्रेस को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिये जिसकी आपके यहां व्यवस्था नहीं है, उसका एक ही मार्ग है कि प्रिविलेज कमेटी में जाय जिससे पोजीशन का रि-इस्टैब-लिशमेंट हो जाय। आशा है कि आप इन सब इम्प्लीकेशन्स को विचार करके इसे प्रिविलेज कमेटी को देंगे।

श्री अध्यक्ष—अब पहले उग्रसेन जी को सुन लूं। उनके भी दस्तखत हैं।

श्री झारखण्डे राय—आपने तो कहा है कि जिन-जिन लोगों का नाम उस प्रस्ताव में रखा है उनको आप पहले बुलावेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ एक वाक्य आपके सामने पहले पढ़ दूं जो ब्रिटिश पार्लि-यामेंट में हुआ। एक मेम्बर ने पूछा—कि क्या मैं आपकी रूलिंग से यह समझूं कि कोई माननीय सदस्य घृणित झूठ बोल सकता है। वह इस प्रकार से हैं—

"Mr. Scollan (Renfrew, Western): On a point of order. Does your Ruling mean, Sir, that any Member of this House can get up and tell a most abominable lie?

Mr. Deputy Speaker: The Hon. Gentleman himself is now out of order . I must ask him to withdraw that statement.

Mr. Scollan: I was asking for your Ruling, Sir, on a point of order.

Mr. Deputy Speaker: The Hon. Member cannot raise a point of order until he has withdrawn the statement he made.

Mr. Scollan: I was asking a question, not making a statement.

Hon. Member: Withdraw.

Mr. Scollan: I want to know whether a statement can be made by any Member, including myself, that is grossly untrue.

Mr. Deputy Speaker: Shortly, the answer is 'yes' provided it is not unparliamentary."

जब मेम्बर ने यह पूछा कि क्या मैं आपकी रूलिंग से यह समझूं कि कोई मेम्बर घृणित झूठ बोल सकता है तो स्पीकर ने कहा कि आप स्वयं अव्यवस्थित रूप में बोल रहे हैं, आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिये। उस पर फिर मेम्बर ने कहा कि मैं तो प्रश्न ही कर रहा था, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। उस पर मेम्बरों ने कहा—"विड्रा" "विड्रा", वापस लो, वापस लो। फिर आगे मेम्बर ने कहा कि क्या यह हो सकता है कि इस सदन में कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान कर सकता है जो अतिशय झूठ हो? उस पर स्पीकर ने कहा—"येस" किन्तु वह असंसदीय न हो।

*श्री श्यामलाल—अध्यक्ष महोदय, कूटनीति ऐसी चीज है जिसके विषय में दो राय हो सकती हैं। एक किस्म के साधारणतया व्यक्ति इस तरह के पाये जाते हैं जो यह कहते हैं कि कूटनीतिज्ञ झूठ को भी सही साबित कर देता है अपनी बातों से। दूसरी तरह के विचार वे हैं कि जो यह कहते हैं कि सफल कूटनीतिज्ञ वह है जो हमेशा सच बोलता है, लेकिन साधारणतया लोग उस पर विश्वास नहीं करते। माननीय मुख्य मन्त्री का जो स्टेटमेंट मैंने दो दिन पूर्व पढ़ा, मैं समझता हूं वह बिलकुल सत्य था। माननीय नेता विरोधी ने जो इसको विशेषाधिकार समिति में भेजने की बात कही, मैं समझता हूं वह ठीक है। यह चीज प्रिविलेज मोशन की है। कानून के दो पहलू होते हैं—एक तो क्वैश्चन आफ फैक्ट्स होता है दूसरा क्वैश्चन आफ ला होता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हमने यह स्टेटमेंट नहीं दिया, यहाँ विरोधी दल के लोग कहते हैं, यह सत्य है। अखबार वाले दूसरी बात कहते हैं। तो यह प्रिविलेज कमेटी में अवश्य जाना चाहिये।

एक बात और बता देना चाहता हूं कि "Press is watch dog of the democracy"। प्रजातन्त्र में प्रेस वाच डाग का काम करता है। प्रेस की रिपोर्ट सही समझी जाती है।

(व्यवधान)

यह नेशनल हेराल्ड, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि सरकार का मुख पत्र है। उसमें भी माननीय मुख्य मन्त्री जी का स्टेटमेंट वर्ड बाई वर्ड छपा है। कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह गलत होगा। कांस्टीट्यूशन के अनुसार कैबिनेट की ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी होती है। आज अगर इस प्रकार का बयान माननीय मुख्य मन्त्री जी जनता में या इस सदन में देते हैं कि उनके मंत्रिमण्डल में मतभेद है तो साफ तौर से वह सदन का अवमान है। उन्हें अपना त्यागपत्र मिनिस्ट्री से दे देना चाहिये।

एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। एक एक्यूज्ड है जो ३०० धारा में गिरफ्तार हुआ है जिस समय उसको जज के सामने पेश किया जाता है तो वह यही कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया है। लेकिन सबूत से फिर साबित किया जाता है कि उसने मर्डर किया है। इसलिये इसको भी सही बात जानने के लिये प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजा जाना चाहिये।

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, जो प्रस्ताव आपके सामने दिये गये हैं उनके आशय का मैं विरोध कर रहा हूं। मैं समझता हूं प्रदेश की राजनीति के विकास और जो स्वाभाविक गति इस समय हो रही थी उसके सामने यह प्रस्ताव अवरोध के रूप में रखा गया है। स्वतंन्त्रता के बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है पहली बार प्रदेश काँग्रेस पार्टी और प्रदेश काँग्रेस सरकार में नीति के ऊपर गहरे और तीव्र मतभेद पैदा हुए हैं। यह बहुत ही सुन्दर और प्रशंसनीय बात थी, इसको चलने देना चाहिये था।

मान्यवर, प्रदेश की जनरल राजनीति के दृष्टिकोण से, विरोधीपक्ष के दृष्टिकोण से और काँग्रेस पार्टी के अन्दर भी जो स्वार्थपूर्ण दलबन्दी और गुटबन्दी है उसकी समाप्ति के लिये इस प्रकार के तीव्र नीतिगत मतभेदों को पैदा होना चाहिये। इससे वह पार्टी भी जिन्दा रहेगी और आगे बढ़ेगी और प्रदेश की राजनीति की दशा भी स्वस्थ होगी। जिस प्रकार से एक साल पहले कुर्सी के लिये लड़ाई हम लोगों ने देखी, जिसका हमें और आपको भी पूरा ज्ञान है। इस समय जो मतभेद पैदा हुए हैं—काँग्रेस पार्टी के अन्दर, काँग्रेस सरकार के अन्दर सूबे की काँग्रेस कार्यकारिणी के अन्दर, यह एक स्वस्थ और प्रगतिशील दशा है इसको हमें पकड़ना चाहिये। यह एक ठोस असलियत है और जितना उसके विषय में हम जानते हैं उससे १०० गुना अधिक आप जानते हैं कि मतभेद हैं और हर स्तर पर हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मन्त्री जी में अनेक गुण हैं, मैं उनका कायल हूं। उनमें से एक बहुत बड़ा गुण उनकी स्पष्टवादिता है और जो मतभेद रहे हैं उनको उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार कुछ जल्दी में कह दिया। ऐसी हालत में वह स्पष्ट मतभेद जो पार्टी के अन्दर थे जनता के सामने काँग्रेस वर्कर्स के बीच में आ गये। इससे हमारे प्रदेश की राजनीति की स्वस्थ दशा मजबूत हुई और मान्यवर, मेरा खयाल है उनके दिमाग में जरूर यह बात रही होगी कि देखा जाय कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है।

श्री काशीनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, राजनीति की दशा के बारे में तो इस समय बहस नहीं हो रही है।

श्री झारखंडेराय—मैं उम्मीद करता था कि इसकी स्वस्थ गति तो यह होती कि उसके बाद जिन दो वरिष्ट मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की बात कही जाती है उनके नामों के बारे में, हम भी अन्दाजा लगा सकते हैं और आप भी जानते हैं कि वे कौन-कौन हैं किसी न किसी रूप में उनके बयान भी या विचार भी आते और ये मतभेद और गहरे होते यह दरार और चौड़ी होती। मैं समझता हूं ऐसे प्रस्तावों से वह दरार संकुचित होती है। मतभेद सिकुड़ जाता है और काँग्रेस के बाहर और भीतर जो बहुत व्यापक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का अवसर था इस वक्त, विरोधी पक्ष के लोग भी इस नीति के विरोधी थे और बड़ा ही जबरदस्त मुजाहरा सब ने कर डाला और तैयार हैं आन्दोलन करने के लिये तथा कई हजार की संख्या में जेल तक जाने के लिये तैयार हैं उनमें तथा काँग्रेस पार्टी के भीतर भी इस नीति के प्रति जबरदस्त विरोध है जो चाहते हैं कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स पर टैक्स किसी प्रकार भी न लगे, कुछ लोग उस की सीमा को और ऊंचा उठाना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे बिल को वापस तक करना चाहते हैं। उन सबको .....

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली के नियम २९१ के अनुसार माननीय सदस्य विषय के बाहर जा रहे हैं। प्रश्न तो आपके सामने यह है कि नियम २६७ के अनुसार यह प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन बनता है या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दलील न देकर माननीय सदस्य लैंड होल्डिंग्स बिल पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब यह है कि यह प्रस्ताव जो है गलत है इन कारणों से।

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रस्ताव से हमारे प्रदेश का राजनीतिक अहित हुआ है। आज हमारे यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, यह प्रस्ताव अपनी जगह पर है, लेकिन आबजेक्टिवली यह प्रस्ताव रिएक्शन को हेल्प करता है। प्रगतिशील चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी में अन्तर होना चाहिये, उसकी जो दरार है वह और चौड़ी होनी चाहिये और इसमें यह प्रस्ताव सहायक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी भारी सेवा की कि उस मतभेद को उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने दोनों भाषणों में—बावजूद इसके कि एक बयान उन्होंने यहाँ पर दिया और वह बयान हम सबके सामने सदन में दिया—मैं समझता हूं कि इसे आथेंटिक मानना चाहिये। बाहर के बयान का वे खंडन कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि प्रेस वालों नेबहुत सोच समझ कर माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दी हुई चीज ही छापी होगी और पूरे अधिकार के साथ छापी होगी। इसलिये उसे भी मैं आथेंटिक ही सोचता हूं। उनका जो प्रस्ताव आया है उसका अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए, दूसरे माननीय मुख्य मन्त्री जी का बयान और पत्रकार

[श्री झारखंडेराय]

समिति द्वारा पास हुए प्रस्ताव को देखते हुए मैं चाहता हूं कि अब इस मसले को समाप्त कर देना चाहिए और इसी में सब का हित है।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त होता है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, माननीय सदस्य हमारी तरफ से बोलना चाहते हैं ··।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। क्या आप बोलेंगे ?

श्री उग्रसेन—अगर मैं न बोलूं और दूसरा कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उसे आप बोलने को नहीं कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मेरे मन की बात है कि किसको पुकारूं। आप बोलना चाहते हों तो बोलें।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी देर से मैं सुन रहा हूं और मैं तो यह समझता हूं कि यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गयी इस आदरणीय सदन के समक्ष और प्रेस के समक्ष और प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता के समक्ष और आज ६ बजकर ४५ मिनट पर जब रेडियो से यह समाचार प्रसारित होगा और जो लोग सुन रहे हैं उनको स्पष्ट हो गया कि माननीय मुख्य मन्त्री ने अपनी कमजोरी दिखलायी है और नियम को भंग किया है। वह इस तरह से कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जो मन्त्रिमण्डल का फैसला था, जो उसका गोपनीय फैसला था, उसको उद्घाटित करने के बाद वे इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं कि सदन में आकर अपनी वकालत कर सकें ·····

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, माननीय नरसिंह नारायण जी ये सब कह चुके हैं, उनको दोबारा कहने से कोई फायदा नहीं है।

श्री उग्रसेन—उसको मैं नहीं कह रहा हूं। सन् ५१ में ऐसी ही एक घटना इस सदन में हुई थी।

श्री अध्यक्ष—जिस बात को माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह और उनके साथियों ने कहा है, उन को आप न कहें। माननीय नरसिंह नारायण और माननीय काशीनाथ जी ये सारी बातें कह चुके हैं।

श्री उग्रसेन—नियमों की अवहेलना किस ने की, किस की कमजोरी है ? जिस घटना को मैं रखना चाहता हूं वह अभी मैंने नहीं रखी है, आप आदेश दें तो उस को मैं रख दूं ·····

श्री अध्यक्ष—आप पहली घटना को रख दें।

श्री उग्रसेन—मेरा कहना यह है कि यह कोई नई बात नहीं है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी मतभेद हुआ है लेकिन वहां की और सारे देशों की एक संसदीय परम्परा है और मिन्टो मारले, जितने भी बड़े-बड़े आचार्य संसदीय प्रणाली के हुए हैं, सब ने अपना मत इस सम्बन्ध में प्रकाशित किया है कि केबिनेट या मन्त्रिमण्डल जो भी कार्य करता है वह एक यूनिट या एक इकाई की तरह काम करता है और मैं बता दूं यहां तक साफ कर दिया गया है कि अगर मन्त्रिमण्डल में मतभेद हो भी तो कोई मुख्य मन्त्री या मंत्री यह नहीं कह सकता कि हम आधे प्वाइन्ट्स पर सहमत थे और आधे पर कुछ का विरोध था, जब तक कोई चीज निश्चित न हो, तबतक कोई चीज सदन के सामने नहीं आ सकती। ऐसी बहुत सी हाउस आफ कामन्स की व्यवस्थायें हैं ·····

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन) --अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि यह जो प्रश्न बार-बार उठाया जा रहा है कि बीच आफ रूल्स हुआ, है अगर यह मान भी लिया जाय कि सीक्रेसी का लीकेज हुआ, अव्वल तो ऐसी बात है नहीं और अगर हुई भी तो इस सदन में इस तरह से यह ....

श्री अध्यक्ष--वीरसेन जी, आप यह आर्गूमेंट कर सकते हैं कि यह बीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता लेकिन आप उन को बोलने से नहीं रोक सकते।

श्री वीरसेन--माननीय सदस्य को केवल यह बताना चाहिये कि प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--वह जो बोल रहे हैं वह कहने दीजिये।

श्री उग्रसेन--जिस तरह से श्रीमन्, यह घटना घटी है आज उस की चर्चा सारे देश में है और केवल घटना ही नहीं इस ने एक तरह से रिवोल्ट और बगावत का रूप ले लिया है।

श्री अध्यक्ष--आप रिवोल्ट या रिबेलियन की बात न कहिये।

श्री उग्रसेन--आप देखें कि इसी मन्त्रिमण्डल के मतभेद पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में क्या-क्या हुआ। वहाँ भी ऐसी समस्या घटित हुई तो उस के फलस्वरूप लार्ड एस्कविथ सन् १९१६ में चले गये, लिल्यार्ड जार्ज सन् २२ में चले गये और नेविले चेम्बरलेन को सन् ४० में जाना पड़ा। (व्यवधान) हम भी चाहते हैं कि जब चेम्बरलेन अपना छाता लेकर चले गये तो हमारे मुख्य मन्त्री भी अपनी टोपी लेकर चले जायं।

दूसरे अखबार के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी अपना दूसरा बयान दिया और सदन में वह पढ़ा गया। आप ने व्यवस्था दी कि जो कुछ कोई सदस्य सदन में कहता है उस को सही माना जाता है, आप की रूलिंग बिलकुल ठीक है वह हमें शिरोधार्य है लेकिन प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री कानपुर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण में कुछ कह आते हैं और यहाँ अपनी कमजोरी से या डर से कुछ और कह देते हैं। सन् ५१ में भी एक बार इसी तरह से माननीय मन्त्री जी जब मुख्य मन्त्री नहीं थे और श्री त्रिलोकी सिंह ने एक सवाल उठाया था तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, मैंने समझा नहीं था इसलिये मैं ऐसा कह गया। उन की यह कोई नई बात नहीं है। यह चीजें पूरे प्रदेश की जनता से सम्बन्ध रखती है और श्रीमन्, जिस तरह से कि हाउस आफ कामन्स के स्पीकर होते हैं आप भी वैसा ही गौरवपूर्ण स्थान यहाँ ग्रहण करते हैं इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि श्री गेंदा सिंह और दीप नारायण सिंह जो कहते हैं उस को न मानकर आप इस को अवश्य ही विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें ताकि वहाँ पर सब तथ्यों की सफाई हो जाय और मुख्य मन्त्री जी की वरियता की भी सफाई हो जाय। आज इस प्रश्न पर सारे देश के राजनैतिक, दार्शनिक, फिलास्फर, मास्टर, वकील सब की निगाह लगी हुई है। आप जनतन्त्र की परम्पराओं की रक्षा के लिये, संसद और हाउस आफ कामन्स की जो परम्परा है उसके नाम पर इस को आप अवश्य ही विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें वर्ना मुख्य मन्त्री जी को अभी तो ६ मास ही हुए हैं यह सदन स्वयं ही बतला देगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--श्रीमन्, मेरा निवेदन सुन लीजिये। जब मैंने उस समय पूछा कि १७ और १९ के दोनों विशेषाधिकारों के प्रश्नों पर बोलूं तो आपने कहा १७ पर बोलो। १९ पर बाद में बोलियेगा। तो जो आज विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था उस पर बोलने का मौका दें, सिर्फ २, ३ मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—बोल लीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान १९५२–५७ के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन की ओर·····

श्री अध्यक्ष—आपका जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह जरा सा भिन्न है। वह इस प्रकार से है। आप कहते हैं कि जो रिजोल्यूशन कल पत्रकार समिति ने पास किया है वह गलत पास किया है, उससे इस सदन का अवमान होता है लिहाजा उसके विरुद्ध कार्यवाही हो। अब आपका यह है। उस रोज की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। कल जो कार्यवाही हुई है और कल जो प्रेस समिति ने प्रस्ताव पास किया है "इट इज डिस्ट्रेसिंग टु नोट दी क्लेरिफिकेशन" उसके सम्बन्ध में है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इसके पृष्ठ १२६ पर नम्बर दो जो आपने रूलिंग दी है उसमें निश्चय यह है कि सदन·····

श्री वीरसेन—प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ६६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

"विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों से नियन्त्रित होगा—

(१) एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे। आप देखें इस समय सदन के सामने दो प्रश्न चल रहे हैं। एक प्रश्न तो ऐसा है जो कि·····

श्री काशीनाथ मिश्र—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष—आप जरा बैठ जायं। प्वाइन्ट आफ आर्डर पर प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

एक घटना १६, १७ की है। यह घटना १७, १८ की है, यह अलग है, और यह कहते हैं कि १७ तारीख को मुख्य मन्त्री ने एक यहाँ बयान दिया। १८ तारीख को एक प्रेस समिति ने उस बयान का खंडन करना चाहा है। इस प्रकार से वह समझते हैं कि विशेषाधिकार अवहेलना के भागी हो गये।

श्री वीरसेन—आप नियम को देखें।

श्री अध्यक्ष—तो क्या मतलब है, कल होगा।

श्री वीरसेन—आप देखें, एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं आदेश देता हूं कि समय को बचाने के लिये आज ही मैं सुनूंगा। नहीं तो कल फिर उपवेशन होगा दूसरा।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तो मेरा निवेदन है कि रूलिंग देते हुए दो बातें अन्तिम लाइन में कहीं। "एक तो यह कि कार्यवाही को गलत तौर से किसी अखबार में छापना यह विशेषाधिकार की अवहेलना है।' आगे कहा है "और उसके ऊपर गलत बयानी करके उस पर टीका करना यह उससे भी अधिक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है।" यहाँ इस प्रस्ताव से केवल गलत बयानी नहीं की, कार्यवाही के कन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट और उस पर टीका भी की है। यह तो बहुत बड़ी विशेषाधिकार की अवहेलना की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से पृष्ठ १२९ पर देखें, संख्या (९) "किसी सदस्य को उसके सदस्य की हैसियत से किये गये कार्यों के लिये बदनाम करना विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है।" इन्हीं दो के अन्तर्गत यह मेरा दूसरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव है। दो, तीन बातें इसमें सोचने की हैं कि अगर वह बयान माननीय गुप्ता जी का सदन के बाहर होता या माननीय गुप्ता जी सदन के मुख्य मंत्री हुए होते और अपर हाउस के सदस्य होते और मुख्य मंत्री की हैसियत से बयान दे दिये होते, तब दूसरी बात थी। लेकिन सदन के बाहर भी बयान दें और हमारे सदन में भी दें तो दोनों जगह पर सदन के मेम्बर होने की हैसियत से क्या वह हमारे सदन का बयान नहीं रहेगा? क्या सदन में दिये गये बयान पर सदन कोई कार्यवाही कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो मेरा यह नम्र निवेदन है कि अगर कोई झूठ माननीय गुप्ता जी बोले है तो क्या वह सदन के सदस्य का झूठ नहीं माना जायगा? अब गुप्ता जी ने जब सदन में बयान दे दिया है और उसके बाद उसकी टीका इस प्रकार समाचार-पत्रों में हो रही है और उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास किये जा रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न न बनता हो। तीन तरह से प्रश्न आपके सामने रखे गये हैं। एक तो यह कि विरोधाभास हो। दूसरे यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सच कहा हो और तीसरे यह कि प्रेस ने ठीक कहा हो। अगर प्रेस ने सच कहा हो और माननीय मुख्य मंत्री ने झूठ कहा हो....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—क्या 'झूठ' शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—वह स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं। किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ेगा कि दोनों में कोई झूठा और कोई सच्चा है। अगर यह मान लिया जाय कि न माननीय मुख्य मंत्री जी ने झूठ कहा और न प्रेस ने, तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारा दिमाग खराब है। माननीय मुख्य मंत्री या प्रेस दोनों में एक ही ठीक हो सकता है। प्रेस जो हमारी इस विधान सभा में आता है, उसने माननीय मुख्य मंत्री के बयान पर टीका की है। उसके ऊपर कांट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है और साथ-साथ उसे गलत बताया है और उसने वही बयान छापा जो प्रेस अटेची ने उसे दिया और यहां तक कहा है कि प्रेस गवर्नमेंट के साथ कोआपरेट करे या न करे। तो मेरी समझ में इससे अच्छा विशेषाधिकार का प्रश्न कभी बनेगा नहीं।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, २ घंटे और ४० मिनट से इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैं बहस सुन रहा हूं। तरह-तरह की बातें इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर कही गयीं। कभी अखबार के खिलाफ, कभी मुख्य मंत्री जी के खिलाफ और कभी प्रेस अटेची के खिलाफ टीका की गयी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय सदस्य अपनी कोई निजी जानकारी हमें बतला रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—वे बतलाना चाहते हैं कि विशेषाधिकार की जो सूचनायें आई हैं वे हमारे नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं।

श्री बृजभूषणशरण—मैं यही बात कह रहा था लेकिन कहना उसी तरह से चाहता हूं जिस तरह से ढाई घंटे से बातें कही जा रही हैं। अगर उसके ऊपर ताज पहनाना है तो जरूर प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिये। तमाम हिन्दुस्तान के अखबारों में छप जायगा कि यू० पी० असेम्बली ने इसे प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया।

मान्यवर, इसमें तीन-चार बातें हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया गया है। एक तो यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानपुर में बयान दिया। दूसरे यह कि माननीय मुख्य मंत्री ने असेम्बली

[श्री बृजभूषणशरण]

में बयान दिया और उनके बयान पर एक एडिटोरियल लिखा गया पायनियर में । बयान पर फिर कल प्रेस रिपोर्टर्स ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है । तो इन तीन, चार बातों को कंफ्यूज किया जा रहा है और यह नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा प्रिविलेज का इश्यू किसके खिलाफ बन रहा है । मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने कानपुर में जो कहा, उस सम्बन्ध में यह कहा गया कि उस पर प्रिविलेज का मोशन इसलिये बनता है कि कांस्टीटयूशन के अनुच्छेद १६४ "ओथ आफ सीक्रेसी" के खिलाफ बात माननीय मुख्य मंत्री ने कानपुर में कांग्रेस वर्कर्स के बीच कही है । मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कृपया अनुच्छेद १६४ को पढ़ने का कष्ट करें कि क्यों यह रखा गया है, क्यों ओथ आफ सीक्रेसी ली जाती है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---ओथ आफ़ सीक्रेसी के लिये प्वाइंट आफ़ आर्डर था, प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं था। मैंने कांस्टीटयूशनल प्वाइंट, प्वाइंट आफ़ आर्डर पर रेज़ किया था । आज बीच आफ़ प्रिविलेज का प्रश्न है । दोनों को एक न करें।

श्री बृजभूषणशरण---कोई भी प्वाइंट हो, कहने से पहले कम से कम किताब तो देखिये । कांस्टीटयूशन के आर्टिकिल १६४ में यह लिखा है कि मिनिस्टर एप्वाइंट होंगे और जो ओथ आफ़ सीक्रेसी लेंगे वह शेड्यूल ३ में लिखा है---

Swear in the name of God

"I, A. B. do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brouhgt under my consideration or shall bcome known to me as a Minister for the State of·····except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister."

मैं इसका हिन्दी में अनुवाद कर दूं । अपना नाम लेगा जो मिनिस्टर ओथ ले रहा हो, किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस भेद को नहीं खोलूंगा पब्लिक में या किसी भी आदमी पर, जो मेरे विचार के लिये मिनिस्टर की हैसियत से लाया जायगा या जो मेरे ज्ञान में मिनिस्टर की हैसियत से आयेगा सिवाय इसके कि मुझे अपने डिस्चार्ज आफ़ डयूटीज़ में वह काम करना पड़े । तो मान्यवर, जो बात मुख्य मंत्री जी द्वारा कही गयी बतायी जाती है, मैं आर्गुमेंट के लिये थोड़ी देर के लिये यह मान लेता हूं कि यह बात सही है कि उन्होंने यह कहा कि सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में एक प्लान बनाया गया था और अब कुछ लोग उससे वोल्टी फ़ेस हो रहे हैं । तो कौन सी बात मुख्य मंत्री जी की नालेज में ऐज़ मिनिस्टर आयी थी ? क्या मुख्य मंत्री जी को यह उस समय मालूम हुआ कि एक प्लान बनी थी जब वह मंत्री हुये थे ? या क्या मुख्य मन्त्री जी को मंत्री होने से यह पता चला कि वह प्लान पहले कितने का था और फिर कितने का रह गया ? अगर ये चीजें वैसे भी पता हैं तो मिनिस्टर की हैसियत से तो नालेज में यह नहीं आयीं और मान्यवर, बोस अखबारों का हवाला पढ़ कर सुनाया गया । तो क्या यह बात पहले से अखबारों में नहीं निकल रही है कि मंत्रिपरिषद् में कुछ मतभेद है ? और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें यह अधिकार नहीं पैदा हो जाता कि कांग्रेस वर्कर्स की मीटिंग में मंत्रिपरिषद् में जो मतभेद है यह मुनासिब नहीं है क्योंकि यह वोल्ट फ़ेसी है ? कौन सी बात ऐसी है जो मुख्य मन्त्री को मंत्री होने की हैसियत से पता चली और ओथ आफ़ सीक्रेसी खो गयी ।

श्री राधेश्याम शर्मा---एक व्यवस्था का प्रश्न है । अगर यही मुख्य मंत्री जी मान लें तो गड़ा ही काहे का ।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बृजभूषणशरण—मैं मुख्य मन्त्री जी की तरफ़ से कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर यह बात मान भी ली जाय तो क्या है। दूसरी बात यह कि मान लीजिये मुख्य मन्त्री जी ने वहां यह बात कही तो ब्रीच आफ़ सीक्रेसी तो हुई नहीं। और अगर यहां आकर कह दिया कि मैंने नहीं कहा तो अभी आप पढ़ कर सुना चुके हैं कि सदस्य को यह अख्तियार है कि कह दे कि मैंने नहीं कहा। तो किस के खिलाफ़ ब्रीच आफ़ प्रिविलेज बन रहा है?

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने वैसा नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि प्रेस में मैं इसका कंट्राडिक्शन भेज चुका हूं। यानी हाउस में कुछ कहने से पहले ही प्रेस में कन्ट्राडिक्शन भेज दिया था और यह भी कहा कि शाम तक पेपर्स में निकल जायेगा। तो वहां जो कुछ मुख्य मंत्री ने कहा वह सदन से कोई सम्बन्ध न रखते हुये सदन से बाहर कहा और उसका कंट्राडिक्शन भी सदन से बाहर कर दिया। तो इसका सदन की कार्यवाही से क्या सम्बन्ध है और कैसे ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हो गया?

एक बात मैं और आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। एक बात माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि प्रेस की तरफ़ से तो कोई कहने वाला है नहीं। मेरा यह कहना है कि हम सब लोग हर एक की तरफ़ से कहने वाले हैं। हम सब लोगों की तरफ से कहने वाले हैं। जो फैसला यहां पर लिया जाय वह ठीक लिया जाय। अगर किसी भी तरफ से कोई कहने वाला नहीं है तो हम उसकी तरफ से कहने वाले हैं। अगर कोई स्पीच देता है और कह दे कि हमने नहीं दी तो प्रेस वाले दोनों को छाप देंगे और उनको कोई परेशानी की बात नहीं होगी। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने कहा कि इसमें दो धब्बे, एक माननीय मुख्यमन्त्री जी पर और दूसरा प्रेस वालों पर, लग गये हैं, इसलिये इसको जरूर प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें धब्बा किसी के ऊपर नहीं लगा है। धब्बा केवल उनके मन के ऊपर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेचारे प्रेस वाले कहां कहेंगे? हाउस में माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी कंट्राडिक्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी और न प्रेस वालों को ही आपकी शरण में आने की जरूरत है क्योंकि वे भी रिजोल्यूशन पास करके छाप चुके हैं। उन्हें भी अखबार में छापने का अधिकार है और इनको अधिकार है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम इस तरह से प्रिविलेज की बातें करके अपनी सेल्फ इम्पोरटेंस बढ़ा रहे हैं। हर बात में प्रिविलेज का मोशन नहीं बनता है। माननीय गेंदासिंह जी की बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने इतनी बात कही कि सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में जो भी बात कही जाय उससे ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा, अगर बाहर कही जायगी तो नहीं। मैं इसमें इतना और जोड़ना चाहता हूं कि आनेस्टली कोई बात कही जाय तो ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होगा। यहां पर कोई फैसला किया गया है तो क्या उसको क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष—फेयर कमेन्ट हो सकता है।

श्री बृजभूषणशरण—श्रीमन्, वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि फेयर कमेंट हो सकता है। इसमें न तो मुख्य मन्त्री जी की तरफ से कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है और न प्रेस वालों की तरफ से ही कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। महज हमारे साथी जो उधर बैठने वाले हैं, वे बिला वजह एक साधारण सी चीज को पहाड़ बना रहे थे। इसमें कुछ सार नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें हम लोग पौने तीन घन्टे खराब कर चुके हैं और अब इसको बेकार प्रिविलेज कमेटी में भेजकर कई दिन और खराब न किये जायं। इसमें प्रिविलेज का कोई सवाल नहीं बनता है।

श्री वीरसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो प्रिविलेज के सवालों पर इस आदरणीय सदन में विचार हो रहा है और मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने

[श्री वीरसेन]

यह सवाल उठाये हैं या जिन्होंने इस को सपोर्ट किया है वे प्रिविलेज के कंसेप्शन को समझते नहीं हैं या जानबूझ कर वे गलत अर्थ लगा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रिविलेज के अधिकारों को गलत इस्तेमाल करके गलतफहमी से अर्थ लगाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उन सिद्धान्तों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर कोई प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बन सकता है। मैं समझता हूं कि कोई भी प्रश्न जिससे सदन के अधिकारों का हनन होता हो या जो सदन का काम है उसके करने में बाधा पड़ती हो, चाहे वह सदस्य के व्यक्तित्व से सम्बन्धित हो या सारे सदन से सम्बन्धित हो वही प्रश्न ऐसे हैं जो कि सदन के ब्रीच आफ प्रिविलेज के प्रश्न बन सकते हैं। मैं आपका ध्यान पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४२, एडीशन १६ की ओर ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कृपा कर आप देखें। उसमें लिखा है—

"Parliamentary privilege is the sum of the peculiar rights enjoyed by each House collectively as a constituent part of the High Court of Parliament and by members of each House individually, without which they could not discharge their functions, and which exceed those possessed by other bodies or individuals."

ऐसे अधिकार जिनके बिना सदन का कार्य नहीं चल सकता है वही अधिकार ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बन सकते हैं। बाकी प्रश्न ब्रीच आफ प्रविलेज का प्रश्न नहीं बन सकते।

श्री काशीनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, जो प्रिविलेज एक साथ दी हुई हैं उनको भी पढ़वा दीजिये।

श्री वीरसेन—उसी पेज पर आप देखें—

"The privileges of Parliament are rights which are "absolutely necessary for the due execution of its powers".

तो एक यह टेस्ट है जो मैं अप्लाई करना चाहता हूं इन दोनों केसेज के बारे में। मैं यह जानना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने यह प्रश्न किया है वह यह बतायें कि किस प्रकार इन दोनों कार्यों से सदन के कार्य में बाधा पड़ती है या माननीय मुख्य मंत्री ने जो भाषण कानपुर में या कहीं दिया उससे किस तरह से सदन के कार्य में बाधा पड़ती है?

ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी का सवाल मैं बाद में लूंगा। तो जाहिर है कि उस सवाल का माननीय सदन की प्रोसीडिंग्ज से कोई ताल्लुक नहीं है और उसका प्रभाव इसके फैसलों पर नहीं पड़ सकता है, इन चीजों पर कोई ब्रीच आफ प्रिविलज का प्रश्न नहीं उठ सकता है। पार्लियामेंट के सदस्यों के प्रिविलेजेज क्या हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिर्फ दो तीन प्रविलिजेज हैं। फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम फ्राम मोलेस्टेशन और फ्रीडम फ्राम अरेस्ट। इस सदन में जो कुछ बात कही जायगी उसको कहने की मेम्बरों को पूर्ण स्वतंत्रता होगी। सदन के बाहर अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसका ताल्लुक इस सदन से है अगर वह बात आती है तो वह इस सदन के अधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन सकता है। अगर कोई सदस्य ऐसा कार्य करता है सदन के बाहर जिसका ताल्लुक इस सदन की प्रोसीडिंग्ज से नहीं है, और सदन जो फैसला करता है, उनसे ताल्लुक नहीं है तो वह किसी रूप में भी इस सदन के अधिकारों की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसके कंटेंट्स से सदन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो किसी भी मानी में वह सदन के ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बन सकता। एक माननीय सदस्य ने माननीय कृपलानी जी के केस का हवाला दिया। लेकिन माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि जो माननीय कृपलानी जी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी उस स्पीच के बारे में रेफरेंस था। उसके पीछे जो मूल सिद्धान्त है वह मैं बतलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो इस सदन का कार्य करते हैं वह कार्य पूर्ण स्वतन्त्रता से करना चाहिए।

कोई ऐसी बाधा नहीं होनी चाहिए जैसे अगर किसी माननीय सदस्य को यह कहा जाय कि यह बेईमान ह या पागल है तो उसके दिमाग़ पर यह असर पड़ सकता है और उसके कारण जो स्वतन्त्रता से उस विचार व्यक्त करना चाहिए। शायद वह न कर पाये। जो सदन में बात कही जाती है अगर उसके बारे में कोई रिफलेक्शन हो, जो इस सदन की प्रेस्टिज पर हनन करता है। चाहे इस सदन के बाहर हो चाहे भीतर तो सदन का अवमान होता है। सदन के कार्य करने पर प्रभाव पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से और इसी मूलभूत सिद्धान्त को लेकर यह जरूरी है कि कोई भी प्रश्न ऐसा आना चाहिए जो कि इस सदन के सदस्यों को रोकता हो या जिसकी टेंडेंसी उसको रोकने की हो, तो वह प्रश्न बन सकता है। जो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वहां पर कोई माननीय सदस्य बताये कि किस तरह से उससे इस सदन के कार्य में बाधा पड़ती है . . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि जो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, तो पहले कहा उससे मतलब है या जो बाद में कहा उससे मतलब है ?

श्री वीरसेन—पहले और बाद का कोई प्रश्न नहीं है। पहले आप मेरी दलीलों को सुन लीजिए, उसके बाद जो कहना हो वह कहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में १२३ पृष्ठ आप और देखें—

"Conduct not amounting to a direct attempt to influence a Member in the discharge of his duties, but having a tendency to impair his independence in the future performance of his duty, will also be treated as a breach of privilege."

तो अध्यक्ष महोदय, इससे भी साफ जाहिर है कि कोई बात इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे सदन के किसी मेम्बर को कोई रुकावट हो। यह जो माननीय कृपालानी जी का हवाला दिया गया और नजीर पेश की गई, वह कोई दलील इस प्रश्न में नहीं है।

अब अध्यक्ष महोदय, बार-बार इस चीज का जिक्र किया गया कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी का अर्थ माननीय सदस्य समझते हैं या नहीं ?

एक सदस्य—समझा दीजिए।

श्री वीरसेन—जी हां, समझा रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए।

श्री अध्यक्ष—आप मुझ से बोलें।

श्री वीरसेन—आप ही से अर्ज कर रहा हूं कि शायद माननीय सदस्य जानते नहीं हैं कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी के माने यह नहीं हैं कि आइडेंटिटी आफ व्यूज हो गया। यहां सदन कभी कोई फैसला लेता है तो इसके माने यह तो नहीं हो जाते हैं कि सभी माननीय सदस्यों की राय एक सुई की नोक की तरह एक हो गई। (व्यवधान) आप कृपा कर बैठें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फ्लोर आफ दि हाउस को ईल्ड नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। माननीय सदस्य कृपा करके बैठें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइए। (शोर) देखिए, आप लोग बैठ जाइए। माननीय उग्रसेन जी, सीधी बात वह यह कह रहे थे कि कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी का अर्थ यह नहीं है कि यूनानिमिटी आफ व्यूज। यही वह कह रहे हैं।

श्री उग्रसेन—तो यह किसने कहा कि उसका अर्थ है यूनानिमिटी आफ व्यूज ?

एक सदस्य--यह किस प्रिविलेज ईश्यू में रेज्ड है यनानिमिटी आफ व्यूज ?

(शोर)

एक अन्य सदस्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जाइये। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

एक सदस्य--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं बैठ नहीं सकता और पहले आप उनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष--वह ठीक कहा है। अभी आपको बहुत जानना है। कायदा यह है कि कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। आप बैठ जायं।

श्री वीरसेन--तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी के माने यह नहीं है कि हर आदमी के ....

श्री अध्यक्ष--ठीक है, वह तो मानते हैं।

श्री वीरसेन--वह लोग जो मंत्रि-परिषद के सदस्य हैं उनके व्यूज एक जैसे हो जायेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--यह माननीय अध्यक्ष महोदय २८७ के अन्तर्गत इर्रिलिवेंट है जो माननीय बनारसी दास जी का २८७ सेक्शन है उसके अन्तर्गत। मेरा निवेदन यह है कि किसी ने यह नहीं कहा है कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी के माने हैं यह हैं। (शोर) अगर वह यह इर्रेलिवेंट बात कहते हैं तो हमको इसका जवाब देने की आज्ञा दीजियेगा क्योंकि आपने सबसे बाद में उनको बोलने के लिये खड़ा किया है।

श्री अध्यक्ष--माननीय वीरसेन जी, यह उनका कंटेशन नहीं है कि यूनानिमिटी हो। उनका कहना है कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ लोग हमसे सहमत नहीं है तो इस कारण से कैबिनेट नहीं रही। इसका जवाब सीधे-सीधे दे दीजिये, नहीं तो छोड़िये, बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन--आप कृपया डाक्टर ईश्वरी प्रसाद के लेख को पढ़ लीजिये कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है। (व्यवधान)

श्री वीरसेन--वह कोई खुदा का हुक्म नहीं है। (व्यवधान) मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब तक मैं ईल्ड न करूं तब तक दूसरे सदस्य के लिये बोलने की इजाजत न दी जाय।

श्री अध्यक्ष--दूसरा कोई सदस्य अगर खड़ा होता है तो मैं उसकी टांग पकड़ कर खींच नहीं लूंगा।

श्री वीरसेन--आप बैठा तो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--जो आपको कहना हो, कहिये और नहीं तो, जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री वीरसेन--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है और उसमें इनके कहने से ब्रीच हो गया है तो इनको यहां पर बैठने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान) यह मानना कि कोई भी मंत्री मंत्रि-परिषद के फैसले से एक राय हो जायगा, यह बात भी बिलकुल नामुमकिन है। ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी का मतलब यह है ....

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि अगर हमारे कुछ साथी हमारे मत से सहमत नहीं हैं इससे कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है ?

श्री वीरसेन—जी हां । (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है ....

श्री अध्यक्ष—उग्रसेन जी ? इस तरह से बहस नहीं होती है । जब आप बोल रहे थे तो आपको कोई रोक नहीं रहा था ।

श्री वीरसेन—तीसरी बात यह कही गई कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में जो बयान किया वह सदन को मिसलीड करने के लिये दिया और इस वजह से ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है । इसमें मूलभूत सिद्धांत का जो प्रश्न है वह भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । कोई भी प्रश्न सदन के सामने अगर फैसले के लिये आये और उस फैसले में अगर कोई सदस्य ऐसी बात कह दे जिससे गलत फैसला होने का अन्देशा हो या गलत फैसला हो जाय तब सदन मिसलीड होता है । अब किसी बात का अगर कोई फैसला सदन के सामने नहीं है, कोई निर्णय नहीं होने वाला है तो सदन कैसे मिसलीड हो जायगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मैं समझता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य जैसा कि आपने स्वयं इस बात को कहा कि कोई सदस्य सरासर झूठ बोल जाय और उससे सदन के फैसले पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो किसी माने में भी वह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई सदस्य झूठ बोल दे । आपने इस तरह से नहीं कहा । माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं । आपने ऐसा नहीं कहा (व्यवधान) ।

श्री वीरसेन—माननीय सदस्य ने 'झूठ' शब्द का प्रयोग किया है । यह अनपार्लियामेंट्री है । इसको वापस लें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, आप कार्यवाही निकाल कर देख लें ।

श्री अध्यक्ष—इस शब्द को आपको वापस लेना चाहिये । उनका आशय यह नहीं था ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इसको देख लिया जाय । अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला है तो मैं इसको वापस ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरसेन जी ने यह कहा है कि अगर निर्णय पर असर पड़ता हो तब मिसलीड होता है । उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई सदस्य चाहे जितना झूठ बोल जाय उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता । उनका कहना यह है कि जिस झूठी बात से, जिस झूठ बोलने पर किसी फैसले पर असर पड़ता हो तब सदन मिसलीड होता है और तब सदन का मिसलीड होना कहा जा सकता है । जिस कहने से किसी विषय पर कोई निर्णय न लेने की बात हो वहां पर मिसलीड का प्रश्न नहीं आता है । यह उन्होंने कहा है ।

श्री वीरसेन—आप कृपया उनसे दरख्वास्त करें कि वह उस शब्द को वापस लें या माफी मांगे ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने इस बात को गलत समझा था ।

श्री वीरसेन—उन्होंने मुझे कहा है कि यह झूठ कह रहे हैं। यह शब्द अनपार्लियां-मेंट्री है।

श्री अध्यक्ष (श्री टम्बेश्वरीप्रसाद से) आप इस शब्द को वापस ले लें। आपने इसको गलत समझा था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अगर माननीय वीरसेन जी ने मेरे शब्दों को गलत समझा, तो मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं कि वह तकरीर बाहर की थी और वह इसमें नहीं आती। तो अगर मुख्य मंत्री ने अपने दोस्तों के खिलाफ कोई बात गलती से कह भी दी तो खड़े हो कर माफी मांग लें, सब झगड़ा खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष—यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री वीरसेन—दो प्रश्न सदन के सामने और रखे गये हैं। एक तो सीक्रेसी के बारे में जिक्र किया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीक्रेसी तोड़ी और इससे ब्रीज आफ प्रिविलेज बनता है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट के मातहत ऐसी बात हो भी गयी या कोई ब्रीच हो भी गया तो क्या सदन उसके लिये एक कोर्ट की हैसियत में बैठेगा। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई भी प्रिविलेज का क्वेश्चन बनेगा . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझ गया। सीक्रेसी के बारे में अगर कोई ब्रीच होता है तो हाउस का जुरिस्डिक्शन उस के लिये नहीं है।

श्री वीरसेन—जी हां। तीसरे, दुबे जी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि प्रेस पर और मुख्य मंत्री जी पर, दोनों पर एक बड़ा ब्लाट है और इस सदन में ही उसकी सफाई की जा सकती है। मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह भी निहायत गलत कंटेंशन है।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने तो यह कहा कि प्रेस के ऊपर एक लांछन है और मुख्य मंत्री पर एक लांछन है but it does not make a question of privilege. तो इस पर कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है।

श्री वीरसेन—एक दो वाक्य और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रेस ने जो रिपोर्ट दी, सही या गलत, उस से भी कोई प्रिविलेज का सवाल प्रेस के खिलाफ नहीं बनता। प्रेस को जितनी फ्रीडम है, जिस तरह से वह अपने राइट्स एक्सरसाइज करती है वह करे। अगर वह, उसके काम सदन के दायरे में कोई रेफ्लेक्शन नहीं है या किसी सदस्य पर कोई रेफ्लेक्शन नहीं है, या उन से यहां के काम में कोई बाधा नहीं पड़ती, तो कोई भी पब्लिकेशन जो सदन के बाहर या भीतर का हो, उस के लिये प्रिविलेज का सवाल नहीं लाया जा सकता। और दूसरे मुख्य मंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया वह भी जैसा मैंने अर्ज किया मिसलीडिंग नहीं हो सकता। इसलिये उस से भी प्रिविलेज का सवाल नहीं बनता। एक मिनट में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि साधारण कानून का यह नियम है कि कोई भी ट्राइफिलिंग मैटर रेज नहीं किया जा सकता। अब यह आगस्ट हाउस ऐसे छोटे-छोटे मामलों को उठा कर अगर इस तरह से अपना इतना-इतना समय खर्च करेगा, जैसा कि हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि वह सदन के साथ न्याय नहीं होगा और मेरी अर्ज है कि इस मामले में कोई प्रिविलेज का सवाल नहीं बनता। तो इन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर मैं दरख्वास्त करता हूं कि जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं वे प्राइमाफेसी नहीं बनते और वे खारिज होने चाहिये।

एक सदस्य—मेरा भी क्वेश्चन था। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त हो गया ।

श्री उग्रसेन—उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत किया है ।

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर। आप लोग बैठिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि आपने अभी यह व्यवस्था दी थी कि सदन में कोई सदस्य गलत बयानी या असत्य भाषण भी कर सकता है और उस के लिये कोई प्रिविलेज का सवाल नहीं बनेगा। तो अगर मुख्य मंत्री जी ने गलत बयानी भी कर दी, और अपने सही वक्तव्य का खंडन भी किया तो प्रिविलेज का सवाल आपकी व्यवस्था के अनुसार बनता ही नहीं। इस तरह की आपकी व्यवस्था है तो क्या उस के बाद भी इस पर विचार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—अच्छा, बैठिये ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। अगर सदन के बाहर कोई वक्तव्य सदन के नेता से पद से इस्तीफा देने के कारण हो तो उसका सदन से संबंध है या नहीं ?

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इतना सब सुनने के बाद यह पूछना चाहता हूं कि इस पर आप असली व्यवस्था कब देंगे ? यह बात बहुत चाव के साथ कह रहा हूं और इसकी प्रतीक्षा हो रही है। यदि आप माननीय शिवनाथ जी की भी सुन लेते तो कुछ और प्रकाश पड़ जाता।

श्री अध्यक्ष—मैं सोमवार को इस पर व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, अगर प्रिवलेज खत्म हुआ तो कार्य-स्थगन....

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर। अब आपने इसे याद दिला दिया तो उस पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमन्, मैं जानकारी के लिये एक प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर निर्णय देने के पहले आप उस पर विचार कर लें कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो कानपुर में भाषण दिया था वह वहां पर मुख्य मंत्री की हैसियत से दिया या किसी व्यक्तिगत रूप से ?

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९६२

खंड ३—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। प्रश्न यह है कि "खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ३ में शब्द "सकता है और" निकाल दिये जायं और पंक्ति ४ के प्रथम शब्द 'करा' के स्थान पर शब्द 'कर' रख दिया जाय, पर विवाद जारी होगा।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमन्, इस खंड में तो अलग-अलग कार्यवाहियों का उल्लेख है। एक तो रजिस्ट्रेशन के लिये स्वीकृति और प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति और दूसरा रजिस्ट्रेशन कराने....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह जी, बहुत बातें हो रही हैं। कृपया सब लोग शांत रहें।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि उस खंड में २ बातें हैं जिनका उल्लेख है। एक प्रार्थना पत्र के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना और दूसरा है उसका रजिस्ट्री कराया जाना। यह दोनों बातें अलग अलग और साफ-साफ लिखी हुई हैं और उनकी भाषा बिलकुल स्पष्ट है। अर्थ भी बिलकुल ठीक है। उसमें किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन २ तरह के संशोधन करने की मांग की गई है। एक तो माननीय हरिनाथ तिवारी जी का है कि 'सकता है और' निकाल दिये जायं और 'करा' के स्थान पर शब्द 'कर' कर दिया जाय।

जिस तरह से उन्होंने यह बातें कीं, उससे मैंने यह समझा कि वह यह समझते हैं कि जब प्रार्थनापत्र कोई व्यापारी देगा रजिस्ट्रेशन के लिये तो कर निर्धारक अधिकारी उस पर आवश्यक जांच करने के बाद और वह जो शर्तें ठीक समझे उनको रखने के बाद जरूर ही उन के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसको यह अधिकार है कि वह सब चीजों के देखने के बाद अगर ठीक समझता हो तो प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करेगा। अगर ठीक समझता हो और कुछ शरतें रखना जरूरी हो तो शर्तें रख कर स्वीकार करेगा। उसको यह भी अधिकार है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना ठीक न हो तो उसको नामंजूर देगा।

यह सब बातें ऐसी हो सकती हैं। वह कहते हैं कि नहीं प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना जरूरी होगा और अगर वह मतलब होता तब तो इस तरह से होता ही नहीं। तब तो यह होता कि "प्रार्थना-पत्र स्वीकार करेगा तथा रजिस्ट्री करायेगा" उसको अधिकार है और उस अधिकार से वह कार्यवाही करेगा। दूसरे आपका मतलब यह भी है कि वह 'करा' की जगह पर जो 'कर' करना चाहते हैं उसका अर्थ यह होता है कि वह अधिकारी स्वयं करेगा या रजिस्टर में दर्ज करेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं करेगा। यहां ऐसी बात होती नहीं है। आर्डर उसका होगा जिस पर रजिस्ट्री होगी। इसलिये ये दोनों बातें साफ साफ हैं, इसी वास्ते इस तरह की भाषा रखी गयी है।

माननीय कमला सिंह जी का जो संशोधन था उसमें थोड़ा सा-फर्क था। वह 'करा' को नहीं बदलना चाहते हैं, बल्कि वह "सकता है और" इसको निकालना चाहते हैं। लेकिन कानून की भाषा में स्पष्टता होना आवश्यक है और स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी होता है। भाषा बिलकुल ठीक है और कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको हटाया जाय। इसलिये मैं इन दोनों संशोधनों को स्वीकार नहीं करूंगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री के समझने की भूल है। हमने यह नहीं कहा कि वह जबरदस्ती रजिस्ट्री कर ले या उसके ऊपर अनिवार्य होगा। जहां शब्द 'सकता है' आया है वहां पर अनिवार्य नहीं होता है। 'करायेगा' कह दें तो अनिवार्य होगा, लेकिन 'करा सकता है' ऐसा कहीं ऐक्ट में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि पहले जांच करेगा और फिर दूसरे अफसर को भेज दे कि रजिस्ट्री करे। उसको दोनों अधिकार है कि जांच करके रजिस्ट्री करे। तो उसमें कोई अन्तर नहीं है। तो यह तो उन्हीं की भूल है। हमने जो कहा उसमें स्पष्ट है कि अथारिटी तो वही रजिस्ट्री की रहेगी। उसका अप्लीकेशंस पर आर्डर होगा कि रजिस्ट्री होगी तो "करा सकता है" के क्या मानी हैं?

दूसरी जगह दो बार 'सकता है' आ सकता है जोकि रिडेंडेंट है, इसलिये हमारे संशोधनों को मानकर उचित रूप से भाषा रखने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी को भ्रम हो गया है। उसमें यह है कि दो स्टेजेज हैं इसके। एक तो यह कि प्रार्थना-पत्र एलाव करेगा या डिस्अलाव करेगा। दूसरा यह कि रजिस्ट्रेशन करवाये या न करवाये। अगर 'सकता है' निकाल देते हैं तो इसका मतलब है कि जब इंक्वायरी करले असेसमेंट अधिकारी और जो शर्तें हैं उनको पूरी मान ले, उसके बाद अप्लीकेशन को स्वीकार करके रजिस्टर करा सकता है। और अगर वह शर्त पूरी न हो, प्रार्थनापत्र स्वीकार न हो तो रजिस्टर न करावे। जब प्रार्थना-पत्र स्वीकार होगा तभी तो रजिस्टर होगा और जब वह अस्वीकार हो जायेगा तो रजिस्टर नहीं होगा। इस संशोधन को स्वीकार कर लेने पर वह इस प्रकार हो जायेगा "कर निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जायें, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर व्यापारी को रजिस्टर कर सकता है।" तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा भारी हेरफेर इससे हो जायेगा। केवल शब्दों का फर्क है। आशा है माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ३ में शब्द 'सकता है और' निकाल दिये जायं और पंक्ति ४ के प्रथम शब्द 'करा' के स्थान पर शब्द 'कर' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ३ के शब्द "रजिस्टर" के साथ शब्द 'शुदा' रख दिया जाय। श्रीमन्, अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा भी होते हैं और क्रिया भी यह शब्द रजिस्टर भी ऐसा ही है। जिस ढंग से यह प्रयोग हुआ है वह ठीक नहीं लगता। उसको पास्ट पार्टिसिपिल बन कर आना चाहिये। यहां पर इसको 'रजिस्टर्ड' होकर आना चाहिये था। किन्तु रजिस्टर्ड का व्याकरणानुमोदित रूप होने के कारण नहीं लिया जा सका, किन्तु साथ ही अगर 'रजिस्टर' शब्द रहेगा तो संज्ञा होने का भ्रम हो जायेगा। ऐसी हालत में जैसे शादी शुदा, पास शुदा, आदि शब्द होते हैं उसी तरह इसको भी रजिस्टर शुदा होना चाहिये। रजिस्टर शुदा होने से अर्थ और व्याकरण-गत रूप ठीक हो जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, अगर इसको रजिस्टर शुदा कर दिया जायेगा तो इसका अर्थ यह हो जायेगा कि आलरेडी रजिस्टर्ड, वह गलत होगा।

श्री जयराम वर्मा—इसको मानने से भाषा गलत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं हो सकता, ठीक है। वह एक्टिव वाइस है।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ३ के शब्द 'रजिस्टर' के साथ शब्द 'शुदा' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के अन्तर्गत संशोधित धारा ८-क की उपधारा (१-क) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "रजिस्टर हुआ" के स्थान पर "रजिस्टर्ड" रख दिया जाय। इसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—स्वीकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—अगर किसी अंग्रेजी के शब्द को हम हिन्दी में ले लें तो उसके पास्ट और प्रेजेंट सब अंग्रेजी की तरह से होंगे ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां ।

श्री कमलासिंह यादव—अगर अंग्रेजी के शब्द हिन्दी में आ जावें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी, त्रिपाठी जी, से पूछना चाहता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वे हमारी व्याकरण के अनुसार हों। अगर हमें इसका बहुबचन करना हो तो रजिस्टरों करेंगे ।

जो संशोधन आ रहे हैं वे ऐसे हैं कि कहीं स्त्रीलिंग के हैं या पुलिंग के हैं। यह विधेयक साहित्य का ग्रंथ तो है नहीं । साधारण बिल है, इसे चलने दें ।

श्री सुखरामदास—माननीय मंत्री ने जो कहा है वह तो हमारे ही पक्ष में कहा है । व्याकरण की दृष्टि से भी 'रजिस्टर्ड ' होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के अन्तर्गत संशोधित धारा ८-क की उपधारा (१-क) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "रजिस्टर हुआ' के स्थान पर 'रजिस्टर्ड'' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, जरा यह बता दिया जाय कि विशेषाधिकार वाले प्रश्न पर आप रूलिंग कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो मैंने उसकी बहस सुनी है । मेरी मुसीबत तो अब शुरू हुई है, आप की खत्म हो गयी। प्रयत्न करूंगा कि जल्दी ही उस पर फैसला दूं ।

अब हम उठते हैं और कल १० १/२ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
१९ सितम्बर, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१२ पर]

मेरठ जिला के विभिन्न विकास खंडों में हरिजनों के लिये १ दिसम्बर, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक विभिन्न मदों में स्वीकृत किये गये अनुदानों का विवरण ।

क्रम-सं०	विकास खण्ड का नाम		भवन निर्माण हेतु अनुदान	गृह उद्योग हेतु अनुदान	कृषि उद्योग हेतु अनुदान	कूप निर्माण हेतु अनुदान
१	२		३	४	५	६
			रु०	रु०	रु०	रु०
१	लोनी	..	२९,३३२.६४	५,३००	३,०००	..
२	मुरादनगर	..	१९,४७४.१९	३००	६००	३,६२४
३	भोजपुर	..	६८०	..	१००	२,७४०
४	धौलाना	..	३५०	३००	२००	५४०
५	राजापुर	..	..	..	..	५७४
६	बिनौली	..	..	..	..	७००
७	सरधना	..	..	६००	६००	६२०
८	सरूरपुर	..	२००	३००	१००	१,६१०
९	दौराला	..	२००	६००	२,२५०	२,९३७
१०	पिलाना	..	..	१५०	..	६१५
११	बाघपत	..	२००	१५०	..	२००
१२	खेखरा	..	..	..	..	९००
१३	बरौत	..	३००	..	..	३२०
१४	छपरौली	..	..	३००	३००	१५५
१५	हापुड़	..	७५,१७०	७५०	१,३००	२,९८५
१६	सिनभौली	..	४००	१००	..	१,६००
१७	खरखोदा	..	१,०९९	..	३००	५८५
१८	गढ़मुक्तेश्वर	..	..	४५०	३००	..
१९	मवाना	..	१,६००	९००	१,७००	१,२८५
२०	परिक्षितगढ़	..	३००	२,६५०	..	२८२
२१	मछरा	..	..	६००	..	१,७८०
२२	हस्तिनापुर	..	३००	..	२,१००	१,३५०
२३	मेरठ	..	४१,८९०.२५	८००	७५०	१,३७५
२४	रोहता	..	..	६००	१००	७०१
२५	जानी	..	१,७०३.५३	..	७००	१,६५६.६६
२६	राजपुरा	..	६००	१५०	..	६८१
	योग	..	१,७३,७९९.६१	१५,०००	१४,४००	२९,८१५.६६

नोट—उपरोक्त सूची में शिक्षा सम्बन्धी खर्चे जैसे शिक्षा संस्थाओं को अनुदान, छात्रवृत्ति तथा अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी खर्चे सम्मिलित नहीं हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३३ पर)

सूचना निम्न प्रकार है—

वर्ष	कुओं की संख्या जिनके लिये स्वीकृति दी गई	कुओं की संख्या जो बन गये और जिन्हें पूरा अनुदान भी दिया गया	कुंए जो बन गये परन्तु पूरा अनुदान नहीं दिया गया	कुएं जो अधूरे हैं जिनके लिये पूरा अनुदान नहीं दिया गया
१	२	३	४	५
१९५८–५९ ..	..	३४	..	..
		ये गत वर्ष के स्वीकृत हुए हैं		
१९५९–६० ..	५१	९	..	..
१९६०–६१ ..	६२	५०	२४	४३
१९६१–६२ ..	४२	..	..	४२
योग	१५५	९३	२४	८५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२८ पर)

यह सत्य है कि दोनों ग्राम झरपुरा और पीतिपुरा थाना शमशाबाद में कुछ व्यक्तियों के मार पीट की रिपोर्ट दिनांक ५-१०-६१ को की गई थी। इनके विवरण निम्नांकित हैं:—

१—एक रिपोर्ट दौजीराम पुत्र पोहम राम जाटव, निवासी ग्राम झरपुरा मजरा धीमश्री थाना शमशाबाद ने १२-१५ बजे लिखाई जिसके अनुसार उसके भतीजे बुद्धा को ५ बजे सुबह लाठियों द्वारा मारा गया और उसे ग्राम आमनीमान ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कथित मारने वालों के नाम निम्न हैं:—

(१) बाबूलाल, (२) रन्तू, (३) भगवान सिंह, (४) कामता प्रसाद हैं जो ग्राम जामनी मान थाना शमशाबाद के रहने वाले हैं। यह भी कहा गया था कि मारने वाले ग्राम फरपुर वापस आये और दौजीराम के भाई नत्था को पकड़ा और उसको भी उसी कमरे में बन्द कर दिया जिसमें कि बुद्धा उपस्थित था। तत्पश्चात् नत्था और बुद्धा को एक कोरे कागज पर अपने-अपने निशानी अंगूठा लगाने को मजबूर किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कामता प्रसाद को छोड़ कर शेष मारने वाले व (५) भंवर सिंह, (६) गोकुल, (७) कंचन, (८) लोटन, एवं (९) हाकिम सिंह के साथ वादी दौजीराम की तलाश में ग्राम पीतिपुरा गये और राम सिंह से दौजीराम के विषय में पूछा और उसके मना करने पर उसको गाली गलौज दी और उसके घर पर ईंट और पत्थर फेंके। मान प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह घटनास्थल पर आया और इन लोगों ने इसे लाठियों से मारा तथा ग्रामवासियों के हस्तक्षेप पर वे भाग गये। इन लोगों ने बाद में बुद्धा और नत्था को स्वतंत्र कर दिया।

यह घटना अपराध नं० ६८ धारा ३९४/३४२/४५२ भा० द० विधान थाना शमशाबाद से संबंधित है जिसमें तफतीश के बाद फाइनल रिपोर्ट भेजी गई। जांच से यह ज्ञात हुआ कि चुनाव में पैदा हुई रंजिश के परिणामस्वरूप यह घटना घटी और इसकी रिपोर्ट बहुत बढ़ा-चढ़ा करके की गई। तफतीश से यह भी जान पड़ा है कि वादी दौजीराम उसके भाई नत्था एवं उसके भतीजे बुद्धा कथित अपराधियों के कर्जदार थे और इस संबंध में सिविल कोर्ट में मुकदमेबाजी हो रही है। इस पृष्ठभूमि में साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट भेज दी जिसको कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया।

२—दूसरी रिपोर्ट समय १२-३० बजे स्वयं राम सिंह निवासी ग्राम पीतिपुरा ने इसी घटना के संबंध में जिसका उल्लेख दौजीराम की रिपोर्ट में पहले ही आ चुका था। राम सिंह की रिपोर्ट पर यह घटना भा० द० ४६ धारा १४७/३२३ भा० दं० विधान पर दर्ज की गई किन्तु पैरा १०४ पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार अदम तफतीश रखी गई।

दौजीराम ने समस्त अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें डी० आई० जी०, एस० एस० पी० और डी० एम० भी सम्मिलित हैं। उन प्रार्थना-पत्रों पर क्षेत्राधिकारी ने घटना-स्थल पर जांच की थी और इस संबंध में आवश्यक आदेश स० इ० को दिये थे। क्षेत्राधिकारी की जांच के पश्चात् ही दरियापत हाल के स्थान पर मुकदमा अपराध नं० ४ धारा १४७/३२३ भा० दं० वि० पर कायम हुआ था और तफतीश की गई थी। तफतीश के बाद इस मुकदमे में चार्जशीट लगाई गई। कुछ सबूत के गवाहों का बयान दिनांक २३-८-६२ को हुआ किन्तु कथित अपराधियों ने न्यायालय सेशन्स से स्टे-आर्डर प्राप्त कर लिये। अतः मुकदमा रोक दिया गया है। क्रम सं० २ पर उल्लिखित मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और उसमें पुलिस द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। क्रम १ पर उल्लिखित मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट) उपरोक्त कारणों से भेजी थी और यह न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

अपराध नं० ४६ धारा १४७/३२३ भा० दं० विधान निम्नलिखित अपराधियों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजा गया था। यह मुकदमा सेशन कोर्ट के आदेशानुसार स्टे कर दिया गया है।

(१) बाबू लाल पुत्र शिव लाल, (२) रूतो, (३) भंवर सिंह, (४) भगवान सिंह पुत्र पोथी राम, (५) लोटन सिंह, (६) कंचन सिंह पुत्र बहादुर सिंह, (७) द्वारका पुत्र चिजी लाल, (८) गोकुल सिंह पुत्र ग्यासी राम---निवासी ग्राम नगला जामनी भान, थाना शमशाबाद।

विधान सभा प्रदेश